खण्ड-124, अंक-1
सोमवार, 12 श्रावण, शक संवत् 1875
(3 अगस्त, 1953 ई0)

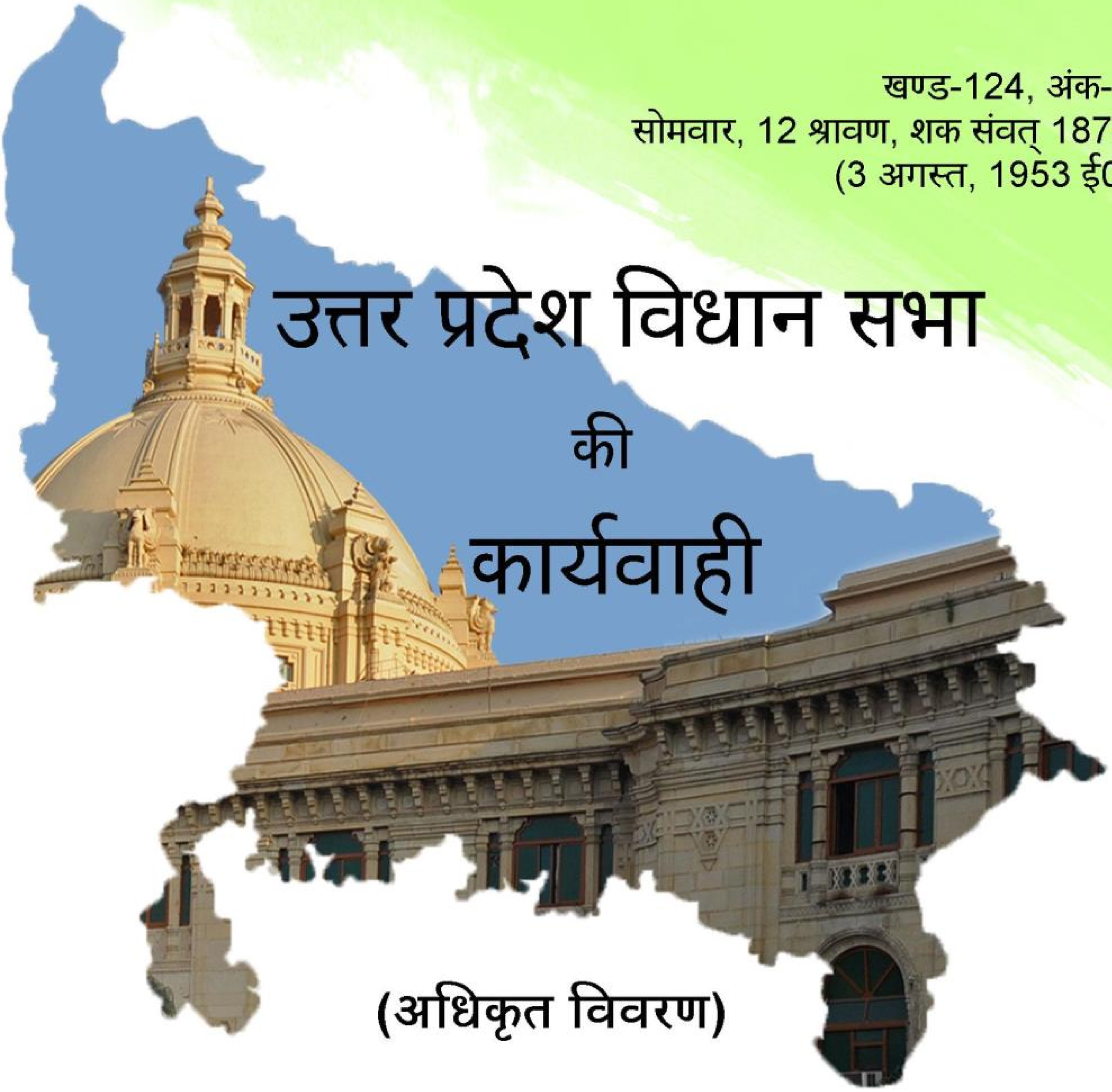

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 124 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान सभा प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

—:o:—

सोमवार, ३ अगस्त, १९५३

—:o:—

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:o:—

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७१)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवशधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काली चरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री

गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री

बलदेव सिंह, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री

रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
बसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यमलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री

संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
खुशीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

—:o:—

नव-निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण

निम्नलिखित नव-निर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की—

सर्वश्री रामेश्वर लाल, श्रीनिवास पंडित, कल्याण चन्द्र मोहिले, हनुमान प्रसाद मिश्र तथा कन्हैया लाल ।

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

मानसिंह व चरना आदि डाकुओं के गिरोह

*१—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी कि जिनसे विवश होकर पुलिस मानसिंह व चरना आदि के गिरोहों को अभी तक समाप्त नहीं कर पायी है ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—एक तो उस भूमि की भौगोलिक बनावट छिपने में बहुत सहायता देती है, दूसरे वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश मध्यभारत, राजस्थान और विन्ध्य प्रदेश की सीमाओं के भीतर फैला हुआ है। ऐसे इलाके में पुलिस को स्वभावतः कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि मध्य भारत, राजस्थान और विन्ध्य प्रदेश की सरकारों से मिलकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन गिरोहों को समाप्त करने के बारे में कोई योजना बनाई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इस योजना पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इन स्टेट्स ने भी अपनी कुछ-कुछ पुलिस इस काम के लिये अलग कर दी है। उत्तर प्रदेश की भी पुलिस है। वह सारी पुलिस एक आफिसर की मातहती में इस समय काम कर रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--इन गिरोहों को समाप्त करने के लिये कुल कितनी पुलिस काम कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस संख्या का बताना लोकहित में उचित नहीं होगा।

श्री कमला सिंह (जिला ग़ाज़ीपुर)--क्या माननीय गृह मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इसमें गवर्नमेंट का कितना खर्चा पड़ा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी तो यह कैंपेन खत्म नहीं हुआ है। बीच-बीच में हर मौके पर अलग खर्चा जोड़ा नहीं जाता।

कुमायूं डिवीज़न में जंगलात की आमदनी से ज़िला बोर्डों को हिस्सा

*२--**श्री नारायण दत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह लोकल बाडीज फाइनेंस कमेटी रिपोर्ट की इस सिफारिश को कि कुमायूं डिवीजन के जिला बोर्डों को कुमाऊं के जिलों के जंगलात की आमदनी का चौथा हिस्सा लोकल रेट्स के रूप में मिलना चाहिये, कब तक मंजूर करने जा रही है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--यह सिफारिश लोकल बाडीज ग्रांट्स-इन-एड कमेटी द्वारा की गई है। उक्त समिति की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है। यद्यपि इस विषय पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जा रही है, परन्तु यह कहना कठिन है कि निर्णय लेने में कितना समय लगेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि अब तक जंगलात की आमदनी का कितना हिस्सा कुमायूं के जिला बोर्डों को दिया जाता रहा है ?

श्री मोहन लाल गौतम--इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब तक इस रिपोर्ट पर विचार नहीं हो जाता तब तक कुमायूं के जिला बोर्डों को वहां की हालत खराब होने की वजह से कोई अन्तरिम सहायता देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम--यह सहायता समय-समय पर दी जाती रही है और माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि इस साल के बजट में ५ लाख रुपया इसके लिये ईयर मार्क किया गया है।

नैपाल सरकार की सहायतार्थ पी० ए० सी० की बटालियनें

*३--**श्री नारायण दत्त तिवारी**--क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार ने कुछ पी० ए० सी० की बटालियनें नैपाल सकार की सहायतार्थ इसी जुलाई मास में भेजीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि कुल कितनी बटालियनें वहां भेजी गयी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--लोकहित की दृष्टि से इसका बताना उचित नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी नैपाल सरकार के तत्संबंधी पत्र के विवरण को इस सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा कोई पत्र होगा तो भारत सरकार के पास होगा। प्रादेशिक सरकार के पास ऐसा कोई पत्र नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि इन बटालियनों का खर्चा कौन देता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब यह काम खत्म हो जायगा तब हमको आशा है कि नैपाल सरकार से पूरा खर्चा मिल जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन बटालियनों ने वहां जाकर क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पूरे ब्योरे के साथ तो विवरण मैं नहीं दे सकता लेकिन जिन लोगों ने नैपाल सरकार के विरुद्ध बलवे करके कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था उनको वहां से हटा दिया गया है और अब प्रायः सारे हिस्से पर नैपाल का कब्जा हो गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पी० ए० सी० की बटालियनें जो नैपाल में भेजी गयी हैं केन्द्रीय सरकार की अनुमति से भेजी गयी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, केन्द्रीय सरकार के आदेश से।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इन पी० ए० सी० की बटालियनों को कमान कौन करता है, नैपाली या भारतीय आफिसर ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चाहे कोई भी बटालियन हो उसका खुद अपना आफिसर होता है जो उसकी डाइरेक्ट देख रेख करता है।

कतिपय टाउन अथवा नोटीफाइड एरियाओं को म्युनिसिपैलिटियों में परिणत करने का विचार

*४—**श्री नारायण दत्त तिवारी**—क्या सरकार ने हाल ही में कुछ टाउन एरियाओं अथवा नोटीफाइड एरियाओं को म्युनिसिपैलिटियों में परिणत करने का निश्चय किया है ? अगर हां, तो वे कौन कौन हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—सरकार ने हाल में कोई ऐसा निर्णय नहीं किया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या ऐसा कोई निर्णय सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मोहन लाल गौतम—बहुत से प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहते हैं और रहने चाहियें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—तो ऐसे कौन-कौन से टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज हैं जिनको सरकार म्युनिसिपैलिटी बनाने का विचार कर रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जो प्रश्न विचाराधीन है उसके बारे में कुछ कहना कब्लअज-वक्त होगा।

पटवारी एसोसियेशन की मांगों पर पुर्नविचार

*५—**श्री नारायण दत्त तिवारी**—क्या सरकार उत्तर प्रदेश पटवारी एशोसियेशन की मांगों पर पुर्नविचार करने जा रही है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—जी नहीं।

*६—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सरकार उनको, जिनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया था, पुनः नियुक्त करने जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने पटवारियों को यह आश्वासन दिया है कि चकबन्दी या ऐसे ही किसी काम में सरकार उन्हें लगाने का विचार करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—आश्वासन शब्द के पूरे माने मालूम नहीं होते मगर हम चाहते हैं कि ऐसा किया जा सके तो किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी, जो उन्होंने अभी उत्तर दिया उसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि उनके वास्तविक प्रस्ताव क्या हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मेरे शब्दों का अर्थ वही है जो कि शब्द मैंने कहे हैं।

विद्यार्थियों से अनुशासनहीनता तथा अशिष्टाचार को दूर करने के उपाय

*७—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्यार्थियों को अनुशासनशील तथा शिष्ट बनाने के सम्बन्ध में कोई समिति बनाई गई है ? यदि हां, तो वह कब बनी और उसने क्या रिपोर्ट दी है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—जी नहीं।

*८—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार विद्यालयों में शीघ्र कोई ऐसी योजना आरम्भ करने वाली है, जिससे विद्यार्थी अधिक संख्या में स्वावलम्बी बन सकें ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता तथा अशिष्टाचार के सम्बन्ध में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—हर एक पाठशाला के विद्यार्थी को यह शिक्षा दी जाती है कि वह अनुशासन के अन्दर रहे।

श्री श्रीचन्द—माननीय मंत्री जी को याद होगा कि गत वर्ष एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि शीघ्र प्रबन्ध कर दिया जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो ऐसा प्रश्न है जिस पर हमेशा ही विचार किया जाता है और जहां अनुशासनहीनता देखी जाती है वहां उसका प्रबन्ध भी किया जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने विद्यार्थियों को शिष्ट बनाने और अनुशासनशील बनाने के उदाहरण को लेते हुये यूनियन के विधान में कोई परिवर्तन करने की सिफारिश की थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, वाइस-चांसलर की कान्फरेंस ने कुछ ऐसा निर्णय किया था।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार विद्यार्थियों में अनुशासन-शीलता और विनम्रता लाने के लिये कोई शीघ्र क़दम उठाने वाली है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---बहुत कुछ क़दम उठाया जा चुका है, बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुये और क़दम उठाये भी जा रहे हैं।

म्युनिसिपैलिटियों टाउन व नोटीफाइड एरियाओं के आम चुनाव

*९---**श्री नारायण दत्त तिवारी**---क्या यह सही है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश की म्युनिसिपैलिटियों, टाउन एरियाओं व नोटीफाइड एरियाओं के चुनावों को पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न होने से स्थगित कर दिया ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री मोहन लाल गौतम---इन चुनावों का कार्यक्रम अंतिम रूप से निश्चित नहीं किया गया था। सरकार का प्रयत्न शीघ्र चुनाव करने का रहा है और इस आशा से कि जुलाई में चुनाव कराना सम्भव हो जायगा जुलाई में चुनाव कराने का विचार था। परन्तु कक्षों (Wards) के परिसीमन (Delimitation) आदि कार्यों के समय से पूरे होने में कठिनाई मालूम हुई इसलिये सरकार को जुलाई में चुनाव कराने का विचार छोड़ देना पड़ा।

*१०---**श्री नारायण दत्त तिवारी**---क्या सरकार अब निश्चित एवं अंतिम रूप से उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपैलिटियों, टाउन एरियाओं एवं नोटीफाइड एरियाओं के आम चुनाव की तिथियां एवं कार्यक्रम बताने की कृपा करेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम---सरकार म्यूनिसिपैलिटियों, टाउन एरियाओं एवं नोटीफाईड एरियाओं के आम चुनाव को अब अक्टूबर सन् १९५३ के उत्तरार्ध में कराने का विचार कर रही है। ब्यौरेवार कार्यक्रम निर्वाचन संचालन सम्बन्धी नियमों के प्रकाशित हो जाने पर उनके अनुसार निश्चित किया जायगा और प्रकाशित किया जायगा और प्रकाशित होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या यह सही नहीं है कि माननीय स्वशासन मंत्री जी ने इसी सदन में यह घोषणा कई बार की थी कि हम जून तक ही आम चुनाव अवश्य करा देंगे ?

श्री मोहन लाल गौतम---जहां तक मुझे याद है जून की बात नहीं थी। माननीय सदस्य अपनी यादगारी को दोहरायें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय स्वशासन मंत्री को इस बात का विश्वास है कि सरकार ये चुनाव अक्टूबर में अवश्य करा देगी ?

श्री मोहन लाल गौतम---यह ओपीनियन का सवाल है, सब कुछ कहा जा सकता है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या यह सही है कि माननीय स्वशासन मंत्री जी ने अबकी इसी गर्मी में चुनाव अवश्य हो जायेंगे, ऐसी स्पष्ट घोषणा की थी ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब तो दिया जा चुका है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या यह सही नहीं है कि सरकार ने एक नोटीफ़िकेशन निकाला था कि बोर्डों के परिसीमन का कार्य अप्रैल में ही समाप्त हो चुका है ?

श्री मोहन लाल गौतम---मुझे कोई चीज़ ऐसी याद नहीं है। वार्ड्स का कार्य अभी तक समाप्त नहीं हुआ है।

तारांकित प्रश्न

कुमायूं डिवीजन में अनावृष्टि

*१--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार को मालूम है कि समस्त कुमायूं डिवीजन में घोर अनावृष्टि के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी है? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां, कुमायूं डिवीजन के अल्मोड़ा गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल के कुछ भागों की खाद्य स्थिति संतोषजनक नहीं है, परन्तु अकाल की स्थिति भी नहीं है।

इन भागों की जनता की सहायता के लिये शासन ने निम्नलिखित कार्यवाही की है--

(१) जिला अल्मोड़ा, गढ़वाल तथा टेहरी गढ़वाल में से प्रत्येक के लिये २०,००० रु० टेस्ट वर्क्स तथा ५००० रु० मुफ्त सहायता के हेतु स्वीकृत हुआ है।

(२) कुमायूं डिवीजन भर में तकावी वितरण के लिये १,१२,००० रु० दिया गया है।

(३) सभी जिलों में हिल प्राविजिनिंग स्कीम लागू है जिसके अन्तर्गत मोटा अनाज सभी क्षेत्रों में एक भाव पर मिलने का प्रबन्ध किया गया है। अत्यन्त पीड़ित क्षेत्रों में राशन की मात्रा ४ छटांक से ५ छटांक करने का अधिकार जिलाधीशों को दे दिया गया है।

(४) अल्मोड़ा गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल जिलों में नियमानुसार मालगुजारी में छूट दे दी गई है या दे दी जायगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि अल्मोड़ा गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल के कौन से ऐसे क्षेत्र या पट्टियां हैं जिनमें खाद्य स्थिति संतोषजनक नहीं है या वे अत्यन्त पीड़ित क्षेत्र हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अल्मोड़ा में तो गावों के नाम हमारे पास हैं जो इस प्रकार हैं--दरुण, रगौंट, नकुर, पिथौरागढ़ में हैं वेल, मेरंग, पुरगांव तथा तल्लावराव तथा रानीखेत में वल्ला व पल्ला नया, तल्ला ककलासौं, तथा मल्ला सल्ट। लैंसडाउन में १,७३१ गांवों में अन्नाभाव है। टेहरी गढ़वाल में कुछ पट्टियां प्रतापनगर में अभावग्रस्त हैं। उनके नाम इस समय मालूम नहीं हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जो पांच हजार रुपये मुफ्त गढ़वाल में दिये जा रहे हैं ये १,७३१ गांवों में फी गांव कितना रुपया मुफ्त बंट पायेगा?

श्री अध्यक्ष--अब इसका हिसाब तो माननीय सदस्य स्वयं लगा लें।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि टेस्ट वर्क्स का कुछ काम कुमायूं डिवीजन में हो रहा है?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--इसकी तफ़सील मेरे पास नहीं है, जब डिप्टी कमिश्नर ने रुपया मांगा तभी उसके लिये मंजूर कर दिया गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी की यह सूचना है कि नैनीताल जिले की आगर और पोशियां पट्टियों में भी, अल्मोड़ा और टेहरी गढ़वाल की भांति, अकाल की स्थिति हो रही है ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं। नैनीताल में बारिश न होने की वजह से कुछ इलाकों में आलू की फसल खराब हो गयी है जिसकी वजह से मालगुजारी में कुछ छूट देने की नौबत आयेगी ? वैसे कोई खराब हालत नहीं है।

*२--**श्री नारायण दत्त तिवारी**--[७ सितम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

मालगुजारी की वसूली के लिए कर्मचारी

*३--**श्री राम नारायण त्रिपाठी**--क्या माल मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि मालगुजारी की वसूली के लिये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन आफ़िसर रक्खे गये हैं, उनको राज्य सरकार ने क्या क्या अधिकार दिये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--वसूली के काम के लिये नियुक्त कर्मचारियों के काम का पर्यवेक्षण करने और वसूली की योजना का कुल जिले में समन्वय करने के प्रयोजनों के लिये, कलेक्टर की सहायता के लिये जिला कलेक्शन आफिसर रखे गये हैं। उनको मालगुजारी की बकाया की वसूली या मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किये जाने वाले देयों की वसूली से सम्बद्ध कामों को छोड़कर कोई अन्य काम नहीं सौंपा गया है। अतः सरकार ने उनको कोई विशेष अधिकार माल या फौजदारी के प्रदान करने की आवश्यकता नहीं समझी।

*४--**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--क्या यह सही है कि मालगुजारी की वसूली के लिये जो नायब तहसीलदार, अमीन, चपरासी आदि रखे गये हैं उनको साल में दोनों फसलों की वसूली के समय केवल तीन तीन माह के लिये नौकर रखा जाता है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मालगुजारी वसूल करने की योजना में कुछ नियुक्तियां पूरे साल के लिये की गई हैं और कुछ नियुक्तियां आवश्यकतानुसार दोनों फसलों पर केवल तीन तीन महीने के लिये की जाती हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार के पास इस बात की शिकायतें आयी हैं कि इस प्रकार की दोहरी हुकूमत की वजह से वसूली के काम में असुविधा होती है ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं। कोई ऐसी शिकायत नहीं आयी है। सारे सूबे से इस बात की तारीफ आयी है कि मालगुजारी की वसूली का काम बहुत खूबी से चल रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार के सामने यह भी प्रश्न विचाराधीन है कि इन आफिसर्स को कुछ लैंड रिकार्ड्स के, कुछ माल के और कुछ फौजदारी के अधिकार दे दिये जायं ?

श्री चरण सिंह--गवर्नमेंट की जितनी भी देय राशियां हैं उनको वसूल करने की एक ही मशीनरी है अर्थात् तकावी, नहर की आबपाशी और मालगुजारी की वसूली के लिये एक ही इन्ट्रीगेटेड मशीनरी हो, इस स्कीम पर विचार हो रहा है। इस सिलसिले में उनको जिन अख्तियारात के देने की जरूरत होगी वे उनको दिये जायंगे।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन पंचायतों की वसूली का काम सुपुर्द किया गया था उनका काम इन कलेक्शन आफिसर्स के काम से अच्छा साबित हुआ है ?

श्री चरण सिंह---पंचायतों के काम से कलेक्शन आफिसर के काम का मुकाबला करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि अभी तक जितनी पंचायतों को कलेक्शन का काम दिया गया था उन सबकी रिपोर्ट अभी तक मेरे पास नहीं आयी है। जिनकी रिपोर्ट आयी है उनका काम बहुत अच्छा है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---क्या अधिकांश में मालगुजारी तहसीलदारों और एस० डी० ओ० के द्वारा वसूल की जाती है ?

श्री चरण सिंह---जी हां। मालगुजारी वसूली की जिम्मेदारी बहुत हद तक तहसीलदारों के ऊपर भी है। एस० डी० ओज० के ऊपर इसकी कोई डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी कलेक्शन आफिसर्स की है जो कलेक्टर के मातहत मालगुजारी वसूल करते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार कलेक्शन आफिसर्स को हटाकर एस० डी० ओज० को उनके अधिकार देने पर विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह---जैसा मैंने अभी बताया कि वसूली की एक इंटीग्रेटेड स्कीम पर विचार हो रहा है। वह क्या शक्ल अख्तियार करेगी यह पहले से नहीं कहा जा सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी यह बतलावेंगे कि कौन-कौन से ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति साल भर के लिये होती है और कौन कौन से ऐसे पद हैं जो कि फसल पर केवल तीन-तीन महीने के लिये ही नियुक्त किये जाते हैं ?

श्री चरण सिंह---जिन लोगों की नियुक्ति साल भर के लिये हुई है वे कलेक्शन आफिसर्स, एक्स्ट्रा नायब तहसीलदार और कलेक्शन आफिसर के लिये रीडर लोग और कलेक्शन आफिसर के नीचे काम करने वाले अहलमद और १० अमीनों के पीछे एक मुहर्रिर और चीफ रेवेन्यू एकाउंटेंट को मदद करने के लिये कुछ क्लर्क्स और कलेक्शन आफिसर के लिये पिउन्स यानी चपरासी, एक्स्ट्रा नायब तहसीलदार के लिये चपरासी और तामील करने वाले दो आदमी फी तहसील में, एक ट्रेजरी क्लर्क डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, ये १२ महीने के लिये हुये हैं और जो तीन-तीन महीने के लिये हुये हैं वे हैं एक्स्ट्रा नायब तहसीलदार, फी तहसील तीन और अमीन लोग, कुछ मुहर्रिर और कुछ अमीनों के चपरासी और रुपये को परखने वाले (मनी टेस्टर्स), और तहसीलदार और असिस्टेंट स्याहा-नवीस।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---ये जो तीन महीने के लिये नियुक्त हुये हैं इनमें से कितनों को प्रान्त भर में नोटिस दी गई है ?

श्री चरण सिंह---वह तो सब तीन महीने के लिये होते ही हैं। फिर तीन महीने के बाद जिनके काम खराब होते हैं उनको नहीं रखा जाता और जिनका काम अच्छा होता है उनकी अगर जरूरत होती है तो रखने पर विचार किया जाता है। लेकिन इस समय पूर्ण रूप से कितने लोग अलहदा किये गये हैं इसकी कोई इत्तिला मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदा सिंह---क्या इस समय भी प्रदेश में वसूली जारी है ?

श्री चरण सिंह--जहां १५ मई को मुकर्रर हुये थे वहां १५ अगस्त तक वे काम करेंगे यानी जब से मुकर्रर हुये होंगे उस समय से तीन महीने तक तो काम करेंगे ही। जहां जरूरत होती है वहां तीन महीने के बजाय साढ़े तीन महीने भी उनसे काम करा लिया जाता है।

श्री गेंदा सिंह--क्या तीन महीने पूरे हो जाने के बाद कुछ जिलों में उनकी कुछ मियाद बढ़ा दी गई है?

श्री चरण सिंह--खरीफ की फसल में कुछ लोगों को बढ़ाई गई है। रबी की फसल में वसूली करने में उसकी नौबत आयी या नहीं इसका इल्म मुझे नहीं है?

*५-७--**श्री गेंदा सिंह**--[७ सितम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*८-९--**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**--[७ सितम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०--**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**--[११ अगस्त, १९५३ के लिये प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानांतरित किया गया।]

*११-१२--**श्री बाबू नन्दन** (जिला जौनपुर)--[७ सितम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, श्री फतेह सिंह, श्री चन्द्रपाल वाजपेयी तथा स्वामी सत्यानन्द के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि हमारी व्यवस्थापिका सभा की अंतिम बैठक और आज के बीच में हमारे देश और प्रदेश में अनेक दुखद दुर्घटनायें हो गईं। हमारे देश में डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक सार्वजनिक जीवन में ऊंचा स्थान था। वे एक बड़े विख्यात वंश में उत्पन्न हुये थे और उनके पिता जी ने भी न्याय, शासन और विद्या के क्षेत्रों में देश के हित के लिये बड़े महत्वशील और अहम काम किये जिनकी स्मृति इतिहास और उन क्षेत्रों से संबंध रखने वाली पुस्तकों से विदित होती है। डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने बाल्यकाल से ही बड़ी प्रखर बुद्धि रखते थे और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही काफी तरक्की और उन्नति कर ली थी। पहले उन्होंने कलकत्ता युनिवर्सिटी में कई तरह के सुधार करके उसकी उन्नति करने में ठोस काम किया। वे भारत देश की कर्मभूमि में, उसके विस्तृत क्षेत्र में बड़ी लगन से काम करते रहे और उन्होंने पहले बंगाल में और फिर सारे भारत में इस तरह से काम किया कि वे हमारी पार्लियामेंट और हाउस आफ पीपुल में एक बड़े सम्मान और आदर का स्थान रखते थे और लोगों का मत था कि करीब-करीब सबसे अच्छे वक्ता वे हाउस आफ पीपुल में थे। उन्होंने सदैव अपना काम स्वतंत्रता से किया। वे निर्भीक प्रकृति के आदमी थे और जिस काम को भी करते थे, जब भी उनके विचार में कोई बात ठीक नहीं मालूम होती थी तो वे फिर उससे अलग हो जाते थे। बंगाल में वे एक बार मिनिस्टर हुये और वहां से वे अलग हो गये। वे हमारे यहां केन्द्र में भी मंत्री रहे और वहां भी उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य अपने समय में किया। इस तरह से उन्होंने देश के कार्यों को आगे बढ़ाने में और जो भी उन्होंने देश हित के लिये आवश्यक और उचित समझा, उन नीतियों के अनुसार कार्य करने में एक दृढ़ता दिखलाई। मुझे खेद है कि उनके राजनैतिक विचारों से या कार्यशैली से कभी-कभी कुछ मतभेद भी हो जाता था और उससे भी अधिक खेद है कि उनका देहांत ऐसे समय में हुआ जब कि कुछ लोगों का यह अनुमान हो रहा था कि उनके विचारों में कुछ परिवर्तन हो रहा है और जो शैली वे अब तक बरत रहे थे उसमें कुछ बदलाव करने की सम्भावना थी। उनका देहावसान

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

बंगाल से दूर हुआ और हमें दुख है कि ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जिसमें इस तरह की घटना हुई। इसके संबंध में लोगों ने कई अनर्गल बातें भी कहीं परन्तु उनसे तो इस समय हमारा कोई विशेष ताल्लुक नहीं है। यह देश के लिये बड़ी ही क्षति की बात है कि डाक्टर श्यामा प्रसाद जी जैसा सदाचारी, विद्वान देशसेवक उठ गया। उनकी अवस्था अभी कम थी और बहुत दिनों तक उनसे देशसेवा की आशा थी। यह हमारे देश के लिये खेद की बात है कि हमारे ऐसे जो कार्य-कुशल, योग्य और सदाचारी देशसेवक हों वे इतने अल्पकाल में ही चले जावें। मेरी उनके परिवार से बड़ी सहानुभूति है, मेरी ही नहीं सारे देश की, और यह विधान सभा अपनी तरफ से, मैं आशा करता हूं कि मेरे विचारों से सहमत होगी और अध्यक्ष महोदय, आप हम सबकी ओर से समवेदना का संदेश उनके परिवार को भेजने की कृपा करेंगे।

हमारे प्रदेश में भी इस बीच में हमारे तीन साथियों की मृत्यु हो गई। श्री फतेहसिंह जी एटा से हमारी इस सभा के सदस्य थे वह मारे गये। यह और भी बड़े दुख की बात है कि उनकी स्वाभाविक रीति से मृत्यु नहीं हुई बल्कि हिंसा की गई और रात में उनके ऊपर प्रहार करके उनके जीवन का, जब कि वह बिल्कुल एक नौजवान थे, अंत किया गया। वह सदैव ही देशसेवा की रुचि रखते थे, कांग्रेस से उनका बड़ा संबंध रहा। उन्होंने सभी कार्यों में अपनी ओर से यथासम्भव योग दिया और उन्होंने यहां ही नहीं बल्कि एटा जिले में भी जन-सेवा करने का भरसक यत्न किया। उनका इस तरह से हमारे बीच से उठ जाना, हम सबके लिये बड़े ही दुख और शोक की बात है। अध्यक्ष महोदय, आप कृपा करके उनके बारे में भी हमारी सहानुभूति उनके परिवार को भेज दीजियेगा।

श्री चन्द्रपाल वाजपेयी एक बड़े सौम्य और शुद्ध प्रकृति के आदमी थे। उन्होंने बाल्य-काल से ही राष्ट्रसेवा, जो कुछ उनसे बन सकती थी, की। उन्होंने हर प्रकार के कष्टों और वेदनाओं को सहा और जैसा कि उनमें आंदोलन में शरीक होकर तपस्या करने और यातना भोगने का बल था, वैसे ही उनमें रचनात्मक कार्य करने की भी क्षमता थी और वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे और हमारी इस सभा के सदस्य भी रहे। उनकी मृत्यु करीब-करीब यकायक हुई। ऐसे सुधरे और शुद्ध स्वभाव के शांत नवयुवक का सदैव के लिये शांत हो जाना हम सबके लिये बड़े ही वेदना की बात है।

स्वामी सत्यानन्द जी अपने जीवन भर एक ही काम करते रहे और सदैव ही और सब गृहस्थ सम्बन्धी झंझटों को छोड़ कर एक संन्यासी की तरह देशसेवा का व्रत लेकर राष्ट्र का काम करते रहे और आखिर में वह सन्यासी हो भी गये। उन्होंने हर तरह से हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, जो कुछ बन सकता था, वह किया और हर तरह से देश को आगे बढ़ाने में, दुखियों का दुख दूर करने में और जिनको कोई दबाता हो उनका साथ देने में, हर तरह से यत्न किया। दोहरीघाट में उन्होंने एक आश्रम बनाया। वहां वह रचनात्मक कार्य करते रहे और खास कर खादी की उन्नति के लिये और हरिजनों के उत्थान के लिये उन्होंने निरन्तर परिश्रम किया। कुछ दिन हुये उनको यहां भी पेरालेसिस हो गया था और वह कुछ दिन यहां अस्पताल में रहे और फिर सेवापुरी में गये और वहीं जो देशसेवकों का एक केन्द्र है अपने साथियों के बीच में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनसे और उनके साथियों के साथ हमारी सबकी हार्दिक सहानुभूति है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि इन सबके परिवारों को आप इस विधान सभा की ओर से समवेदना और सहानुभूति भेजने की कृपा करें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी यह निर्विवाद है कि हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति में एक विशेष स्थान रखते थे। जिस अवसर पर वह हमारे बीच से उठ कर चले गये वह अवसर भी हमारे देश की राजनीति में एक बहुत ही नाजुक घड़ी जैसा था। जैसा कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा ऐसी बातें झलक रही थीं जिनसे प्रकट होता था कि श्यामा प्रसाद जी के विचार में कुछ मौलिक परिवर्तन होगा और उनके

कार्यक्रम में भी उसके फलस्वरूप कुछ परिवर्तन होंगे, इससे मैं भी सहमत हूं। श्यामा प्रसाद जी इस समय तो इस दुनियां से उठ गये हैं मगर उनकी निर्भीकता, उनका साहस और उनकी कर्तव्य-परायणता जो थी वह हमें बराबर प्रेरित करती रही है। यह सही है कि हमारे और श्यामा प्रसाद जी के राजनैतिक विचारों में बहुत ही गहरा और मौलिक मतभेद रहा है, मगर मौलिक राजनीतिक विचारों का भेद रखते हुए भी जो कुछ मानवीय मूल्य हैं उन मूल्यों के प्रति हर आदमी को आज नतमस्तक होना ही पड़ेगा। उसी को जब मैं सामने रखता हूं तो देखता हूं कि श्यामा प्रसाद जी की जिस तरह से मृत्यु हुई और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा भी कि आज लोगों को तरह-तरह की शंकायें होती हैं, यह बात सही है। हमारे अपने भी कुछ विचार हैं। इस देश के बहुत से विभिन्न राजनैतिक नेताओं के भी विचार सुनने में आये हैं। हमारे एक अन्तरंग मित्र हैं जो बंगाल से आये हैं, उनसे भी बहुत सी बातें सुनने में आई हैं। उन बातों को सुनने के बाद मेरा निश्चित मत है कि जो पत्र उन्होंने अपनी सिस्टर-इन-ला को लिखा था उसमें उन्होंने क्रमशः अपनी बीमारी की चर्चा की थी तथा इसके साथ-साथ बहुत से पत्रों की जो चर्चा हुई है उनके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिये। जहां हम श्यामाप्रसाद जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं वहां हम यह भी चाहते हैं कि आज इस उलझन के वातावरण में और इस उलझी हुयी राजनीति के वातावरण में सारी परिस्थितियां साफ हों, स्वच्छ हों, इसके लिये इस बात की आवश्यकता है कि श्यामाप्रसाद जी की मृत्यु के कारणों पर कुछ प्रकाश पड़े ताकि जिनके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का भ्रम हो वह निवारण हो। श्रीमान्, जहां तक कि मेरी जानकारी है मैं आपके द्वारा इस सदन को भी यह बतलाना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद जी की मृत्यु के बाद उनकी जो दैनिक डायरी थी उस दैनिक डायरी के बारे में आज यही बात प्रकट हो पाई है कि उस दैनिक डायरी का पता नहीं चल पा रहा है कि कहां है? इसलिये मैं चाहता हूं कि कोई न कोई ऐसी परिस्थिति पैदा की जाय, कोई न कोई इस तरह की समिति जांच करने के लिये बनाई जाय जिसके ज़रिये से जितनी भी बातें हैं श्री श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की मृत्यु के बारे में वह सब परिस्थिति देश के नागरिकों के सामने आ जायं और सब लोगों के सामने आ जायं।

श्रीमन्, कुछ धीमे-धीमे स्वरों में मैं अपने पुराने साथियों की ओर से जो इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं यह सुन रहा हूं कि श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की मृत्यु के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं वह सबके सामने और बाहर नागरिकों के सामने आवें ताकि देश के अन्दर किसी भी प्रकार के राजनीति के लोगों के अन्दर ऐसी बात घर न करने पावे और यह न कहा जाय कि आज सत्ताधारी लोग मुख्तलिफ विचार रखने वालों के प्रति बड़ा षडयंत्र कर रहे हैं। यदि इस प्रकार की भावना देश में घर करती है तो वह देश के लिये अनिष्ट हुआ करती है और वह अनिष्ट देश में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करता है जिससे वातावरण शान्त नहीं रह सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी के लोगों की ओर से श्री मुखर्जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी समवेदना तथा सहानुभूति उनके परिवार के लोगों के पास पहुंचाई जाय।

इसके अलावा हमारे इस सदन के तीन और सम्मानित सदस्य भिन्न-भिन्न कारणों और परिस्थितियों से आज हमारे बीच में नहीं रह गये हैं। एक तो हमारे मित्र श्री फतेह सिंह जी, जो एटा से यहां पर आते थे कर्मठ और नौजवान थे और वह बड़े ही साहसी थे। हम चाहते हैं कि हमारी ओर से और हमारी पार्टी की ओर से हमारी समवेदना उनके परिवार तक पहुंचायी जाय। परन्तु इसके साथ ही श्रीमन्, हम यह भी चाहते हैं कि जहां हमारी समवेदना उनके यहां पहुंचाई जाय वहां यह भी हो कि आज जिस परिस्थिति के कारण ऐसे कर्मठ लोगों की मृत्यु हो रही है और हत्या की जा रही है उस परिस्थिति के ऊपर गहरा विचार किया जाय ताकि आगे इस तरह के नौजवानों की मृत्यु के ऊपर इस सदन में, इस प्रकार से गोली मार कर या और किसी दूसरे कारण से उनकी हत्या होने के बाद हम लोगों को समवेदना प्रकट करने का अवसर पैदा न हो।

[श्री राजनारायण]

श्री चन्द्रपाल जी वाजपेयी की मृत्यु से हम लोगों को बहुत अफसोस है। मैंने उनके साथ बहुत दिनों तक एक स्थान पर रह कर कार्य किया है और जब कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही की ताकत का हिन्दुस्तान पर खूनी पंजा जमा हुआ था उस समय हमारे और इनके विचारों में बहुत समानता थी और यह हमारे साथ रह कर काम किया करते थे। मगर आगे चलकर उनके विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के फलस्वरूप वह हमसे अलग रहे। इससे उनको कुछ मानसिक कष्ट भी था और वह मानसिक कष्ट बराबर उनके शरीर से और उनकी आकृति से प्रकट हुआ करता था। हमें इसमें कोई शक नहीं है कि जो आर्थिक परिस्थिति श्री चन्द्रपाल जी वाजपेयी के लिये पैदा हो गयी उस परिस्थिति का उनके ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उससे उनका शरीर बिलकुल जर्जर हो गया और उस जर्जर शरीर में जिस व्यापक क्षमता की आवश्यकता है और जो क्षमता होनी चाहिये वह उसको खो बैठ। इसलिये वह आज हमारे बीच में नहीं रह गये हैं। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी के तमाम सम्मानित सदस्यों की ओर से इस सदन के द्वारा यह चाहता हूं कि यह हमारी समवेदना उनके परिवार के लोगों के पास भेज दी जाय।

श्री स्वामी सत्यानन्द जी के लिये मैं थोड़े में बयान करूं तो यह है कि स्वामी जी बहुत ही शान्तिप्रिय और सच्चे कार्यकर्ता थे। मेरा करीब डेढ़ साल उनके साथ जेल में रहना हुआ। उसके बाद वह तो छूट गये थे और हम लोगों को बहुत दिनों तक उसके बाद भी जेल में रहना पड़ा था। स्वामी जी बहुत निर्भीक और सत्यनिष्ठ थे। उनके भी अपने निजी कुछ विचार थे और वह अपने विचारों के कारण कभी-कभी दलगत राजनीति से ऊपर आने के लिये उबाल खाया करते थे और उनके जीवन में ऐसे अवसर आये हैं कि उन्होंने, जहां तक मैं समझ पाया हूं, दलगत प्रेशर से ऊपर आने की कोशिश की है और उनके उद्गार इस सम्मानित सदन के सदस्यों को भी सुनने को मिले हैं। ऐसे कर्मठ और तपस्वी व्यक्ति का, राजनैतिक मतभेद रहते हुये भी, हमारे बीच से उठ जाना राज्य के लिये श्रेयस्कर नहीं है। यह शुभ लक्षण और कल्याणकारी भी नहीं है। स्वामी सत्यानन्द जी अपने विचारों को रखते हुये भी मानवता के प्रेमी थे और राजनैतिक विचारों से ऊपर उठ कर मानवता के प्रति उनके दिल में सम्मान था जिसकी हम सराहना करते हैं।

श्रीमन्, मैं इन थोड़े से शब्दों में स्वामी सत्यानन्द जी के परिवार के प्रति अपनी समवेदना प्रकट करता हूं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं, श्री फ़तेह सिंह जी, श्री चन्द्रपाल वाजपेयी जी और स्वामी सत्यानन्द जी के निधन के बारे में जो उन्होंने कहा है और प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गुणों की चर्चा करते समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि दुर्भाग्यवश डाक्टर साहेब का देहान्त ऐसे समय में हुआ जब कि भारतवर्ष एक गम्भीर परिस्थिति में फंसा हुआ है। यह उन्होंने बिलकुल सही कहा और यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि जिस राजनैतिक अंधकार के बीच से भारतवर्ष इस समय गुजर रहा है उस समय उनका देहान्त हुआ। जिन व्यक्तियों के द्वारा लोकसभा में इस अंधकार को दूर करने की चेष्टा की जाती थी उनका चल बसना भारतवर्ष के लिये वास्तव में एक अत्यन्त हानिकारक चीज है। अधिक न कह कर मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूं कि जिस कार्य के लिये माननीय डाक्टर साहब ने अपनी जान भी दे दी उस कार्य साधन को सरकार ऐसे ही अन्ध विश्वास या किसी और कारणवश न टाल दे किन्तु उस कार्य की साधना अपने हाथ में लेकर उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने की चेष्टा करे।

श्री अध्यक्ष--इस सदन में सदन के नेता तथा और पार्टियों के नेताओं ने जो भावनायें श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री फ़तेह सिंह जी, श्री चन्द्रपाल वाजपेयी तथा श्री स्वामी सत्यानन्द जी के निधन पर प्रकट की मैं उनके साथ अपने विचारों को रखता हूं। जो विचार उन महानुभावों के गुणों और देश सेवाओं के बारे में व्यक्त किये गए मैं उनसे सहमत हूं। इस समय जब कि हम शोक प्रदर्शित कर रहे हैं और हमारा हृदय दुख से भरा हुआ है उस वक्त विचारों में कटुता नहीं आनी चाहिये थी और अन्य विवाद की बातों के लिये कोई दूसरा समय हो सकता था। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के सम्बन्ध में किसको दुख नहीं, चाहे वह उनके मतों से सहमत हों या न हों? हर मत के लोगों ने हिन्दुस्तान भर में दुख प्रकट किया है। मुझसे उनका सम्बन्ध बहुत थोड़ा सा ही रहा, लेकिन मैं उनके कार्यों के बारे में सदैव ध्यानपूर्वक अखबारों के जरिये से ज्ञान प्राप्त करता रहा हूं। मैं यह कह सकता हूं कि वह हमारे देश के महान् व्यक्तियों में से थे। वह निर्भीक, ऊंचे आदर्श रखने वाले, सद्-चरित्र और अपने पिता तथा कुटुम्ब का नाम ऊंचा उठाने वाले थे। पहिली दफा मैं उनसे उस समय मिला था जब कि केन्द्र में मंत्री थे और लखनऊ में श्रीमती विजयलक्ष्मी जी के यहां वे ठहरे हुये थे। मेरी जो श्रद्धा उनके पिता तथा कुटुम्ब के प्रति थी, मैं स्पष्ट कहूं कि एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि वे अपने पिता जी की तुलना में शायद कुछ कम बैठें। जैसे-जैसे उनसे बातें हुईं और उनके ज्ञान का भंडार मेरे सामने स्पष्ट व्यक्त हुआ, उनकी बातचीत की शैली जो मैंने देखी, वह सबके साथ एक ही तरह से खुले हृदय से बात करते थे चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बड़े प्रेमपूर्वक उन्होंने बातें कीं, तो मेरे दिल में उनके प्रति श्रद्धा अधिक बढ़ी। उनकी मृत्यु के थोड़े ही दिन पहले मेरी उनसे फिर मुलाकात तब हुई जब कि मैं दिल्ली जा रहा था। वे कलकत्ते से आ रहे थे और डाक्टर काटजू कानपुर से और हम तीनों हवाई जहाज से वहां गये थे। उस समय किसको कल्पना हो सकती थी कि इतनी जल्दी उनका देहान्त हो जायगा? हम लोग तो उस समय यही विचार कर रहे थे कि वह काश्मीर में जो जम्मू का आन्दोलन छिड़ा हुआ है उसके लिये कोई नया स्वरूप देकर हमारे देश में साम्प्रदायिकता का जो बड़ा भारी रोग है उसकी दवा एक डाक्टर की हैसियत से करने वाले हैं। यह मेरे दिल में आशा उस समय उत्पन्न हुई और उसकी ओर संकेत माननीय मुख्य मंत्री तथा विरोधी दल के नेता ने भी किया। इस आशा से मुझे थोड़ा आनन्द भी था कि अब एक नया रास्ता अख्तियार किया जायगा और हमारे हजारों नौजवान एक नया रास्ता स्वीकार करेंगे, हमारे समाज का कल्याण होगा, समाज में मजबूती आवेगी और प्रजातन्त्र के सिद्धान्त और आगे बढ़ेंगे। लेकिन, वह आशा पूरी नहीं हुई। बड़ा धक्का हमको लगा जिससे कि मैं समझता हूं कि वर्षों तक हमें छुटकारा नहीं मिलेगा क्योंकि हमको यह प्रतीक्षा करनी होगी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो रचनात्मक रीति से बहके हुए दिलों को सही रास्ते पर लाने वाला हो, उत्पन्न हो।

सदन ने उनके प्रति जो श्रद्धा व्यक्त की है और उनके कुटुम्ब के प्रति जो संवेदना और सहानुभूति प्रकट की है, सदन की तरफ से वह भेज दूंगा। साथ ही हमारे ३ साथियों की मृत्यु भी हमारे दिलों में बड़ा दर्द और बड़ा दुःख उत्पन्न करती है। विशेषकर फतेह सिंह जी की मृत्यु जिस ढंग से हुई उससे बहुत बड़ा धक्का हमारे सार्वजनिक जीवन को भी लगा है। एक इस सदन के सदस्य को मार डाला जाय, जब कि हम जानते हैं कि वह एक निर्लोभी देश सेवा करने वाले व्यक्ति थे और हमने उनमें कभी घमण्ड को भी नहीं देखा कि बड़ी डींग हांकते हों, पदलोलुपता नहीं देखी बल्कि उनको मनाकर ही लोगों ने उन्हें सदस्य बनाया था।

दूसरे श्री चन्द्रपाल जी वाजपेयी रायबरेली के बड़े कार्यकर्ताओं में से थे। रायबरेली के लिये उनके जाने से जो कमी हुई है उसकी पूर्ति करना बहुत समय तक के लिये कठिन होगा। रायबरेली और श्री चन्द्रपाल जी वाजपेयी का, इन दोनों का ऐसा सम्बन्ध था कि जब भी रायबरेली का जिक्र हो तो हर एक की जबान पर श्री चन्द्रपाल जी वाजपेयी का नाम आता रहा और

[श्री अध्यक्ष]

उनकी वह सौम्य मूर्ति और सज्जनता की शक्ल हम लोगों की नजर के सामने आती रही। वह सदैव ही देश की और रायबरेली की सेवा किया करते थे, वह एक कर्मठ व्यक्ति और रचनात्मक कार्य करने वाले कार्यकर्ता थे। उनका हमारे बीच से उठ जाना बड़े दुःख की बात है। हम अपने शोक को संवरण करके उनके कुटुम्ब के लिये सहानुभूति और संवेदना भेजना अपना कर्त्तव्य समझते हैं।

स्वामी सत्यानन्द जी से भी मेरा २०-२५ वर्ष से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। मैं उनको गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाला अपना एक साथी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सर्वमान्य साथी समझता था। सदैव उनकी मूर्ति हमारे सामने रहती थी, चर्खे के साथ, तकली के साथ, चाहे किसी पद पर हों, चाहे कहीं पर बैठे हों और कोई कार्य करते हों, वह महात्मा जी का अनुकरण अपने जीवन में करने का प्रयत्न करते थे; उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट के नाते से भी बहुत कुछ शिक्षा सम्बन्धी सुधार अपने जिले में करने का प्रयत्न किया। सफलता या असफलता यह तो किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, वह तो भगवान के ही हाथ में है, लेकिन कर्तव्यपरायणता और कर्मठता उनके विशेष गुण थे और वह एक उच्चकोटि के कार्यकर्ता और देशसेवक थे। हम लोग अपनी संवेदना उनके कुटुम्ब के प्रति भेजें यह स्वाभाविक ही है, उनके निधन से जो धक्का हम लोगों को पहुंचा है उसका कोई अन्दाजा नहीं हो सकता क्योंकि उनकी कमी हमारे समाज में से पूरी होना बहुत मुश्किल बात है। बीसों बरसों की तपस्या के बाद ही ऐसे मनुष्य तैयार होते हैं। उनकी मृत्यु से आजमगढ़ के लिये तो महान् क्षति हुई है, यह क्षतिपूर्ति तभी हो सकती है जब भगवान् वहां के किसी कार्यकर्ता को प्रेरणा दें कि वह उनका अनुकरण करे। ऐसी ही हम आशा करते हैं और भगवान् से प्रार्थना करते हैं कि इन चारों महान् व्यक्तियों के निधन पर उनके कुटुम्ब के लिए सहानुभूति और संवेदना मैं इस सदन की ओर से भेज दूंगा।

अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपनी सहानुभूति और शोक प्रकट करने के लिये २ मिनट शान्त खड़े होकर उन महान् आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(सब सदस्य २ मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--नियम के अनुसार मेरा यह कर्तव्य है कि इस सदन के जो माननीय सदस्य कहीं गिरफ्तार हो जायं या उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाय उसके विषय में मैं सदन को सूचना दे दूं।

इस सदन के माननीय सदस्य श्री उम्मेदसिंह धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार हुए और मैजिस्ट्रेट ने मुकदमा चलाकर उनको तीन मास तक के कठोर कारावास का दंड दिया है।

उसकी सूचना मैंने माननीय सदस्यों को अलग से दे दी थी। लेकिन इस समय भी मैं सदन को सूचना दे देना उचित समझता हूं।

दूसरे श्री राजनारायण जी, क्रिमिनल प्रोसीडर कोड की धारा १४४ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे। अब इस समय जमानत पर हैं। यह गोरखपुर की बात है।

तीसरे श्री अवध शरण वर्मा के सम्बन्ध में जिलाधीश बाराबंकी लिखते हैं--

"मुझे आपको यह सूचित करना है कि विधान सभा के सदस्य श्री अवधशरण वर्मा उपनाम लल्ला जी को भारतीय दंड विधान (आई० पी० सी०) की धारा १४७/१४८/३२३/३७९ के अन्तर्गत इस जिले के थाना सफदरगंज के एक मुकदमें में अभियुक्त नामांकित किया गया है। घटना १३ जून, १९५३ को हेतमपुर ग्राम में हुई। अतः श्री

वर्मा को गिरफ्तार किया जा रहा है और उसके उपरान्त उन्हें जमानत पर छोड़ दिया जायगा।" इसके बाद कोई इत्तला नहीं आयी।

श्री श्यामाचरण वाजपेयी पर इंडियन पेनल कोड की धारा ३२९/१०९ के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है और मुकदमा कोर्ट आफ सेशंस को सिपुर्दकर किया गया है। यह इत्तला है।

अधिष्ठाता मंडल की नियुक्ति

श्री अध्यक्ष--इस सदन के लिए अधिष्ठाता मंडल के निम्नलिखित सदस्य बन जाते हैं। वही सदस्य हैं, जो पहले थे--

१--श्री बेचनराम गुप्त,
२--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी),
३--श्री कैलाश प्रकाश,
४--श्री जयपाल सिंह,
५--श्रीमती प्रकाशवती सूद,
६--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल,
७--श्री सुल्तान आलम खां,
८--श्री सुरेश प्रकाश सिंह,
९--श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी,
१०--श्री मलखान सिंह।

याचिका समिति के सदस्यों की नियुक्ति

श्री अध्यक्ष--याचिका समिति में भी वही पुराने सदस्य कायम रखे जाते हैं--

१--श्री हरगोविन्द पन्त, उपाध्यक्ष
२--श्री विष्णुशरण दुब्लिश,
३--श्री बाबूराम गुप्त,
४--श्री इरतजा हुसैन तथा
५--श्री नारायणदत्त तिवारी।

इसमें श्री हरगोविन्द पन्त, डिप्टी स्पीकर, इसके सभापति रहेंगे।

आजमगढ़ जिले में ग़लत इंदराज और बेदखली के विरुद्ध सत्याग्रह करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मेरे पास काम रोको प्रस्ताव भेजे गये हैं। अब मैं सिलसिले से उनको ले लेता हूं।

श्री झारखंडे राय जी का पहला प्रस्ताव है--

"उत्तर प्रदेश प्रजा समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ जिले में आगामी ९ अगस्त से ग़लत इन्दराज और बेदखली के विरुद्ध सत्याग्रह आरम्भ करने का निश्चय किया है।

[श्री अध्यक्ष]

"उत्तरप्रदेश किसान सभा ने इसका स्वागत किया है और उसने भी ९ अगस्त से बेदखली विरोधी आन्दोलन को और तेज करने का निश्चय किया है।

"अतः इस गलत इन्दराज और बेदखली के कारण उपरोक्त दो जन संस्थाओं ने जो आन्दोलन सम्बन्धी निर्णय किये हैं उससे उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।"

मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि नियम के अनुसार कोई घटना ऐसी होनी चाहिये जो कि अभी तात्कालिक हुई हो अर्थात् "रीसेंट आकरेंस" हो। घटना हुई नहीं "होने वाली" है। न भी हो, कोई निश्चय नहीं और कोई बीच में ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे वह घटना न घटे। अतः उसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव नियम के अनुसार नहीं लाया जा सकता। इसकी मैं मंजूरी नहीं देता हूं।

प्रदेश के अनेक भागों में भयंकर बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा श्री गेंदा सिंह जी का प्रस्ताव है--

"प्रदेश के अनेक भागों में भयंकर बाढ़ से उत्पन्न अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसका महत्व तो सर्वमान्य है। बाढ़ की परिस्थिति कई जगह उत्पन्न हो गयी है और उसकी अर्जेंसी के सम्बन्ध में भी मैं कह सकता हूं कि वह भी दिखाई देती है, सकृत दर्शन से स्पष्ट है, यानी "प्रायमाफेसी" दिखाई देती है। इसलिये मैं माननीय सदस्य को इजाजत देता हूं कि वह मुझे इसकी निश्चितता बतलाएं। मुझे इसकी निश्चितता में शक है। क्योंकि प्रस्ताव निश्चित भी होना चाहिये। "कहां की बाढ़" उसमें स्पष्ट नहीं है। इसलिये उसके पहले कि मैं फैसला करूं कि माननीय सदस्य को सदन से इजाजत मांगने की अनुमति दूं, गेंदा सिंह जी इसको स्पष्ट कर दें। उनको मैं मौका देता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर पिछले करीब तीन सप्ताह से घाघरा, बड़ी गंडक, राप्ती, छोटी गंडक और ऐसी ही छोटी-छोटी नदियों में बाढ़ आने की सूचना मैं समझता हूं अखबारों के द्वारा सभी को मिली होगी। परन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ऐसी जगह से आता हूं जो सौभाग्य परन्तु इस समय दुर्भाग्य से कई बड़ी-बड़ी नदियों से घिरा हुआ है। मेरा जिला घाघरा से, बड़ी गंडक से और राप्ती से घिरा हुआ है। लेकिन देवरिया का ही अकेला मामला नहीं है, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बनारस, गोंडा का कुछ हिस्सा, बहराइच का कुछ हिस्सा, बस्ती और सीतापुर का कुछ भाग डूबा हुआ है। आज यह भी सूचना मिली है कि मुरादाबाद में भी, बरेली में भी रामगंगा की बाढ़ से सैकड़ों गांव तबाह हैं। घाघरा, गंडक, राप्ती इन नदियों से तो हजारों गांवों को नुक़सान पहुंचा है, यह सबको मालूम ही है।

और इस बीच में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो अवस्था पैदा हो गयी है उस अवस्था का मामूली तरीके पर सुधार हो जाय सम्भव नहीं मालूम होता। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार का ध्यान दिलाने के लिये और उन लोगों के बचाव के लिए और आगे के लिए भी बाढ़ से हिफाजत की जाय आवश्यक मालूम होता है इसलिये ऐसे काम-रोको प्रस्ताव पर विचार करने का आप अवसर अवश्य दें।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—मैं समझता हूं कि नियमों के अनुसार तो काम रोको प्रस्ताव हो नहीं सकता क्योंकि इसमें बाढ़ का जो विषय है, सरकार कोई बाढ़ तो लाई नहीं और इतना तो शायद विरोधी दल के लोग भी कहेंगे कि इतनी सत्ता सरकार में नहीं है कि जब चाहे तो बाढ़ ले आवे और इसमें कोई वैसी डेफिनिटनेस भी नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं कि यह विषय अहम है और इससे हमारे प्रदेश में इस समय कई जगहों में हानि हुई है और इसके सम्बन्ध में यहां हमारी विधान सभा में कुछ विचार विनिमय हो जाना अच्छा है। तो यद्यपि कोई ऐजर्नमेंट नहीं हो सकता तथा मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि किसी भी दिन इस हफ्ते में आप दो घंटे इसके ऊपर वाद विवाद के लिए या विचार विनिमय के लिये दे दें, ताकि इसमें हमें सदन के सभी सदस्यों के रचनात्मक प्रस्ताव मिल सकें और इस काम को करने में हम सभी जहां तक हो मिल-जुल कर चल सकें।

श्री अध्यक्ष—माननीय गेंदा सिंह जी, मैं समझता हूं यह सुझाव आप स्वीकार करते हैं।

श्री गेंदा सिंह—केवल एक बात से माननीय मुख्य मंत्री जी से इत्तफाक न करते हुए भी मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव को स्वीकार करने में मुझे खास दिक्कत नहीं मालूम होती। यह एक बात मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा काम रोको प्रस्ताव है उस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता था कि यह सही है कि यह एक दैवी प्रकोप है, कोई सरकार ऐसे प्रकोपों से रक्षा करने में पूर्णतः सफल नहीं हो सकती लेकिन जो सरकार की तरफ से हो सकता है उसके करने में हमारी सरकार नाकामयाब रही हो और उसके करने में उसने ढिलाई की हो तो उसकी चर्चा होना आवश्यक है और इसके सिलसिले में मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को कि हमारी इस विधान सभा की तरफ से एक बाढ़ की रोक-थाम करने के लिए और बाढ़ से कुछ और तरह के लाभ उठाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी...

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—विधान सभा ने नहीं गवर्नमेंट ने बनाई थी।

श्री गेंदा सिंह—मैं ऐसा ही समझता था। अगर सरकार ने बनाई थी तो उसकी सराहना करने लायक काम है। तो उस कमेटी जिस कमेटी के सदर हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी हैं जो इस समय इस भवन में मौजूद हैं, आज तक कोई रिपोर्ट न आ सकी और न उसकी कोई बैठक ही हुई है बावजूद इसके कि कई बार इसके सम्बन्ध में यहां चर्चा भी हुई इसके बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि कुछ मकानात बनाने की बात की गई कि ऐसी जगहों पर कुछ मकान बना दिये जायं जिसमें लोग ऐसे मौकों पर डूब न सकें.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि विचार के लिए समय जब मिलेगा उस समय आप इन सब बातों पर विचार कर सकेंगे। आप यह बतलाइये कि सुझाव आप स्वीकार करते हैं या कोई सुझाव और आपके दल के नेता दे सकते हैं?

श्री गेंदा सिंह—उसी सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता था कि दो घंटे का समय जो मुख्य मंत्री जी ने दिया है वह कुछ कम मालूम होता है कुछ और अधिक समय दिया जाय जिससे चर्चा हो सके क्योंकि बाढ़ का बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि ऐसा तो है नहीं कि बाढ़ फिर नहीं आ सकती और इस समय बाढ़ है तो फिर जितनी जल्दी माननीय मुख्य मंत्री जी समय निकाल सकें निकालें ताकि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार हो सके।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आधे दिन का समय तो इस प्रश्न पर विचार के लिए काफी हो जायगा। यानी सवा दो बजे से पांच बजे तक काफी होगा। माननीय मुख्य मंत्री जो अगर स्वीकार करें तो सवा दो बजे और पांच बजे के बीच का समय किसी रोज इस हफ्ते में जो उचित समझें मुझे बता दें।

श्री गेंदा सिंह--हां, मुझे कोई खास आपत्ति इसमें नहीं है। सवा दो बजे से पांच बजे तक का समय ही रख दिया जाय।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मगर मैं समझता हूं कि गेंदा सिंह जी उस दिन जरा ज्यादा इस तरह से विचार करके आवेंगे कि इस काम को अच्छा कैसे किया जा सकता है बमुकाबिले इन बातों के कि जिनमें कोई खास मदद इस वक्त मिलती नहीं। एक रचनात्मक दृष्टिकोण इन बातों में होना चाहिए। मैं ज्यादा उनकी बातों का जवाब नहीं देता क्योंकि वह अनावश्यक है। इस वक्त तो जो बाढ़ जो हो रही है और उससे जो व्यथा पहुंच रही है उसको जिस तरह से कम या दूर किया जा सकता है, उसी पर विचार करना आवश्यक है न केवल सरकार के द्वारा बल्कि जनता के द्वारा भी।

श्री अध्यक्ष--मैं पूछता हूं कि क्या कल हो सकेगा?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं समझता हूं कि एक दो दिन के बाद हो तो अच्छा है क्योंकि आजकल परिस्थिति बदल रही है और रोज जहां पानी आ गया था वहां से निकल रहा है। एक दो दिन बाद जो परिस्थिति होगी उसका स्थायी रूप से कुछ अन्दाजा लगा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष--तो आप बृहस्पतिवार को ले लीजियेगा, यही ठीक रहेगा। बृहस्पतिवार को सवा २ बजे से ५ बजे तक इसके ऊपर चर्चा होगी।

बाकी जो काम रोको प्रस्ताव हैं उनको मैं कल ले लूंगा क्योंकि मेरे पास सब अचानक आ जाने से उनके ऊपर विचार करने का मुझे मौका नहीं मिला। बाकी के ऊपर मैं कल अपना निर्णय दूंगा।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ८ अक्तूबर, १९५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १६ अक्तूबर, १९५२ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति २६ अक्तूबर, १९५२ को प्राप्त हो गई और वह १९५२ का उत्तर प्रदेश का २६ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ अगस्त, १९५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २२ सितम्बर, १९५२ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति २६ अक्तूबर, १९५२ को प्राप्त हो गई और वह १९५२ का उत्तर प्रदेश का २७ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ९ सितम्बर, १९५२ को बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ११ अक्तूबर, १९५२, की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति १ नवम्बर, १९५२ को प्राप्त हो गई और वह १९५२ का उत्तर प्रदेश का २९ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) विधेयक, १९५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ अगस्त, १९५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २२ सितम्बर, १९५२ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति ५ नवम्बर, १९५२, को प्राप्त हो गई और वह १९५२ का उत्तर प्रदेश का ३० वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १९ सितम्बर, १९५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १३ अक्तूबर, १९५२ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति ७ नवम्बर, १९५२, को प्राप्त हो गई और वह १९५२ का उत्तर प्रदेश का ३१ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२–५३ का द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल), १९५३

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग, (१९५२–५३ का द्वितीय पूरक), विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल), १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २० फरवरी, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २३ फरवरी, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति ६ मार्च, १९५३ को प्राप्त हो गई और यह १९५३ का उत्तर प्रदेश का ११वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल), १९५३

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल), १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २५ मार्च, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २६ मार्च, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति ३१ मार्च, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का १२वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सैपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २७ फरवरी, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३१ मार्च, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति १४ अप्रैल, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का १३वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि-आय कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३१ मार्च, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २० अप्रैल, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति ८ मई, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का १४ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १६ अक्तूबर, १९५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ अक्तूबर, १९५२ की बैठक में कतिपय संशोधनों सहित पारित किया था और जिन्हें उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २४ दिसम्बर, १९५२ की बैठक में स्वीकार किया तथा विधेयक को पुनः पारित किया, राष्ट्रपति की अनुमति २१ मई, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का १५वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १० जनवरी, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २० फरवरी, १९५३ की बैठक में कतिपय संशोधनों सहित पारित किया था और जिन्हें उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १० मार्च, १९५३ की बैठक में स्वीकार किया तथा विधेयक को पुनः पारित किया, राष्ट्रपति की अनुमति १२ जून, १९५३ को प्राप्त हो गई और यह १९५३ का उत्तर प्रदेश का १६ वां अधिनियम बन गया।

*उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अध्यादेश, १९५३

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अध्यादेश, १९५३ की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

*उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अध्यादेश, १९५३

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अध्यादेश, १९५३ की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

*उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने की) (चतुर्थ) आज्ञा, १९५३

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं १९५० ई० के उत्तर-प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४२ की उपधारा (३) के अनुसार, उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने की) (चतुर्थ) आज्ञा, १९५३ की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

---

*छापा नहीं गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में विवाद के लिये कोई दिन निश्चित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---इसे तो माननीय राजस्व मंत्री जी ने खुद रखा है।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें विवाद का प्रश्न उठता नहीं है।

श्री अध्यक्ष---इस सदन की राय लेने का?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, दफा ४४ में जो नियम बनाये जायं या जो संशोधन हों उसमें सदन की राय लेने का सवाल उठता है, लेकिन ३४२ के मातहत जो आर्डर्स जारी होंगे उनमें कोई राय लेने का सवाल नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष---(श्री नारायण दत्त तिवारी से) अगर आप कोई नियम बतायें तो उस पर विचार करके मैं इसके विषय में अपना निर्णय दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---नियम होता तो मैं पहले ही कहता।

श्री अध्यक्ष---तो फिर आपको चाहिये कि आप सरकार से प्रार्थना करें कि आप बहस करना चाहते हैं और अगर वह मंजूर करे तो ठीक है वैसे अगर यह नियम के अनुसार नहीं है तो मैं इजाजत नहीं दूंगा।

*उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधन से सम्बद्ध विज्ञप्तियां

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---मैं सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गयी १९५१ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों से सम्बद्ध माल (अ) विभाग की विज्ञप्तियां सं० २०१६/१ (अ)---४६३/१९५२, दिनांक ११ अप्रैल, १९५३, सं० २०१६/१ (अ)---४६३/१९५२, दिनांक २२ अप्रैल, १९५३, सं० ३५४८/१ (अ)---१०५९/१९५३ दिनांक १३ जून, १९५३ तथा सं० ४४९४/१ (अ)---१०७३/१९५३, दिनांक २९ जून, १९५३ की प्रतिलिपियां मेज पर रखता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं, जो अभी माल मंत्री जी ने नियम उद्धृत किया है, उसके अनुसार प्रार्थना करता हूं कि विज्ञप्ति सं० २०१६/१ (अ) ४६३/१९५२, दिनांक ११ अप्रैल, १९५३ है उसके संबंध में विवाद करने की इजाजत दी जाय।

श्री चरण सिंह---मैं समझता हूं कि इसके लिये बाकायदा एक मोशन हाउस के सामने आना चाहिये। यह कोई समय नहीं है, वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष---मैं इसका विचार करके निर्णय दूंगा।

*मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत परिवहन विभाग की विज्ञप्तियां

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---मैं मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार परिवहन विभाग की विज्ञप्तियां सं० ५७२९ टी०/३०-१४२ टी-३१-५२-दिनांक ६ फरवरी, १९५३/सं० ५७४० टी० पी०/३०-(१४२) ३-टी/५१, दिनांक १४/२० फरवरी, १९५३ तथा संख्या ९६२-टी/३०-७८१-टी-४९,

*छापी नहीं गयी।

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

दिनांक १८ अप्रैल, १९५३, जिनसे यू० पी० मोटर वेहिकिल्स, १९४० में संशोधित किये गये हैं, की प्रतिलिपियां मेज पर रखता हूं।

*यूनाइटेड प्राविंसेज एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स ऐक्ट, १९४८ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत माल विभाग की विज्ञप्ति

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मैं यूनाइटेड प्राविंसेज एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स ऐक्ट, १८४८ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार माल (स) विभाग की विज्ञप्ति सं० ३७४९/१ (स) –५१ (२५) स ४९–दिनांक ३० मार्च १९५३, जिससे यू० पी० एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स रूल्स, १९४९ में संशोधित किये गये हैं, की प्रतिलिपियां मेज पर रखता हूं।

यू० पी० सेल्सटैक्स रूल्स, १९४९ में किये गये संशोधनों की द्वितीय सूची*

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—मैं यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार यू० पी० सेल्स टैक्स रूल्स, १९४९ में किये गये संशोधनों की द्वितीय सूची की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक, १९५३

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक, १९५३ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६४—६६ पर)

कार्य-क्रम की सूची पर आपत्ति

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार का कार्यक्रम जो आपके द्वारा हम लोगों को मिला है उसकी सूची को देखकर और आज की कार्यक्रम की सूची में बड़ा अंतर है और हम विरोधी दल के जो लोग हैं उनके तैयार होने में और यह समझने में कि सरकार कौन सा बिल पहले लेगी यह जानने में बड़ी दिक्कत होती है।

श्री अध्यक्ष—मैं राजा साहब से यह बात कहूंगा कि इसका यह मौका नहीं है। इस समय तो यह विधेयक पुरःस्थापित हो रहे हैं। जब इन पर विचार करने का समय आयेगा, उस वक्त आप आपत्ति उठा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९५३

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९५३ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६७—६८ पर)

उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य (संशोधन) विधेयक, १९५३

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य (संशोधन) विधेयक, १९५३ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६९—८३ पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन,) १९५३, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७०—८३ पर)

---

* छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश ओपियम स्मोकिंग (संशोधन) विधेयक, १९५३

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश ओपियम स्मोकिंग (संशोधन) विधेयक, १९५३ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८४—८५ पर)

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) विधेयक, १९५३

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—श्रीमन् मैं उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) विधेयक, १९५३ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८६—९१ पर)

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ़ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यात तथा वैधीकरण) विधेयक, १९५३

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९५३ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९२—९३ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण (अनुपूरक) विधेयक, १९५३

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण (अनुपूरक) विधेयक, १९५३ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९४ पर)

उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) विधेयक, १९५३

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मैं उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) विधेयक, १९५३ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९५ पर)

प्राविडेंट फंड्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—मैं प्राविडेंट फंड्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ९६ पर)

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—मैं मोटर वेहिकिल्स (उत्तर-प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ९७ पर)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक, १९५३

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर-प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

कार्यक्रम की सूची पर आपत्ति

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आपके सम्मुख यह रखना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम हम लोगों को २३ जुलाई को भेजा गया था उसमें जो सरकार की ओर से बिल भेजे गये थे उनमें जिस तरीके से नम्बर लगाये गये उसमें और आज के एजेंडे में हम बहुत फर्क देखते हैं। आज जो बिल माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उसका नम्बर छठवां आता है।

श्री अध्यक्ष---उसमें क्या लिखा है ?

राज वीरेन्द्र शाह---उसमें पहला नम्बर मोटर वेहिकिल्स संशोधन विधेयक का है, दूसरा नम्बर ओपियम स्मोकिंग संशोधन विधेयक, तीसरा गन्ना विधेयक और उसी तरह से यह छठवें नम्बर पर आता है।

श्री अध्यक्ष---क्या उसमें क्रम दिया है कि इस क्रम से लिये जायेंगे ?

राजा वीरेन्द्र शाह---उसमें सूची इस तरीके से लिखी हुई है। मैं आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक सरकार यह नहीं बतलायेगी कि किस-किस दिन किस-किस बिल पर विचार होगा तब तक विरोधी दल के लोग अच्छी तरह से उसको पढ़कर नहीं आ सकते। इसलिये कम से कम एक हफ्ते का प्रोग्राम हमको मालूम होना चाहिये ताकि उसी सिलसिले से हम बिलों का अध्ययन कर सकें और अपने विचार सदन के सामने रख सकें। इसीलिये मेरी आपत्ति है कि यह बिल न लिया जाय और जिस तरह से हमारे पास जो सूची भेजी गयी है उसमें है या तो उस तरह से लिया जाय या कोई समय हमको इस पर विचार करनेके लिये दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान नियम ९५ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके प्रतिबन्ध में यह स्पष्ट है कि:---

"MOTIONS AFTER INTRODUCTION—When a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member in-charge of the Bill may make one of the following motions in regard to his Bill, namely:....."

("किसी विधेयक के पुरःस्थापन किये जाने पर या किसी अनुगामी अवसर पर विधेयक भार साधक सदस्य अपने विधेयक के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्तावों में कोई एक प्रस्तुत कर सकता है, अर्थात्---")

यानी बिल के पुरःस्थापित करने के बाद जो विचार करने का प्रस्ताव है उसके बाद ही जो प्रतिबन्ध है उससे यह स्पष्ट है कि सदस्यों के सामने उस बिल की प्रतिलिपि कम से कम तीन दिन पहले अवश्य आ जानी चाहिये। जैसा कि हमारे मित्र राजा वीरेंद्रशाह जी ने बतलाया कि हम लोगों को कार्यवृत्त के अनुसार जो विधेयक भेजे गये उसमें बिलकुल दूसरा ही कार्यवृत्त था। पहले मोटर वेहिकिल्स फिर ओपियम स्मोकिंग और फिर गन्ना आदि विधेयक थे। इसके पहले जो सेशन का सत्रावसान हुआ उसमें नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक चल रहा था और उसके संशोधन भी हमारे सामने थे। मालूम नहीं क्या बात है कि सरकार ने नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश बिल को लाना उचित नहीं समझा, जो कि कई सत्रों से स्थगित होता चला आ रहा है, तथा जिसके संशोधन सरकार के पास बने बनाये तैयार हैं। समझ में नहीं आता कि उसको एजेंडा में स्थान क्यों नहीं दिया गया। यह एक आश्चर्य की बात है। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि दफा ९५ के अनुसार और न्याय की दृष्टि से भी हमें उस पर विचार करने के लिये समय मिलना चाहिये। यह भी हमारी समझ में नहीं आता कि लगातार हर सत्र में कार्यक्रम बताने में क्यों इतनी देर की जाती है। इस सदन के माननीय सदस्यों, विरोधी दल के सदस्यों तथा सरकारी दल के सदस्यों दोनों को इस बात का मौका क्यों नहीं दिया जाता है कि उनको यह मालूम हो सके कि कौन बिल पहले आयेगा और कौन बाद को ? हम लोगों को यह शिकायत निश्चित

रूप से रही है कि हमें काफी पहले कार्यक्रम मालूम होना चाहिये। सदन के सभी सदस्यों को यह शिकायत व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से रही है। विरोधी पार्टी के द्वारा एक पत्र भी सचिव, विधान सभा के पास भेजा गया था तथा सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब के कार्यक्रम के बारे में दरियाफ्त किया गया, लेकिन परसों तक यही बतलाया गया कि अभी कैबिनेट नहीं मिली है। इतवार तक मालूम होगा। बिल सुबह बंटे हैं और रात को वापिस आने पर यह मालूम हुआ कि प्रोग्राम क्या रहेगा। ऐसी स्थित में सरकार को इस मामले में कुछ स्पष्टीकरण अवश्य करना चाहिये।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों माननीय सदस्यों की दलीलों को बहुत गौर से सुना। मेरा ख्याल है कि दोनों माननीय सदस्य एक बात भूल गये हैं वह यह कि यह बिल कोई नया बिल नहीं है। यह आर्डिनेंस ३ हफ्ते पहले निकल चुका है जिसकी कापियां भी आप लोगों के पास अवश्य होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त मैं इस बारे में सदन की राय भी जानना चाहता हूं कि क्या वह इजाजत देंगे कि आर्डिनेंसेज के पहले हाउस के सामने पहले दूसरे बिल्स लाये जायं। क्योंकि यह जरूरी है कि कोई भी आर्डिनेंस उस दौरान में प्रोमलगेट किया जाय जब कि असेम्बली सेशन में न हो तो वह सदन के सामने शीघ्र से शीघ्र लाया जाय।

श्री अध्यक्ष--यह जरूरी नहीं है कि कोई आर्डिनेंस जारी किया जाय और उसके बारे में अगर कोई बिल यहां लाया जाय तो उसमें कोई अमेंडमेंट न किया जाय। इसलिये इसके लिये तो नोटिस मिलना ही चाहिये कि बिल किस फार्म में आने वाला है।

श्री मोहनलाल गौतम--मैंने अर्ज किया कि इस आर्डिनेंस की शक्ल हमारे सामने ३ हफ्ते पहले आ चुकी थी यानी बिल जिस शक्ल में लाया गया है उसकी शक्ल पहले ही आ चुकी थी। यानी जब आर्डिनेंस जारी हुआ होगा उसी वक्त मेम्बरों को यह मालूम हो गया होगा कि बिल की क्या शक्ल होगी। इसके अलावा यह बिल भी सरक्यूलेट हो चुका है तथा तीन दिन से ज्यादा का समय मिल चुका है इसलिये और ज्यादा समय देने की आवश्यकता मालूम नहीं देती।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं २४ तारीख को यहां मौजूद था और मैंने विरोधी दल की ओर से कांग्रेस पार्टी के चीफ़ ह्विप से यह निवेदन किया था कि वे मुझे यह बतला दें कि कौन प्रोग्राम रहेगा। इसके साथ ही साथ यह भी विवेदन किया था कि पहले अरबन एरियाज जमींदारी अबालीशन बिल ले लिया जाय। लेकिन जब यहां वापिस आया तो मुझे कांग्रेस पार्टी के एक सचेतक श्री राम नरेश जी मिले और मैंने यह आपत्ति की कि प्रोग्राम में जो हेर-फेर हो जाती है उससे हम लोगों को काफी कठिनाई होती है। मैं यह मानता हूं कि इस संबंध में आर्डिनेंस जारी हो चुका था लेकिन विधान सभा के हर व्यक्ति और मेम्बर के पास अलग-अलग कोई चीज भेज देना यह बिल का इंट्रोडक्शन नहीं होता। अगर इस बात को मान भी लिया जाय कि अलग-अलग भेजना भी बिल का इंट्रोडक्शन होता है तो यह बिल कल रात के साढ़े ९ बजे हम लोगों को मिला। उस दृष्टि से भी ३ दिन का समय मिलना चाहिये था लेकिन श्री राम नरेश जी शुक्ल ने हमें आश्वासन दिया था कि कल सिर्फ बिल पेश हो जायेंगे और उन पर विचार किसी प्रकार से नहीं होगा। इससे हम लोग बिलकुल उनकी बात के भरोसे पर रह गये और उसके लिए हम लोगों ने कोई विशेष तैयारी नहीं की। आज हमें यह सुनकर ताज्जुब हुआ कि उन्होंने फिर पौने १० बजे प्रातःकाल टेलीफोन से इत्तिला दी कि फिर उनके पार्टी ने यह तय किया है कि इन बिलों पर विचार हो। तो अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में जब कि नियम ९५ भी मौजूद है और सरकार के सचेतकों में भी मतभेद है, जिससे एक अजीब समस्या उत्पन्न हो गयी है, साथ ही साथ माननीय स्वशासन मंत्री जी की दिक्कत है कि आर्डिनेंस को जल्दी से जल्दी कानून का रूप हो जाना चाहिये। मैं तीन दिन की बात के मुताल्लिक कोई जिद्द नहीं करता, लेकिन एक कम्प्रोमाइज्ड साल्यूशन (समझौते का प्रस्ताव) पेश करना चाहता हूं कि आज इस संबंध में कार्यवाही रोक दी जाय और कल ११ बजे से जैसा

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

कि सरकार ने कार्य-क्रम निश्चित किया है उसी के अनुसार इस विधान सभा का सत्र चले। हमारे सौभाग्य से माननीय मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मुझे आशा है कि वे मेरे इस कम्प्रोमाइज्ड साल्यूशन को मंजूर कर लेंगे कि कल ११ बजे से विवाद हो और जिस तरह से वे चाहेंगे वही कार्य-क्रम चलता रहेगा।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो आज हमारे सामने लाया गया है हम लोगों ने समझा कि दो आर्डिनेंस इस बीच में निकले हैं, एक तो इस बिल से जिसका संबंध है और दूसरा इंडस्ट्रिअल डिस्प्यूट के बारे में है जिसको कि हमारी पार्टी पेश कर रही है, यह मुनासिब है कि हम सबसे पहले हाउस को यह बतला दें कि इस बारे में आर्डिनेंस निकला है और वह इस पर विवाद करे। अगर वे विवाद नहीं करना चाहते हैं तो उनको अधिकार है कि वे कहें कि इसको पीछे लिया जाय। हमारा यह कोई आग्रह नहीं है कि इसको इसी समय लिया जाय। मगर हम समझते हैं कि अगर कोई आर्डिनेंस संबंधी बिल हाउस के सामने हो तो सबसे पहले हाउस को यह मौका हमें देना चाहिये कि वह उस बिल पर विवाद करे। यह बिल गजट में २१ जुलाई को छप गया और जो पहले आर्डिनेंस था वह ८ जुलाई को छपा था। इसके अतिरिक्त यह भी है कि कोई आर्डिनेंस अगर निकले तो फिर विधान सभा के मिलने के ४२ दिन के भीतर वह कानून बन जाना चाहिये। इसलिये भी उसको सबसे प्राथमिकता मिलनी चाहिये, इसको मैं हर तरह से उचित समझता हूं। जैसा कि मैंने कहा २१ तारीख को यह बिल के रूप में आया और ८ ता० को आर्डिनेंस के रूप में था। अगर हमारी सोशलिस्ट पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से इसका विरोध इसलिये हुआ हो कि यह गवर्नमेंट की तरफ से निकला है तो बगैर सोचे समझे इस तरह से इसका विरोध करना यह तो नीति शायद उनकी नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिये। पहले यह गजट में निकला और फिर २३ तारीख को आपके यहां की सूची आ गया कि क्या-क्या काम लिया जायगा। उसमें इस बिल की भी सूचना है। तो यह तो है नहीं कि इसकी जानकारी न हो। इसमें ऐसी कोई बात लिखी भी नहीं है जिसकी जानकारी न हो और न इसमें ऐसी कोई बड़ी बारीकी की बात है जिसके संबंध में बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत हो। चूंकि यह बिल एक सीधा सादा सा था और इस तरीके पर इस बिल से सभी को परिचय था इसलिये हमने अपना यह कर्त्तव्य समझा कि इसको आपके सामने रख दें। मैं समझता हूं कि अगर इसके बारे में जनरल डिस्कशन हो जाय तो अच्छा है। और जहां तक संशोधन देने की बात है आप आज दे दें, कल सवेरे तक दे दें, जब चाहें तब दे दें, उन संशोधन पर विचार हो जायगा। वह मैं सिर्फ इसलिये कहता हूं कि हम अपने समय का जितना भी सदुपयोग कर सकें उतना अच्छा है और इसके लिये यदि आज दिया जा सके तो बेहतर है। अगर आप यह कहें कि नहीं अब तो हमें जाना चाहिये, कुछ काम न करें तो फिर यथासंभव जो कुछ भी आपका आदेश हो उसके मुताबिक चलना हम पसन्द करेंगे।

दूसरी चीज मुझे यह भी कहनी है कि अगर आपको यह ज्यादा पसन्द हो कि जिस आर्डर में बिलों का जिक्र आपके यहां से गया था वैसे ही लिये जायं, वैसा भी हम शुरू कर सकते हैं, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। विरोधी दल को तीन बातों का अवसर है। एक तो यह कि यह बिल पहले ८ को तो आर्डिनेंस हुआ २१ को बिल छप गया और २३ को इसकी इत्तिला मिल गई और उन्होंने इसका विरोध भी किया है लिहाजा विरोध करने के पहले एक अवसर उनको यहां मिल रहा है। अब अगर वह तैयार नहीं हैं और उनको कुछ सोचना विचारना है, उसके लिये उनको अवसर चाहिये तो वह भी हो सकता है। दूसरे आज वह कंसीडरेशन कर लें और संशोधन वह आज चाहें या कल उसकी नोटिस आप स्वीकार कर लें। तीसरे यह कि अगर यह दोनों बातें उनको मंजूर नहीं हैं तो जिस आर्डर में बिल आपके यहां से जारी किये हों उसी आर्डर में ले लिये जायं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही कि इस उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति)

विधेयक, १९५३ के सम्बन्ध में जनरल डिसकशन कर लिया जाय और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की प्रान्तीय कार्य समिति ने इस पर प्रस्ताव भी पेश किया है तो कुछ सोच समझ-कर ही किया होगा, तो उनकी इस बात से मैं सहमत हूं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने जो आर्डिनेंस निकला उसकी विवेचना करके बहुत ही उत्तम और जनतांत्रिक प्रस्ताव पास किया है। मगर श्रीमन्, जैसा आपने बताया कि विधेयक की भाषा और विधेयक की धारायें और उपधारायें भी आर्डिनेंस से परिवर्तित होती रहती हैं, तो इस सबको देखने के लिये कुछ समय की आवश्यकता होती है। जिस रूप में यह विधेयक हमको मिला वह समय पर श्रीमन् आप भी जानते हैं हमको प्राप्त नहीं हो पाया है। श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री और इस सदन के सम्मानित सदस्यों की खिदमत में मैं यह पेश करना चाहता हूं कि जो कानून बना करते हैं उनमें एक एक शब्द को लेकर कितने अनर्थ हुआ करते हैं, इससे सब परिचित हैं और इस सदन में एक-एक कानून दस-दस मर्तबा संशोधन के लिये आता है उसमें कितना समय नष्ट होता है और धन का भी दुरुपयोग होता है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की शिकायतें जो हैं वे जायज हैं या नाजायज हैं। विरोधी पार्टी, जो उनकी दृष्टि में एक नगण्य पार्टी है, वह अपनी एक विचारधारा रखती है और उस विचारधारा के मुताबिक श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि उनको यह तो मालूम हो ही गया होगा कि हमारे देश और प्रान्त में एक बहुत बड़ा जनमत है जो चाहता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जो विचार समय-समय पर इस विधान सभा में या बाहर प्रकट होते हैं वह कार्यान्वित हों। मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की जो मुसीबत है उसको दूर करने के लिये क्या उपाय किया जा रहा है। आपके डिपार्टमेंट को भी यही रोना रहता है, जब हम पहुंचा करते हैं, हमारे उपनेता रामनारायण जी अपनी मांगों को लेकर सेक्रेटरी साहब के पास गये तो वह भी नहीं बतला सके कि किस क्रम में यह बिल आयेंगे।

२३ तारीख को कार्यक्रम, श्रीमन्, यहां से जाता है हम लोगों के पास और जैसा माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग ने कहा कि आर्डिनेंस निकल चुका था तो आर्डिनेंस जब निकल चुका था तो उस कार्यक्रम में क्यों नहीं रख दिया गया कि इसका बिल पहले लिया जायगा। तो उनको उसी कार्यक्रम में निकाल देना था कि इसी बिल पर पहले विचार होगा। इसमें हमारा दोष नहीं है। हमारी उचित और जेनुइन डिमान्ड है और उसको हम माननीय मुख्य मंत्री जी की खिदमत में पेश करते हैं कि आज इस पर विचार हो जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी की इस बात को हम मान लें कि आज हम बैठकर इस पर जेनरल डिस्कशन कर लें लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह की विपत्ति हमारे ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी की दल की ओर से नहीं लादी जानी चाहिये।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक आज का मामला है वह तो आज जो सुझाव मैंने दिया था उसको राजनारायण जी ने स्वीकार कर लिया। आगे का कार्यक्रम क्या हो उसके लिये जो कि कल यहां हमारे अध्यक्ष महोदय विधान सभा के दस्तखत से भेजा गया है उसमें जैसा आर्डर बिलों का दिया गया है उसी आर्डर में सब लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—जहां तक नियमों के बारे में आपत्ति उठाई गयी है मैं जरा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नियमों के अनुसार, जो नियम ९५ है उसके अनुसार, तीन दिन का नोटिस होना चाहिये था और वह नोटिस मेम्बरों को मिल जाना चाहिये था। लेकिन उसमें यह नहीं है कि वह नोटिस माननीय सदस्यों के टेबिल पर जिस रोज यह सदन बैठे उस रोज विधेयक की प्रतियां रखकर तीन रोज बाद उसे विचार में लिया जायगा, ऐसा कोई संकेत इसमें नहीं है। सदन की बैठक के पहले भी तीन रोज की नोटिस हो सकती है और उसका तरीका यह हो सकता है कि मेम्बरों के पास इसकी सूचना हमारे दफ्तर से चली जाय

[श्री अध्यक्ष]

या गजट के जरिये से चली जाय। गजट क जरिये से सूचना २१ तारीख को भज दी गयी थी। मैं समझता हूं कि २४ या २५ तक तो हर सदस्य के पास सूचना अवश्य पहुंच गई कि यह बिल क्या है और वह अगली बैठक में लिया जायगा और यह सब चीजें उनको स्पष्ट हो गईं। अब रहा कार्यक्रम के सिलसिले का सवाल। कार्यक्रम के विषय में इन नियमों में कुछ नहीं है। जब कोई बिल पुरः स्थापित हो जाता है तो उसके बाद माननीय सदस्य जिनके चार्ज में वह बिल होता है वह कह सकते हैं कि यह बिल है इस पर विचार किया जाय। लेकिन उसके लिये बिल के सम्बन्ध की सूचना की केवल आवश्यकता है। विधेयक के बारे में तो सूचना पहले मिल चुकी है गजट के जरिये से, इसलिये नियम के बारे में तो मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि यह बात नियम के अनुसार नहीं हुई है क्योंकि नोटिस माननीय सदस्यों को मिल चुकी है, लेकिन कार्यक्रम के सिलसिले की यह कठिनाई माननीय सदस्यों को अवश्य है। जब तक कार्य का क्रम नहीं मालूम होता तब तक माननीय सदस्य किस चीज के लिये तैयार होकर आवें यह प्रश्न है। सब तरफ के सदस्यों ने इस बात को मेरे सामने जाहिर किया है और उसके लिये बराबर लिखा-पढ़ी होने के बाद, जितना मेरे दफ्तर से हो सकता था किया गया। केबिनट की मीटिंग होने के बाद गवर्नमेंट इस निश्चय पर पहुंची कि यह कार्यक्रम होगा जिसकी मेरे दफ्तर में कल सूचना मिली और कल हर एक माननीय सदस्य के पास वह सूचना पहुंच गई थी। यह नहीं कहा जा सकता है कि यहां पर आने के बाद उन्हें क्रम मालूम हुआ था। यह छोटे-छोटे विधेयक हैं उन पर तैयार जो माननीय सदस्य होना चाहते वह हो सकते थे। मेरे पास आज सबेरे ही कार्य-क्रम आया है और मैंने विधेयकों में से कई पढ़ भी लिये हैं और कार्य का क्रम भी देख लिया। तो मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों की टीका टिप्पणी करने की भी जिम्मेदारी रहती है, मेरी तो रहती नहीं है, उन्होंने तो पढ़ ही लिये होंगे। इसलिये अधिक आपत्ति कम से कम इस वक्त तो नहीं हो सकती क्योंकि थोड़ा सा समय उनको मिल गया, लेकिन आम तौर पर यहां यह कठिनाई दिखलाई पड़ती है कि क्रम की सूचना न होने के कारण माननीय सदस्यों को तकलीफ होती है। मेरा सुझाव इस विषय पर यह है और मैं समझता हूं कि माननीय नेता सदन और माननीय विरोधी दल के नेता इस बात पर विचार करेंगे कि जिस तरह से केन्द्र की पार्लियामेंट में बिजनेस के लिये एक ऐडवाइजरी कमेटी होती है उस तरह की कोई कमेटी यहां पर बना ली जाय। जो विचार करके सदन का कार्यक्रम निश्चय कर दे और हर कार्य के लिये समय भी निश्चय कर दे तो फिर इस सदन का समय भी नष्ट नहीं होगा क्योंकि सबकी मर्जी से जो काम होगा उसमें वाद-विवाद नहीं बढ़ेगा। यह सहूलियत इस तरह से हो सकती है। मैंने यह सुझाव माननीय नेता विरोधी दल के पास भेजा है और उन्होंने उसको पसन्द भी किया है। जो उनकी दिक्कत है आइन्दा के लिये वह इस प्रकार दूर हो जायगी। आज तो कार्य इस विधेयक पर आम बहस का हो जाय और आइंदा के लिये अगर सुझाव के अनुसार एक संकल्प इस सदन के सामने आवे तो उसके अनुसार एक कमेटी 'बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी' बना दी जाय और उसके निश्चय को यह सदन स्वीकार करे तो फिर सब लोगों को सहूलियत हो सकती है।

अब इस बिल के सम्बन्ध में आम बहस होगी।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक, १९५३

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर विचार करने के लिये मैंने जो सदन के सामने प्रस्ताव रखा है उसका सम्बन्ध उन पांच शहरों में जिनका संक्षेप रूप 'कबाल' है एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने से है। यह एडमिनिस्ट्रेटर वहां के म्युनिसिपल बोर्ड और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या

डेवलपमेंट बोर्ड का कार्य सम्भालें यह इस बिल में कहा गया है। जैसा कि इस सदन के सदस्यों को भी कदाचित मालूम होगा कि गवर्नमेंट ने यह निश्चय किया है कि कारपोरेशन कुछ शहरों में बनने चाहिये इसका ऐलान राज्यपाल जी के द्वारा किया गया और वह इस सदन के सामने आ चुका है। गवर्नमेंट शीघ्र ही एक ऐसा बिल जो कि कारपोरेशन की स्थापना के लिये हो इस सदन के सामने लाने वाली है। कारपोरेशन बनने के पहले यह जरूरी समझा गया कि इन शहरों में जो लोकल बाडीज यानी म्यूनिसिपल बोर्ड और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या डेवलेपमेंट बोर्ड हैं उनके काम को मिलाने के लिये और उसको ठीक-ठीक चलाने के लिये ताकि कारपोरेशन जब बनकर तैयार हो, कारपोरेशन जब चुनकर कार्यभार सम्भालने के लिये तैयार हो तब उसको आसानी हो इसलिये यह जरूरी समझा गया कि इन जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किये जायं। एडमिनिस्ट्रेटर का काम होगा कि इन लोकल बाडीज को जिनका कि चार्ज इनको मिला है और जैसा कि माननीय सदस्यों ने विज्ञप्ति में पढ़ा होगा कि यह जो पांच एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुये हैं इनके सुपुर्द दोनों काम अर्थात् म्यूनिसिपल बोर्ड और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट दोनों का कार्यभार इनके ऊपर रखा गया है। यह उस रास्ते को साफ करेंगे जो कारपोरेशन के लिये जरूरी है और कारपोरेशन के आने के वक्त जो बहुत सी दिक्कत और कठिनाइयां दिखाई देती हैं वह कम हो जायंगी। इस वास्ते यह एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये गये हैं। जिस समय यह विचार किया गया उस समय यह भी जरूरी समझा गया कि एडमिनिस्ट्रेटर तो मुकर्रर कर दिये जायं क्योंकि उस समय लेजिस्लेचर सेशन में नहीं था इसलिये यह जरूरी समझा गया कि माननीय राज्यपाल की ओर से एक आर्डिनेंस निकाला जाय और इस काम में और देरी न की जाय। यह आर्डिनेंस जो निकाला गया था और जो ८ जुलाई को आर्डिनेंस आया था उसी को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसमें कोई बहुत ज्यादा कहने की गुंजायश नहीं है। जो बात मैंने कही वह इसके आबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स में भी साफ कर दी गई है और जो प्रेस स्टेटमेंट निकाला गया था इस आर्डिनेंस के निकलने पर उसमें भी यह वजहात और कारण साफ तौर से बतला दिये गये थे कि किन वजहों से इसका लाना जरूरी समझा गया। यह एक ऐसी छोटी सी चीज है जिसमें मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और इन शब्दों के साथ मैं इसको सदन के विचार के लिये पेश करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक के उद्देश्य और कारणों को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद और माननीय मंत्री जी के मुखारबिन्द से जो थोड़े शब्द निकले उनको सुनने के बाद और मनन करने के बाद भी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है और जिस तरीके से कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ के कबाल नगरों में प्रशासकों की नियुक्ति करके वहां के जनतांत्रिक अधिकारों का अपहरण किया गया है मैं समझता हूं कि यह भी इस प्रकार के जीवनकाल में एक अनर्थकारी कदम होगा। जब कि म्युनिसिपल ऐक्ट संशोधन बिल इस सदन में चल रहा था उस समय जनतंत्र सम्बन्धी सभी तात्विक प्रश्नों पर विवेचन हुआ था और काफी लम्बा समय लेकर माननीय मंत्री जी ने भी और हम सब लोगों ने भी उस पर विचार-विनिमय किया था। हम समझते थे कि अब जब कि जनतंत्र की प्रणालियां और जनतंत्र की व्यवस्था बिल्कुल निखर कर हमारे सामने आ गई हैं तो किसी के भी मस्तिष्क में या बुद्धि में ऐसी बात नहीं आ सकती है कि इस तरह का आर्डिनेंस या बिल भी यहां आ सकता है और इस तरह से जनतांत्रिक मनोभावों को ठेस पहुंचाई जा सकती है। हम जानना चाहते थे और हम आशा करते थे कि जब माननीय मंत्री महोदय इस बिल के उद्देश्य और कारणों पर आयेंगे तो वह बतलायेंगे कि इन कबाल टाउन्स में अगर कारपोरेशन बनाने हैं तो वहां की चुनी हुई कमेटियों को भंग करके प्रशासकों को नियुक्त करने की क्या आवश्यकता थी। परन्तु इस तरह का कोई प्रकाश माननीय मंत्री

[श्री राजनारायण]

जी ने नहीं डाला। जब कि अभी-अभी चन्द मिनट पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कहा था कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया है। यह सही बात है कि प्रस्ताव पास किया है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इस तरह के प्रयत्नों को बुरा प्रयत्न समझती है। गैर जनतान्त्रिक प्रयत्न समझती है।

मैं सम्मानित सदस्यों की सेवा में कानपुर के सवाल को रखना चाहता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है कानपुर में इस तरह के एक प्रशासक को नियुक्त करके, जनतान्त्रिक अधिकार को एक व्यक्ति के हाथ में देने के लिए सरकार काफी समय से सोच रही थी। उसको यह रूप देने के बारे में मतभेद रहा है और कई बार उनके दिमाग में बुद्धिविभ्रम भी पैदा हुआ है कि यह करें या न करें। इस सम्बन्ध में कानपुर के लोगों को बुलाया गया और कहा गया कि कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड के लोग अपने से इस्तीफा दे दें। यहां श्रीमन्, यह बात प्रकट हो चुकी है। अब यह रहस्य नहीं रहा है। कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड के बहुत से जिम्मेदार व्यक्तियों ने वादा भी किया था कि इस्तीफा दे देंगे। लेकिन वही जनतांत्रिक मनोवृत्ति जिसको लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, उसी से प्रेरित होकर उन्होंने सोचा कि अगर हम इस्तीफा दे देते हैं तब तो यहां की जनता यह कहेगी कि तुम निकम्मे और नालायक थे और हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकते थे इसलिये तुमने अपने से इस्तीफा दे दिया और हट गये। जब उन लोगों को यह ठेस पहुंची तो जो आश्वासन सरकारी पार्टी के लोगों को उच्चतर स्तर पर मिला था वह वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और इस्तीफा नहीं दिया।

इसी तरह से श्रीमन्, और म्युनिसिपल बोर्डों के बारे में अगर गहरे में जाया जाय तो यह अंदाज लग सकता है कि वहां पर जान बूझ कर ऐसी परिस्थितियां पैदा करायी गयीं जिससे वहां की व्यवस्था बिगड़े ताकि एक बहाना और मौका मिले और सरकार जो कदम उठाना चाहती है कि वहां की सारी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में, एक प्रशासक के हाथ में निहित कर दे, उसका समर्थन जनमत से हो सके। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता वरना मैं आपके द्वारा इस सदन को बताता कि बनारस म्युनिसिपल बोर्ड में किस प्रकार का नृत्य हुआ है और किस-किस तरीके से उसके प्रति औचित्य का खंडन किया गया और उदासीनता तथा उपेक्षा का भाव दिखाया गया है। यही कारण था कि उस समय भी जब कि उपेक्षा हो रही थी हमने संकेत किया था। यहां के शासन को प्रशासक के हाथ में देने की जो बात सरकार के दिमाग में चल रही थी उसी को जनता से समर्थन कराने के लिये यह बात हो रही है ताकि जनता समझे कि म्युनिसिपल बोर्ड निकम्मा था, उस निकम्मे से त्राण पाया और एक प्रशासक के हाथ में सारी सत्ता चली गयी। इस मनोभाव से बहुत दिनों से काम हो रहा था। मैं श्रीमन् आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को भी बता देना चाहता हूं कि किस नाटकीय ढंग से यह सारा काम किया गया है, कानपुर में जहां प्रशासक महोदय पदार्पण करते हैं। म्युनिसिपल बोर्ड का चपरासी कहता है कि मैं ताली नहीं दूंगा, चेयरमैन की आज्ञा नहीं है। मैं आपको नहीं पहचानता। आप कौन हैं? यह बात तो शायद लोगों को मालूम हो। वहां का उदाहरण देने की क्या जरूरत है। मगर मैं आपके द्वारा विनम्र निवेदन करता हूं कि इस प्रकार से हमारे प्रान्त में जनतान्त्रिक प्रणाली कहां तक और कैसे विकसित हो सकती है? जबरदस्ती उस चपरासी से ताली छीनी जाती है। पूर्व अधिकारी की अनुपस्थिति में वहां के ऐडमिनिस्ट्रेटर साहब और जिलाधीश साहब ताली को लेकर ताला खोलकर कमरे में जाते हैं और अपनी इच्छानुसार काम करते हैं।

इसी से मिलता-जुलता स्वरूप बनारस में भी उपस्थित हुआ। एक नाटकीय दृश्य उसी बनारस म्युनिसिपल बोर्ड की सड़कों से प्रत्यक्ष गुजरता हुआ देखा। यकायक

ए० डी० एम० और प्रशासक महोदय वहां पर जाते हैं और बोर्ड पर अधिकार स्थापित करते हैं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस समय निवेदन कर रहा था कि यह उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय प्रशासकों की नियुक्ति विधेयक जो है उसको माननीय मंत्री वापस ले लें और इतने दिनों तक जो इन ५ बड़े-बड़े प्राचीन नगरों में एक सत्ता नियुक्त की गयी थी उसकी समाप्ति की जाय और वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाय जिससे जनमत साकार रूप में अपने कारोबार को चला सके।

जिस तरह से प्रशासकों की नियुक्ति आर्डिनेंस के जरिये की गयी और उसी आर्डिनेंस को फिर विधेयक के स्वरूप में यहां पर पुरःस्थापित किया गया है, मैंने कानपुर का एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय के जरिये यहां पर रखा था। श्रीमन्, अब आपके जरिये और जितने नगर हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, लखनऊ में तो पहले ही से था, आगरा भी जहां तक मेरी जानकारी है वहां बोर्ड सुपरसीडेड है। अब इलाहाबाद में, जो वहां के चेयरमैन थे उनके प्रति "नो कान्फीडेंस मोशन" (अविश्वास का प्रस्ताव) पहले ही से था। वहां के लोग चाहते थे कि एक चेयरमैन का जो एकाधिपत्य चला आ रहा है उसकी जगह वहां पर एक जनतांत्रिक मनोभाव से ओतप्रोत वाले व्यक्ति को रखा जाय। सरकार के लिये जरूरी था कि वहां पर जनतांत्रिक भावनाओं को आगे बढ़ने देने के लिए कोई कार्यवाही करती और वहां पर एक और कोई दूसरा सरकारी आदमी भेजने के बजाय वहीं के लोगों के द्वारा चुने हुए किसी व्यक्ति के हाथ में यह सब शक्ति जाती, मगर मैं आज आश्चर्यचकित हो रहा हूं और उसके साथ ही बहुत ही चिन्ता में भी जा रहा हूं कि आखिर यह सरकार किस रास्ते में जा रही है, किस रास्ते पर चल रही है। बार-बार जनतांत्रिक प्रणाली के बारे में यहां पर आश्वासन दिया जाता है। कहा जाता है कि सरकार भी जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करती है, सरकार भी जनतांत्रिक मनोभाव से चलती है, सरकार भी सत्ता को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती, सरकार भी विकेन्द्रीकरण चाहती है। श्रीमन्, मैं आपके जरिये पुनः पूछना चाहता हूं कि क्या इन कबाल नगरों में जो एक-एक प्रशासकों की नियुक्ति हुई है यह किसी भी जनतन्त्र की कसौटी पर उतर सकती है। मैं फिर उस विवाद को यहां पर नहीं उपस्थित करना चाहता और मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं ताकि इसी तरह से विवाद आगे न बढ़े। चाहे पाश्चात्य जनतन्त्र हो या पूर्वी जनतन्त्र, मैं सरकारी दल के उन लोगों से जो जनतन्त्र प्रणाली में विलीव (विश्वास) करते हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर उन विभेदों को भी सामने रखें और सामने रख कर देखें तो समझ पायेंगे कि इन प्रशासकों की नियुक्ति करके सरकार ने जनतांत्रिक मनोभाव पर और जनतांत्रिक प्रणाली पर एक गहरी चोट दी है।

श्रीमन्, म्युनिसिपल संशोधन ऐक्ट पर जब विचार हो रहा था इस सदन में तब हमने बार-बार आरजू मिन्नत की थी और सादर साग्रह निवेदन किया था माननीय मंत्री महोदय से कि जो सभापतियों और सदस्यों को मुअत्तिल करने और उनको निकाल देने का अधिकार मंत्री महोदय या सरकार अपने हाथ में ले रही है वह भी जनतंत्र के लिये घातक है। अब अगर सरकार किसी एक कर्मचारी की नियुक्ति करके तमाम बोर्ड के अधिकारों को उस एक कर्मचारी के हाथ में दे दे तो फिर इसका नतीजा बहुत बड़ा घातक होगा और उसी मनोवृत्ति को जब कि हमें आश्वासन दिया गया था सरकार की ओर से कहा गया था, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि नहीं, संशोधन हो जाने दें ऐक्ट में और

[श्री राजनारायण]

देखें कि हम किस तरह से काम करते हैं। मैं आज पुनः कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि वह हमें आगे क्या-क्या दिखाते हैं, "काह दिखाइ पुनि काह दिखावा" यहां प्रशासकों की नियुक्ति या ऐसी-ऐसी म्युनिसिपैल्टियों या टाउन एरिया कमेटियों को तोड़ने की भावना, जैसा कि श्रीमन् हमारे जानने में आया है कि कालपी की म्युनिसिपैलिटी को तोड़ने का प्रयत्न हो रहा है। बराबर यहां से कुछ न कुछ खत किताबत हो रही है। वहां का चेयरमैन अगर ठीक नहीं है, वहां के चेयरमैन के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है तो वहां के लोगों को चाहिए, सरकार को चाहिए कि उस चेयरमैन को अलग करके वहां पर दूसरे चैयरमैन चुनाव की परिस्थिति पैदा करें। यह न हो कि किसी न किसी बहाने के जरिये उस म्युनिसिपैलिटी को ही सरकार जब्त करके एक प्रशासक की वहां पर नियुक्ति कर दे और उसी के हाथ में सारा अधिकार दे दे। हमें मालूम हुआ है कि वहां पर श्री प्रकाश जेटली के जरिये और सरकार के बीच में कुछ पत्र-व्यवहार भी हुआ है मगर आज तक उन पत्रों के बारे में कहीं चर्चा नहीं आती, उनको बताया नहीं जाता, जब कुछ पूछा जाता है तो समुचित उत्तर नहीं दिया जाता कि क्या स्थिति है। हमारी शंका यह है और हम आपके जरिये पुनः स्पष्ट करना चाहते हैं कि वहां की म्यूनिसिपैलिटी को भी सरकार जब्त करेगी और उसके बाद एक प्रशासक की नियुक्ति वहां करेगी। श्रीमन्, मैं इन प्रशासकों की नियुक्ति से क्यों परेशान हो उठा हूं, मिर्जापुर के जिला बोर्ड का उदाहरण हमारे सामने विद्यमान है। मिर्जापुर के जिला बोर्ड में एक सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जो सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, जो रीक्विजिट क्वालिफिकेशन (आवश्यक योग्यता) होनी चाहिए, वह भी नहीं है उनके पास; और अगर उसके कारणों को गहराई से ढूंढ़ा जाय तो मालूम होगा कि आज वहां का सेक्रेटरी जो है वह हमारे किसी सम्मानित मंत्री का शायद रिस्तेदार निकले। इस तरह से जब नियुक्तियां होती हैं, प्रशासकों की नियुक्ति करके उसके जरिये तमाम काम कराये जाते हैं और वहां पर जो सही बात होनी चाहिये उसको न करा करके एक विकृत तरीके से जनतंत्र का नाटक रचा जाता है तब और परेशानी होती है और यह कहने में हमें तनिक भी हिचक नहीं होती कि इन तमाम कार्यों से धन का दुरुपयोग कराया जाता है, जनशक्ति का दुरुपयोग कराया जाता है और जिस आदर्श को हम प्रतिष्ठित करना चाहते हैं उस आदर्श को कड़ी चोट पहुंचायी जाती है। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री महोदय से और अपने तमाम उन भाइयों से जो अपने दिल में सोचते होंगे इस विधेयक के समर्थन में खड़े होने के लिए, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल बहस के लिए बहस नहीं करना चाहिए। अगर उनके दिल में सही जजबात हों तो वह खड़े होकर हमें बतायें कि किस तरीके से वह इन प्रशासकों की नियुक्ति करने के लिए तैयार हैं। जहां जहां प्रशासक नियुक्त हुए हैं उनके तमाम कारनामों को देख लिया जाय, वहां पर टैक्सेशन की गतिविधि को देख लिया जाय और वहां के जो और काम हैं उनको देख लिया जाय और यह देख लिया जाय श्रीमन् मैं तो चाहता था कि एक जांच समिति इस अवसर का लाभ उठाकर बनाई जाय जहां-जहां इस सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त हुए हैं वहां पर जांच के लिए विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जावे जो इसकी जांच करे कि इनके कार्य कलाप कैसे हुए हैं और इनके द्वारा जो काम हुआ है वह काम किस तरीके का है। हमें विश्वास है कि हम जिन उद्गारों को प्रगट कर रहे हैं वह समिति जो बैठेगी वह हमारे इन उद्गारों का समर्थन करेगी। इसलिये श्रीमन्, आज जब मैं उद्देश्य और कारण की लाइनों को पढ़ता हूं तो देखता हूं कि इसमें कहीं इसकी चर्चा भी नहीं है कि कितने समय तक ये प्रशासक बने रहेंगे। क्योंकि चुनाव कब होगा, कब नहीं होगा, इसकी इसमें कहीं भी चर्चा नहीं है। श्रीमन्, बहुत ही अफसोस के साथ मैं पुनः कहना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि यह सदन, जो एक सम्मानित

सदन है, इसमें जो घोषणायें की जायं, वे घोषणायें कार्यरूप में परिणत की जायं। यह पवित्र सदन है, इसमें सरकार की ओर से जो घोषणा हो, उस पर पवित्रता के साथ पालन होना चाहिये और उसमें जगलरी नहीं आनी चाहिये। वाक्पटुता नहीं आनी चाहिये, वागजाल नहीं आना चाहिये। श्रीमन्, हमें ठेस लगती है और मैं बहुत ही परेशान हो उठता हूं जबकि यह देखता हूं कि सरकार की ओर से घोषणा कुछ होती है और उस घोषणा का स्वरूप कुछ दूसरा दिया जाता है। मैं आज माननीय मंत्री महोदय की चेतना को, उनकी स्मृति को चुनौती देता हूं और उनकी स्मृति को जगाना चहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि वे जरा अपनी उन पुरानी घोषणाओं को याद करे जो उन्होंने इसी सदन में उस समय की थीं जब बजट सेशन के अवसर पर म्युनसिपैलिटी के चुनाव के लिये कुछ ग्रांट मांगी गयी थी और जब हमने उस पर एतराज पेश किया था तो माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि इसी गरमी में म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव हो जायगा। श्रीमन्, उसको देखा जाय, रिपोर्ट छपी हुई है, वितरित हुई है, उसमें सारी बातें हैं। इस सदन में विरोधी पार्टी का क्या काम है? विरोधी पार्टी का एक प्रमुख कर्तव्य यह भी है कि वह सदन में ऐसे-ऐसे अवसरों पर माननीय मंत्रियों से अपने मन के मुताबिक घोषणा करा लिया करे। उस समय हम चाहते थे कि माननीय मंत्री महोदय के मुखारविन्द से कुछ घोषणा हो। हमारे उस चाह की पूर्ति माननीय मंत्री ने अपनी घोषणा के रूप में की, मगर वह घोषणा कहां रह गई, कहां उड़ गई। अगर आज सरकार का कोई मंत्री यह कहे कि उसे याद नहीं है कि उसने क्या कहा था, तो उस पर हम पश्चाताप करने के सिवा कर ही क्या सकते हैं। हम फिर कहना चाहते हैं कि जरा स्पष्ट तरीके से इस चीज को इस विधेयक में रख दिया जाय। यदि सरकार यही चाहेगी की बहुमत के जोर पर इस सदन में इस विधेयक को पास ही करा लिया जाय, इस पर विचार किया ही जाय, तो एक समय भी तो निर्धारित होना चाहिये ताकि सरकार उसमें अपने को बांधे और अपने कार्य को उधर चलाने के लिये प्रयत्नशील रहे। एकदम से छुट्टा टाइम नही मिलना चाहिये।

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया में क्या किसी मुल्क में कभी जब कारपोरेशन बने हैं तो उसके पहले वहां पर जो एक चुनाव की प्रथा थी, प्रणाली थी उस प्रथा को भंग करके एक डिक्टेटर की नियुक्ति हुई है? क्या माननीय मंत्री जी, जनतांत्रिक प्रणाली जब से विकसित हुई, इस तरह का कोई उदाहरण सामने पेश करेंगे?

श्री मोहनलाल गौतम—करूंगा।

श्री राजनारायण—माननीय मंत्री महोदय पेश करेंगे मगर मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहूंगा कि उस तरह से पेश न करें कि गरमी की कोई परिभाषा न हो और अक्टूबर का महीना गरमी माना जाय।

श्रीमन्, मैं आपके जरिये पुनः निवेदन करना चाहता हूं मैं तर्क के लिये तर्क नहीं उपस्थित करता। विवाद के लिये विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, मैं केवल अपने भाव को प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे जजबात को उस समय ठेस लगती है जब जिस जनतांत्रिक प्रणाली से हम दृढ़बद्ध हैं उसके विरुद्ध कोई कार्य होता है और जिस सत्ता के डिस्ट्रिब्यूट करने की हम बात करते हैं उसके विपरीत कोई कदम उठाया जाता है। तो इसके लिये हम कहते हैं कि यह तरीका बिलकुल गलत है और इस तरीके को छोड़ना चाहिये। जब तक कि यह तरीका नहीं छूटेगा तब तक हम समझते हैं कि एक हाहाकार तमाम बड़े-बड़े शहरों में भी रहेगा और जहां-जहां प्रशासक इस सरकार के जरिये नियुक्ति किये जायंगे वहां पर भी वही मुसीबत बरपा हो करके रहेगी।

श्रीमन्, मैं केवल चन्द शब्द कह करके बैठना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करके बैठना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जरा इसको और विचार करें, सोचें और यदि आवश्यकता हो तो इसको आज वापस लें और बजिद होकर इस पर कोई विवाद न करवावें। माननीय मंत्री महोदय इस पर गहराई से विचार करें। मैं फिर इसको दोहरा करके कहना चाहता हूं कि जितने माननीय मंत्री जी के सामने जनतंत्र के तर्क आये

[श्री राजनारायण]

होंगे उन तमाम तर्कों के मत का समुच्चय यही कहेगा कि प्रशासकों की नियुक्ति गैर जनतांत्रिक है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी अपने मित्र राजनारायण जी का भाषण सुन रहा था। उसमें मुझे भावुकता अधिक मात्रा में दिखायी दी। मेरे मित्र यह समझ रहे हैं कि हमारी सरकार प्रजातंत्र की प्रणाली पर चोट पहुंचा रही है और प्रशासकों की नियुक्ति एक प्रकार की तानाशाही और जैसा उन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप है। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह राजनारायण जी का भ्रम है। जिस सरकार की और सरकार के पीछे जो व्यक्ति हैं, उनकी नीति के अनुसार आज हमारा विधान बना है उस विधान में लोकतंत्र के सिद्धांतों को पूरा प्राबल्य दिया गया है। हर एक व्यक्ति को वोट का अधिकार है और उसी के आधार पर आज हमारा शासनसूत्र चल रहा है। तो यह कहना कि हम ही लोग प्रजातंत्र के ऊपर आघात करेंगे और प्रजातंत्र का गला दबायेंगे कहां तक उचित है। कांग्रेस की नीति बराबर यह रही कि स्वशासन को अधिक मात्रा में फैलायें और पार्टी की उस नीति के अन्तर्गत यह स्पष्ट है कि आज स्वशासन कम नहीं किया जा रहा है बल्कि उसको गांव २ में फैलाया जा रहा है। हमारी गांव सभायें हैं जिनको स्वशासन का अधिकार दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर माननीय राजनारायण जी यह समझते हैं कि इन पांच शहरों के एडमिनिस्ट्रेटरों की नियक्ति तानाशाही है तो श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि यह केवल उनकी भावुकता है।

इस विधेयक के पीछे जो सिद्धांत हैं, जो नीति है, वह सामयिक ही नहीं बल्कि कुछ वास्तविकता को लिये हुये हैं और अगर विरोधी दल के मेरे मित्र उसको समझने की चेष्टा करेंगे तो बहुत सरलता से उसको समझ जायेंगे। यह पुरानी बात हो रही है कि हमारे प्रांत के कुछ बड़े-बड़े नगर ऐसे हैं जिनमें म्युनिसिपल बोर्ड काफी नहीं समझे जाते और वहां के लिये आज से नहीं बल्कि कई सालों से यह सोचा जा रहा था कि उनको कारपोरेशन का दर्जा दिया जाय। इसी नीति के अन्तर्गत यह निश्चित किया गया कि कारपोरेशन के चुनाव के पहले यह उचित होगा कि शासन संबंधी कुछ गुत्थियां हैं वह सुलझायी जा सकें। उन शहरों में कहीं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट थे, कहीं डेवलपमेंट बोर्ड थे अब नीति यही रखी गयी कि आगे चलकर जो कारपोरेशन बने तो उन कारपोरेशनों के अधिकार में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्युनिसिपल बोर्ड दोनों के काम आ जायं, यह दोनों मुहकमे अपने स्थान में शहरों में पृथक-पृथक हैं। उनके कर्मचारी अलग हैं, उनके आफिसर अलग हैं और उनके कायदे कानून भी अलग हैं।

तो यह उचित ही समझा गया कि उन दोनों मुहकमों को एक किया जाय, उनके अफसरों को एक सरविस के अन्दर कर दिया जाय, एक जगह मिला दिया जाय और जब यह बातें हो जायं तो फिर कारपोरेशन का चुनाव कर लिया जाय यह भी देखा गया कि अगर एक जगह चेयरमैन रहेंगे और एक जगह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रहेंगे तो उसमें बहुत देर लग सकती है। इसलिये सरकार ने यह उचित जाना कि थोड़े समय के लिये इन बाडीज को ससपेंड कर दिया जाय और उनके अधिकार एडमिनिस्ट्रेटरों के सुपुर्द कर दिये जावें। यह कोई नई बात नहीं है। शासन में ऐसी बातें होती ही रहती। अगर यह कहा जाता है कि सरकार स्वशासन के अधिकारों को वापस ले रही है या प्रजातंत्र की प्रणाली को रद्दीदान में डाल रही है तो मैं अपने मित्र राजनारायण जी से निवेदन करूंगा कि वह जरा इसको गहराई से देखें। मेरा अनुमान है कि जब यह इनका काम संभल जायगा, और मुमकिन है कि इसमें ५,६ महीने लगें, तो फिर कारपोरेशन के चुनाव जल्दी और आसानी से हो सकेंगे। मैं तो यह कहूंगा कि इन शासकों की नियुक्ति प्रजातंत्र की प्रणाली के अन्दर है। स्वशासन के अधिकारों के अन्तर्गत है और इसके बाहर की कोई चीज नही है।

राजनारायण जी ने कुछ शहरों के नाम लेकर वहां की स्थानीय परिस्थितियों का जिक्र किया। अगर सरकार को स्वशासन लेना ही था तो जहां लखनऊ का बोर्ड ससपेंडेड था, एकाध जगह और कर देती और यह सब आडम्बर करने की जरूरत ही न रहती। कुछ

म्युनिसिपल बोर्ड तो पहले ही से ससपेंडेड थे। सरकार की नीति तो यही रही है कि जल्दी से जल्दी म्युनिसिपल बोर्ड और कारपोरेशन अपने काम को करने लगें और उनकी बाधाओं को दूर करने के लिये ही इस नीति को चलाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर ५ स्थानों में गये, कोई फौज या आर्म्ड कांस्टेबुलेरी लेकर नहीं आये। वे जिले के एडीशनल कलेक्टर या किसी और अफसर के साथ गये और नियमपूर्वक चार्ज ले लिया। अब उस पर हाशियाआराई करना और यह कहना कि हमला हुआ और म्युनिसिपैलिटीज को क़ब्ज़े में ले लिया गया, यह मेरे मित्र की भावुकता का ही प्रदर्शन है। यह विधेयक बड़ा सरल है। इसमें कोई रहस्य की या कूटनीति की बात नहीं है। आनेवाले कारपोरेशन के लिये जमीन को साफ किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि यह सदन इसे स्वीकार करेगा।

सरकार की यह नीति भी नहीं है कि जनता को जो स्वशासन के अधिकार दे दिये गये उनमें किसी प्रकार की बाधा पहुंचाई जाय उनको रोका जाय या उनमे कमी की जाय। बल्कि सरकारी नीति तो यह रही है कि स्वशासन के सिद्धांत को गांव-गांव में और देश के कोने-कोने में फैलाया जाय। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा और जनता की मांग भी यही होगी, कि उनके चुनाव में विलम्ब न करें। ये अधिकार एक विशेष परिस्थिति में लिये गये हैं और जितनी जल्दी उसे दूर किया जा सके उतना ही अच्छा है। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके इसमें देर न की जाय और मैं आशा करता हूं हमारे प्रांत के ५ प्रतिष्ठित नगरों में कारपोरेशन जल्दी ही बन जायंगे और फिर मेरे मित्र माननीय श्री राजनारायण जी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं रहेगा और स्वशासन के अधिकार फिर जनता के हाथ में आ जायेंगे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक को पढ़ने के बाद जब इस प्रकार विचार करना शुरू किया तो मैंने इस दृष्टिकोण से इस पर विचार करने की चेष्टा की कि यह देखना चाहिये कि कहीं सरकार इस विधेयक द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर्स को नियुक्त करके जनतंत्र प्रणाली के विपरीत तो नहीं जा रही है। श्रीमन्, मुझे इस विधेयक में ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे मैं यह कह सकूं कि सरकार इसके द्वारा जनतंत्र प्रणाली के विपरीत जा रही है।

मैं इससे भी आगे जाकर श्रीमन्, साफ कह देना चाहता हूं कि यदि मुझे यह भी पता चल जाता कि सरकार इस विधेयक को बनाकर जनतंत्र प्रणाली के विपरीत जा रही है परन्तु इससे हमारे देश का फायदा है तो मैं यह कह देता कि भाड़ में जाय जनतंत्र प्रणाली। पश्चिमी देशों से एक अत्यन्त सुन्दर डैमोक्रेसी नाम की चिड़िया उड़कर हिन्दुस्तान में आई। यह सुन्दर थी, अच्छी थी और नई चीज थी, इसलिये हमने इसको वहां पिंजड़े में बन्द कर दिया। यह नहीं सोचा कि यहां की आबोहवा में यह जिन्दा भी रह सकती है या नहीं।

लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड कई सालों से एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे रहा है। अगर वह वहां पर डिक्टेटर बनकर बैठा है और उसके जमाने में लखनऊ की जनता को कोई कष्ट था तो जो इस जनतंत्र प्रणाली का नाम लिया जाता है तो इसके अन्दर जोर की आवाज आनी चाहिये थी कि एक मिनट भी डिक्टेटर वहां पर नहीं रह सकता था। श्रीमन्, अगर इस जनतंत्र प्रणाली में एडमिनिस्ट्रेटर तो बिचारा दूर रहा सरकार के तमाम कर्मचारी, अगर उसमें कुछ आवाज है तो मिनिस्टर्स तक भी एक मिनट के लिये भी इस आवाज के खिलाफ नहीं बैठ सकते हैं। फिर मैं कैसे मान लूं कि यह जनतंत्र प्रणाली के विपरीत है। इतने साल तक एडमिनिस्ट्रेटर ने काम किया है लेकिन हम एक आवाज भी नहीं सुनते कि जब से एडमिनिस्ट्रेटर आया है तब से जनता को कोई कष्ट हुआ है। जहां तक कबाल टाउन्स की म्युनिसिपैलिटीज को हटाकर कारपोरेशन बनाने के पहले एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त करने का प्रश्न है मैं समझता हूं कि चाहे कारपोरेशन न भी बनाये जाते तो भी बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज ऐसी हैं जहां पर सरकार को एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत पहले ही भेज देने चाहिये थे। हम लोग जनतंत्र प्रणाली के पीछे बहुत बातें कहते हैं।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

जनतंत्र प्रणाली का नाम लिया जाय और वातावरण ऐसा हो कि हर एक पार्टी अपना-अपना फायदा देखे तो श्रीमन्, मुझे यह कहने में जरा भी संदेह नहीं है कि ऐसी जनतंत्र प्रणाली हमें नहीं चाहिये।

श्रीमन्, मैं अपनी जगह पर बहुत कंवीन्स्ड हूं कि पोलिटीकली बैकवर्ड देश में इस तरह की प्रणाली जो सरकार चलाना चाहती है या विरोधी दल चलाना चाहता है, उसका एक ही नतीजा हो सकता है कि अंत में फासिज्म आयगा। जब हम इस तरह की प्रणाली देश में लाते हैं तो सिवाय फासिज्म के आने के और कोई नतीजा नहीं निकल सकता है। जब ऐसे वातावरण में फासिज्म आयेगा तो मैं किसी पार्टी के फासिज्म से बचाने की अवश्य कोशिश करूंगा। चाहे वह कांग्रेस पार्टी का फासिज्म हो, चाहे वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का फासिज्म हो या किसी भी पोलिटिकल पार्टी का फासिज्म हो।

श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने बहुत सी बातें बतलायीं जिनसे उन्हें यह मालूम होता है कि इन ऐडमिनिस्ट्रेटर्स की नियुक्ति करने से उन शहरों में एक प्रकार की डिक्टेटरशिप कायम हो जायगी। मुझे यह सुनने का सौभाग्य नहीं हुआ कि कोई भी ऐसा म्युनिसिपल बोर्ड जिसको कि सरकार ने सुपरसीड किया हो और एडमिनिस्ट्रेटर भेजा हो और वह वहां इतना बड़ा डिक्टेटर बन बैठा हो कि उस नगर के नागरिकों की इतनी बड़ी और बुलन्द आवाज उस एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ उठी हो और सरकार ने उसको न हटाया हो। सरकार के हटाने की बात ही नहीं पैदा होती, श्रीमन्, जबकि कोई आवाज ही नहीं उठी। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि जहां तक लखनऊ का सवाल है यहां की जनता पिछले म्युनिसिपल बोर्ड की जो कमेटी थी उससे एडमिनिस्ट्रेटर को कहीं ज्यादा पसन्द करती थी। श्रीमन्, जब कि हमारे देश का पोलिटिकल वातावरण ऐसा है कि हम अपने देश की भलाई या अपने नगर की भलाई को और कुछ बातों की वजह से नहीं देख पाते और अपनी पार्टी की भलाई या अपनी भलाई देश की भलाई से आगे रखते हैं तो उस समय तक, श्रीमन्, मैं हमेशा यहां पर खड़ा हो कर यही निवेदन करूंगा कि हमको ऐसी पूर्ण रूप की डेमोक्रेसी नहीं चाहिये। यह तो ऐसा ही है, श्रीमन्, कि मुझे एक दवा दी जा रही है जो कि मैं जानता हूं कि मेरे लिये बहुत फायदेमन्द नहीं है परन्तु चूंकि वह दवा पीना ही है इसलिये इतने छोटे-छोटे डोजेज में वह दवा दी जाय ताकि कहीं एकदम न हमको मार दे। इसी तरह से जब कि डेमोक्रेसी हमारे देश पर लादी ही गई है, मैं यह नहीं कहूंगा कि कि डेमोक्रेसी को हटा दिया जाय और कोई डिक्टेटरशिप बैठा दी जाय। लेकिन डेमोक्रेसी भी धीरे-धीरे फुलफ्लेज्ड बन सकती है। जब एक बच्चा चलने लगता है तो उस बच्चे के मां बाप क्या यह नहीं चाहते कि बड़ा होकर यह बच्चा खूब तन्दुरुस्त हो, एक मिनट में २०० गज दौड़ जाय, पांच-पांच फीट की टट्टियां कूदने लगे? लेकिन क्या उस पांच साल के बच्चे से मां बाप यह आशा रखते हैं कि वह पांच फीट की टट्टी कूद जाय। ठीक यही दशा हमारे देश में प्रजातंत्रवाद या जनतंत्र प्रणाली की है और फिर जहां तक इन म्युनिसिपैलिटीज और ऐडमिनिस्ट्रेटर्स का प्रश्न है, श्रीमन् मैंने कुछ दिन हुये एक अंग्रेजी किताब में दो लाइनें पढ़ी थीं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं "फार फार्म्स आफ गवर्नमेंट लेटफूल्स कंटेस्ट, व्हाट इज एडमिनिस्टर्ड बेस्ट इज बेस्ट"।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से अपने विरोधी दल के नेता को ३,४ महीने बाद सुना और मुझे उम्मीद थी कि इन ३,४ महीनों के बाद आज तो हमें कोई नई बात सुनने को मिलेगी, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वही पुराना रास्ता, वही पुरानी कहानी और वही एक दवा और वही एक शिकायत। मैं यह समझ नहीं पाया कि इस छोटी ही बात में कौन संसार भर के सिद्धांत और जनतंत्र प्रणाली को खतरा हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उनसे पूछना चाहता हूं और चाहता हूं कि वह या आखिर में जो और कोई उनका साथी खड़ा हो वह इसका जवाब दे। जब जनरल चुनाव हुआ था तो क्या आपके दल की यह मांग नहीं थी कि जितने भी इलेक्टेड मंत्रीगण हैं वे आफिस से अलग हो जायं तभी ठीक से

चुनाव हो सकेगा। तो अगर उसको अनुभव के लिये, एक्सपेरीमेंट के लिये ही मान लिया जाय, इन शहरों में यह इंतजाम कर रहे हैं तो क्या बुरा है? उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लायक दोस्त जो मैं कह रहा था संभवतः उससे अलग उछल गये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिन चुने हुये लोगों के हाथ में म्युनिसिपैलिटी थी और जिनको आगे भी चुनाव लड़ने का हक था, अधिकतर लोग वहां पर आफिस में थे इसलिये उनको अलहदा करके चुनाव लड़ाने का आप ही का बताया हुआ रास्ता अख्तियार किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, कोई अपने रास्ते को भूल सकता है लेकिन हम जिस रास्ते को सही समझते आये हैं उसी पर चलते जायेंगे। मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि इसमें जन तंत्र की प्रणाली का हनन कहां हो रहा है। ये ऐडमिनिस्ट्रेटर्स थोड़े दिनों के लिये हैं और वह चुनाव का मौका देने के लिये। फिर इन ऐडमिनिस्ट्रेटरों के ऊपर यह असेम्बली है, आपकी ही सरकार है, जनता की सरकार है, उसके ऊपर भी देश की पार्लियामेंट है और प्रधान मंत्री हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि जनतंत्र प्रणाली का हनन कहां हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी तक यह सोचा करता हूं कि मैं उतना तेज तो नहीं जा सकता जितना हमारे मित्र सुरेश प्रकाश जी चले गये लेकिन कभी-कभी मैं यह सोचा करता हूं कि यद्यपि बड़ी खूबियां हैं हमारी मौजूदा सरकार में, बड़ी खूबियां हैं हमारे देश के नतृत्व में, लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे एक बहुत बड़ी कमी उनमें यह दिखाई देती है, चाहे वे पंडित जवाहर लाल हों, या चाहे मोहन लाल गौतम हों और वह कभी-कभी इस हद्द तक होती है कि मेरी राय में कभी-कभी उससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। वह कमी यह है कि हमारी सरकार और नेता लोग बहुत ज्यादा डेमोक्रेट हैं तथा बहुत ज्यादा नरम हैं। इस हद्द तक प्रजातंत्रवादी और नरम हैं कि कभी-कभी इन सिद्धांतों की रक्षा करने में नुकसान उठा जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस झगड़े में तो नहीं जाना चाहता कि प्रजातंत्र है क्या और क्या नहीं है। मेरी समझ में इस भवन का हर एक व्यक्ति जो कि प्रजातंत्र के आधार पर ही यहां आया हुआ है इतना तेज नहीं हो सकता कि वह प्रजातंत्र की बात कहे और यह कहे कि दूसरे लोग प्रजातंत्र को समझते ही नहीं हैं। लेकिन मेरी यह प्रार्थना अवश्य है कि इस समय हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है कि प्रजातंत्र का सिद्धांत खतरे में है लेकिन हमें जो बात इस वक्त सोचनी है वह यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर का मुकर्रर किया जाना जरूरी था या नहीं। न तो यह प्रजातंत्र का ही प्रश्न था न और किसी बात का और न ही किसी सिद्धांत का ही प्रश्न है। अब इसका फैसला कैसे होगा। मैं यहां रहता हूं मैं तो कह सकता हूं लेकिन बनारस या इलाहाबाद के कोई साहब खड़े होकर यह कह सकते हैं कि वहां की जनता इसको नहीं चाहती थी? लेकिन जैसा कि सुरेश प्रकाश जी ने कहा लखनऊ के अन्दर मैं एक सवा साल से रह रहा हूं। इस बीच में मुझे बहुत से लोगों से मिलने और बातें करने का मौका मिला है, इधर के लोगों से ही नहीं बल्कि उधर के लोगों से भी बातें करने का मौका मिला है। इस सदन में किसी का नाम लेने की मेरी आदत नहीं है लेकिन जनता ने भी, हमारे दल के लोगों ने भी और उस दल के लोगों ने भी, लखनऊ के ऐडमिनिस्ट्रेटर की तारीफ की है और इसलिये तारीफ की है कि उनका काम बड़ा सुन्दर था और है। तो इसी प्रकार से मुझे जो आवाजें मिली हैं इलाहाबाद का एक पड़ोसी होने के नाते या और लोगों से जो खबरें मिलती हैं उनसे यही पता मिलता है कि जनता संतुष्ट है। प्रजातंत्र में खूबियां हैं और वह अच्छी चीज है लेकिन उसकी खराबियां भी हैं और आरम्भ में जो खराबी कही हो सकती है वह म्युनिसिपल बोर्ड्स से ही हो सकती हैं। इसलिये जनता चाहती थी कि परिवर्तन हो लेकिन यह बात जरूरी है कि उस परिवर्तन से वह संतुष्ट हो। मैं दावे से कह सकता हूं कि जिन शहरों में यह हुआ है वहां कोई बहुत चहल पहल नहीं मची है या ऐसी कोई भयंकर बात नहीं हो गयी जैसे हिटलर आया हो या मुसोलिनी आया हो। बोर्ड के सदस्यों का उससे मोह होना स्वाभाविक ही है क्योंकि अगर हमारी असेम्बली ही खत्म हो जाय तो यहां के कुछ लोग क्या, सभी लोग और मैं भी उसमें साथ देता कि ऐसा नहीं होना चाहिये। क्योंकि हर एक आदमी जहां वह होता है या अपने दफ्तर में काम

[श्री रामनरेश शुक्ल]

करता है उससे कुछ मोह हो जाता है जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता। इसमें और कोई खास बात नहीं है।

अब यह एक बुनियादी सवाल है और समझने की बात है कि इस सरकार ने ऐड-मिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना क्यों आवश्यक समझा। कारपोरेशन का काम म्युनिसिपैलिटियों से कुछ बड़ा है। म्युनिसिपैलिटियों का चुनाव अक्टूबर में होने जा रहा है। हमारे कारपोरेशन का जो कानून है वह अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, एक कानून के बनाने में कुछ वक्त लगता है। अगर अक्टूबर तक इन म्युनिसिपैलिटियों का काम उन पुराने आदमियों के ही हाथ में छोड़ दिया जाता जो कई सालों से हैं और बाकी हिस्से का चुनाव करा दिया जाता तो यह चीज मेरी समझ से मुनासिब नहीं मालूम पड़ती और दूसरी चीज यह है कि जो म्युनिसिपैलिटियों का सेट अप था वह गायब हो रहा है, उसकी जगह पर कारपोरेशन हो रहा है। लिहाजा उसके बीच में कुछ गैप होना चाहिये। मुझे मालूम नहीं है कि कारपोरेशन बिल में क्या-क्या चीजें हैं लेकिन हमारा अन्दाजा जरूर है कि कारपोरेशन बनने पर उसका कुछ दूसरा ही तरीका होगा। वहां की वर्किंग अलग होगी। इसलिये इस पुराने सेट अप को अलग कर देना चाहिये। लोगों के सोचने के तरीके और काम करने के ढंग में एक ब्रेक होना चाहिये ताकि नये सेट अप में काम हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद है जब बम्बई और कलकत्ता का कारपोरेशन बना था उसका प्रबंध भी पहले सरकारी आदमियों के हाथ में ही दिया गया था।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--तब अंग्रेज थे।

श्री राम नरेश शुक्ल--अच्छी चीज दुनिया भर से भी लेनी चाहिये। तो कलकत्ता और बम्बई कारपोरेशन में भी पहले ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुये थे। उसी तरह से अगर यहां भी ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुए हैं तो इसमें कोई नयी बात नहीं हुई है और यह कि अंग्रेजों ने कोई गलत काम किया अगर ऐसा मैं सोचने के लिये तैयार हूं तो अगर ऐड-मिनिस्ट्रेटर का काम गलत होता तो कलकत्ता और बम्बई कारपोरेशन की जो शक्ल आज है वह कुछ बदली हुई नजर आती। यह भी मानने की बात है और इससे हम और आप सभी सहमत हैं कि कलकत्ता और बम्बई के कारपोरेशन संसार के अच्छे कारपोरेशनों में हैं। तो अगर यहीं यह बात हुई तो इसमें कौन भारी बिजली चमक पड़ी या कोई तूफान आ गया जिससे कहा जाय कि जनतांत्रिक प्रणाली पर बज्राघात हुआ? यह बात किसी तरह से भी मेरी समझ में नहीं आयी। सारी दुनियां में रोजाना ऐसी बातें हुआ करती हैं अगर यहां भी कुछ जगहों में यह बात हो गयी तो यह कौन सी बड़ी बात है? यह प्रजातंत्र फलता-फूलता है, डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट्स हर जगह पर हैं। जितने जिले हैं उतने वहां पर हर जगह जिलाधीश हैं। वहां भी कोई खंभा है, वहां भी प्रजातंत्र है। यह बड़ी-बड़ी बातें छोटी-छोटी जगहों पर आने से एक बात हो सकती है और मैं माननीय सुरेश प्रकाश जी से सहमत हूं कि जब छोटी बातों में बड़ी बातों को लाकर पटक दिया जाय तो बड़ी चीज बा मखौल हो जाती है और मखौल हो जाने के बाद उसका मूल्य घट जाता है और मूल्य घट जाने से उसका होना कतअन असंभव हो जाता है। इस तरह की बातें उठाकर प्रजातंत्र को बड़ा नुक्सान पहुंचता है और ये बातें इस तरफ़ से नहीं वरन् उस तरफ से उठाई जाती हैं। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रदेश के ५ अग्रिम नगरों में कारपोरेशन बनाने का प्रश्न है और वहां पर एक व्यवस्थित रूप से स्वायत्त शासन प्रणाली को चलाने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इस माननीय सदन के किसी भी आदरणीय सदस्य को कोई विरोधाभाव इस संबंध में नहीं हो सकता। कारपोरेशन बनाने के प्रश्न पर कई वर्ष से सरकार की ओर से चर्चा

हो रही थी और शिकायत इस बात की थी कि इस संबंध में विधेयक लाने में और आवश्यक कार्यवाही करने में सरकार देरी कर रही है। यानी आज से बहुत समय पहले ही कारपोरेशन बिल इस सदन के सामने आ जाना चाहिये था और इन ५ अग्रिम शहरों में कारपोरेशन बन जाने चाहिये थे और उनका कार्य शुरू हो जाना चाहिये था। लेकिन कारपोरेशन बनाने की भावना, उसका निश्चय, और उस निश्चय को व्यावहारिक रूप में परिणत करने की प्रक्रिया—ये भिन्न-भिन्न आधार हैं। भिन्न-भिन्न विषय हैं। श्रीमन्, मैं तो यह समझता हूं कि गवर्नर महोदय के अध्यादेश के द्वारा और आज इस सदन में प्रस्तुत इस विधेयक के द्वारा हम एक अच्छा कारपोरेशन नहीं बल्कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाने जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार यह समझती है कि ५ शहरों में ५ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा देने के बाद उनको बोर्ड ट्रस्ट, म्युनिसिपल कमेटीज और अन्य कमेटीज का एक मात्र सर्वाधिष्ठाता बनाना है तो वहां स्वायत्त शासन की स्थापना नहीं हो सकती है और यह सर्वथा गलत बात है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि विधेयक लाया जा रहा है, इस विधेयक से किस आधार पर कारपोरेशन्स का निर्माण होने वाला है। माननीय मंत्री जी ने अपने छोटे से भाषण में यह नहीं बतलाया कि आखिर यह म्युनिसिपल बोर्ड, ट्रस्ट और डेवलेपमेंट बोर्ड किस प्रकार एक होंगे, उनका एकीकरण किस प्रकार होगा जबकि हमने कोई प्रस्ताव या विधेयक पास नहीं किया है, जब कि हमारे पास ऐसे परस्पर सम्बद्ध करने वाले निर्देशों के बारे में कोई आज्ञा नहीं है। तो मैं यह कैसे समझूं कि किस आधार या निर्देश पर कोआर्डिनेशन होगा चाहे कोई कितना ही काबिल या अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर क्यों न हो? मैंने बहुत चेष्टा की यह देखने की कि ये एडमिनिस्ट्रेटर किस लाइन के अनुसार चलेंगे, तो इसमें दो तरीके नजर आये, जिनको राज्य सरकार ने अपने हाथ में लेकर किया है और मैं उन दो धाराओं को माननीय सुरेश प्रकाश जी की सेवा में अर्पित करना चाहता हूं। आखिर जनतंत्र प्रणालियों का उल्लंघन कहां पर किया गया है? अगर मेरे मित्र इस विधेयक की धारा ३ की उपधारा १ के उपखंड (ख) और उसी धारा की उपधारा २ के उपखंड ३ (क) की तरफ देखें, तो उन्हें मालूम होगा कि किस प्रकार जनतंत्र का उल्लंघन और तीव्रगति से हो रहा है। इसमें लिखा है:

"Notwithstanding anything contained in the U. P. Municipalities Act, 1916, the U. P. Town Improvement Act, 1919, or the Kanpur Urban Area Development Act, 1945, the State Government may, with a view to facilitate the establishment of Corporations in KABAL TOWNS ..... (b) Make such incidental and consequential provisions including provisions for suspending any provisions of the said Act as may appear to be necessary or desirable for this purpose."

[यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ऐक्ट, १९१९ अथवा कानपुर अर्बन एरिया डेवलेपमेंट ऐक्ट, १९४५ में किसी बात के होते हुये भी, कबाल नगरों में कारपोरेशनों की स्थापना को सुकर बनाने तथा सुविधाजनक संक्रमण (ट्रेंजीशन) के विचार से ....]

[(ख) ऐसे आनुषंगिक अथवा पारिणामिक उपबंध, जिनमें उक्त ऐक्टों (अधिनियमों) के किसी भी उपबंध का अधिक्रमण (सस्पेंडिंग) भी सम्मिलित है, जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक अथवा वांछनीय प्रतीत हो, बना सकती है।]

यानी सरकार ऐसी ताकत लेने जा रही है इस विधेयक के द्वारा, जिसके अनुसार किसी भी उपबंध और किसी भी धारा को जो इन तीनों ऐक्टों यानी, म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट हो, चाहे टाउन एरिया इम्प्रूवमेंट ऐक्ट हो और चाहे कानपुर अरबन एरिया डेवलेपमेंट ऐक्ट हो इन तीनों ऐक्टों की किसी भी धारा को सस्पेंड करने या उसको बदलने या खत्म कर देने का सब अधिकार सरकार लेने जा रही है। यानी जितनी ताकत इस लेजिस्लेचर को है वह

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

एक बिलकुल अज्ञात दरवाजे से ले लेना चाहती है। धारा तीन (क) को देखें तो उसमें लिखा है—

"उक्त ऐक्ट्स (अधिनियम) उस अवधि के लिये जो निर्दिष्ट की जाय, उस स्थानीय निकाय के क्षेत्र में जिसके लिये प्रशासक नियुक्त हुआ हो, ऐसे अनुकलनों, परिवर्तनों अथवा परिष्कारों के साथ प्रभावी होंगे जो उक्त उपधारा के खंड (क) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों।"

अगर हम समझते हैं कि इस विधान सभा की योग्यता को कोई महत्ता मिली हुई है, अगर हम समझते हैं कि यहां के विधेयकों को बदलने, परिष्कृत करने, परिमार्जित करने या अभिवर्धित करने का अधिकार किसी को है तो वह केवल इस विधान सभा को है तो फिर श्रीमन्, हमें समझना चाहिये कि इस प्रकार के अधिकार किसी राज्य सरकार को बिना किसी प्रस्तावना के दिये ले लेना अधिनायकत्व की भावना को प्रोत्साहन देना है और यही जनतंत्र का उल्लंघन है जो इस विधेयक की धाराओं में स्पष्ट रूप में विद्यमान है। माननीय राम नरेश जी ने बम्बई और कलकत्ते का जिक्र किया कि वहां भी तो ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये गये। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या बम्बई और कलकत्ते के ऐड-मिनिस्ट्रेटर कारपोरेशन ऐक्ट बन जाने के बाद नहीं नियुक्त किये गये थे ? क्या वहां पर ऐसी स्थिति आई थी कि बिना किसी कारपोरेशन ऐक्ट और बिना किसी स्पष्ट रूप-रेखा के किसी प्रकार कारपोरेशन बनेगा, उसके क्या-क्या अधिकार होंगे, उसकी क्या कार्यप्रणाली के अधिकार होंगे, क्या उसके संगठन संबंधी कार्य होंगे, बिना इसके जाने हुए केवल यह कहना कि हम कारपोरेशन अच्छा बनवा रहे हैं इसलिये ऐसा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह ऐसी बात है कि प्रसवपीड़ा के पहले ही, शिशु के पालने में झूलने के पहले ही, उसके नाप के कपड़े बनवाने की कोशिश करना है और साथ ही साथ जब यह जानते हुये और यह देखते हुये कि आखिर उसकी शेप क्या होगी, क्या उसकी शक्ल होगी, क्या चित्र होगा उस चित्र की चित्रकारी की कोशिश करना मैं समझता हूं किसी भी रूप में उचित नहीं है। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि अगर हमारे माननीय मंत्री जी, जो मैंने उदाहरण दिया है उसकी भावना को स्पष्ट रूप से समझना चाहें तो उसको अधिक गम्भीरतापूर्वक समझें, बजाय मुस्कराने के।

श्री मोहनलाल गौतम—ऐसी मिसाल अगर आप दें तो अच्छा है जिसकी जाती मिसाल हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्योंकि आपको जाती अनुभव है इसलिये मैं आपसे यह कह रहा हूं। मैंने इस बात की चेष्टा की कि आखिर मैं यह जान सकूं कि म्युनिसिपल कारपोरेशन की परिभाषा क्या है, क्या म्युनिसिपल कारपोरेशन को सरकार बनाती है ? क्या ऐसा होता है कि सरकार ने निश्चय कर लिया कि कारपोरेशन बने, तो कारपोरेशन बन गया और सदन की कोई राय न हो ? मैं यह समझता हूं कि सरकार का कोई निश्चय कर लेना इस सदन के लिये अवश्यम्भावी नहीं है। जब तक इस सदन के सामने कोई चीज न आवे और जब तक यह सदन उन उद्देश्यों और कारणों को मानकर यह घोषणा न करदे कि कारपोरेशन को हम स्वीकार करते हैं और इन उद्देश्यों के आधार पर वह बनना चाहिये, तब तक सरकार उसको बना नहीं सकती है। अगर सरकार चाहती है तो उसके प्रस्ताव को हमारे सामने रखेगी और उसके जो उद्देश्य हैं उनको स्पष्ट कर देगी। तब यदि हमारा सदन उसको स्वीकार करता है तब वह बन सकता है। सरकार ने जो यह चेष्टा की है, मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार से विधान के नियमों के अनुसार या विधान के परम्परागत नियमों के अनुसार उचित नहीं है।

मैंने इस बात की चेष्टा की कि कारपोरेशन की परिभाषा को जानूं कि सरकार किस परिभाषा को मानती है तो इस संबंध में जो दिल्लां साहब ने म्युनिसिपल कारपोरेशन की परिभाषा दी है उसको आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह इस प्रकार है:

"A municipal corporation, in its strict and proper sense, is the body politic and corporate constituted by the incorporation of the inhabitants of a city or town for the purposes of local government thereof."

तो कारपोरेशन वहां के नागरिकों का कारपोरेशन हुआ करता है। किसी अफसर का नहीं हुआ करता है। वह सरकार का कोई अविभाज्य अंग नहीं है, बल्कि वह कारपोरेशन जिस स्थान के लिये बनता है वह वहां के नागरिकों का अपना एक निकाय है और इसी बात को देख कर हमें आगे बढ़ना चाहिये। दिल्लां साहब ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि कारपैरेशन किसी एक का बनाया हुआ नहीं होता है—

"**CREATION AND POWERS.**—Like other corporations, municipal corporations must with us be created by statute. They possess no powers or faculties not conferred upon them, either expressly or by fair implication, by the law which creates them or by other statutes applicable to them. Persons residing in or inhabiting a place to be incorporated, as well as the place itself, are-both the persons and the place-indispensable to the constitution of a municipal corporation. Municipal corporations are created and exist for the public advantage and not for the benefit of their officers or, of particular individuals or classes. The corporation is the artificial body created by the law and not the officers, since these are, from the lowest up to the councilmen or mayor, the mere minister of the corporations."

कानून हमारे सामने नहीं है और उस कानून का क्या रूप होगा यह भी हम जानते नहीं हैं और सरकार को भी इस संबंध में कोई स्पष्ट आज्ञा नहीं है कि इन शहरों इलाहाबाद, बनारस, आगरा, कानपुर और लखनऊ के म्युनिसिपल बोर्ड की हालत अच्छी नहीं थी या कितना उनका खर्चा था और कितना जमा था। जब तक इस हालत को हम नहीं जान सकते तब तक यह कैसे पता लगा सकते हैं कि इस वजह से यह आवश्यकता थी, इन सबको खत्म कर दिया जाय? आखिर सरकार ने अभी टाउन एरिया को नोटिफाइड एरिया बनाया है। मेरे पास ३० म्युनिसिपल बोर्ड की लिस्ट है जो कि सन् १९४९ ई० में बनाये गये हैं। जो पहले टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया थे, उनको म्युनिसिपल बोर्ड बनाया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने या उनके विभाग ने कितने टाउन एरियाज को म्युनिसिपल बोर्ड बनाते समय, यानी उनकी तरक्की करते समय यह नहीं सोचा कि क्या-क्या होगा, कहां ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होगा और क्या कदम उठाये जायंगे। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं मिसाल के लिये एक दो शहरों के नाम लूंगा। थोड़ी देर के लिये मैं मिसाल के लिये एक, दो शहरों के नाम २३ शहरों में से लेता हूं जैसे: शामली, बिलग्राम, गोला और मोहम्मदाबाद वगैरह जो पहले नोटीफाइड एरिया थे और अब म्युनिसिपल बोर्ड बनाये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको नोटीफाइड एरिया से म्युनिसिपेलिटी बनाते वक्त क्या वहां भी ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किये गये थे और अगर नहीं तो वहां जरूरत नहीं पड़ी तो फिर यहां किस तरह से जरूरत पैदा हो गई? यह तो सदन मान ले कि जिस नोटीफाइड एरिया को म्युनिसिपल बोर्ड बनाना है या जिस म्युनिसिपल बोर्ड को कारपोरेशन बनाना है उसके काम को सुगम बनाने के लिये, आसान बनाने के लिये हमें ऐडमिनिस्ट्रेटर रखने चाहिये लेकिन यह कोई फारमूला या सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है और ऐसी हालत में हम क्यों न वहां के नागरिकों को सदस्यों को और चुने हुये सदस्यों को ही अपने को दुरुस्त करने का मौका दें? या मंत्री जी यहां साफ तौर से बतावें कि इन शहरों के सदस्यों या बोर्डों के खिलाफ शिकायत थी और इसीलिये हमको उन्हें सुपरसीड करना पड़ा। तो यह सुपरसेशन म्युनिसिपल ऐक्ट की धारा के अनुसार भी नहीं है। जब वहां के सदस्यों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है तो अचानक किस सिद्धांत के अनुसार इस आर्डिनेंस या बिल

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

को लाया जा रहा है, यह हमारी समझ में नहीं आया । मैं मंत्री जी की सेवा में कानपुर अरबन एरिया डेवलेपमेंट ऐक्ट, सन् १९४५ की धारा १५६ पढ़ना चाहता हूं । इस धारा के अनुसार

"Notwithstanding anything to the contrary contained in ths municipa lities Act, if at any time during the life of the Board the Municipal Board is superseded.

(a) All powers, duties, functions and responsibilities of the Municipal Board, not provided for in the Act, shall immediately vest in the Board."

अगर कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीड किया जाता है तो जितने उसके कर्मचारी होंगे वह सब कानपुर डेवलेपमेंट बोर्ड के अन्दर आ जायेंगे तो वह बात किस तरह से इस बिल के साथ सामंजस्य करेगी ? जहां तक हम इस बिल को देखते हैं इसकी प्रस्तावना में लिखा है और उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि "उक्त नगरों के नागरिक विषयों का प्रशासन प्रशासक द्वारा किया जाय, जो उस स्थानीय निकाय के, जिसका कि वह प्रशासक हो, समस्त अधिकारों का उपयोग और कर्त्तव्यों का पालन करे तथा सम्बद्ध बोर्ड समाप्त हो जायें। तो उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि सम्बद्ध बोर्ड समाप्त हो जायें। लेकिन बिल में संयोग की बात कही गई है, यानी ऐडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल बोर्ड से कोआर्डिनेट करेगा, समाप्त नहीं करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि बिल में मंत्री जी के उद्देश्य और कारणों में और जो भाषण में यहां कहा गया इन तीनों में मतभेद है । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस मामले को वह अधिक स्पष्ट करें और बोर्डों की वित्तीय और दूसरी स्थिति पर प्रकाश डालें। और स्वायत्त शासन का नमूना पेश करें। वह हमें दिखायें कि जहाँ ऐक्ट बिना बनाये ही, एडमिनिस्ट्रेटर बनाये गये हैं, वह इस प्रकार का जनतांत्रिक स्वायत्त शासन का नमूना अगर पेश कर सकते हों तो करें और उसके बाद शायद हम जैसे विधान सभा के सदस्य उनकी बात और विचार का अधिक स्वायत्त कर सकेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी दया से मुझे आज प्रथम दिवस की बैठक ही में बोलने का मौका मिला इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं बड़ी खुशी के साथ अपने विरोधी दल के नेता को जवाब देना चाहता था लेकिन वह तो खिसके जा रहे हैं। उन्होंने प्रजातंत्र प्रणाली का विरोध किया है। लेकिन उनको पता नहीं है। विधान की २१३वीं धारा के अनुसार जो अधिकार गवर्नर महोदय को प्राप्त है उसी के अनुसार उन्होंने आर्डिनेंस जारी किया है। आज इसी आर्डिनेंस को बिल के रूप में सरकार ने रखा है। जहां पर प्रजा के चुने हुये सारे सदस्य बैठे हुये हैं, चाहे प्रजा पार्टी के हों सोशलिस्ट पार्टी के हों, हिन्दू महासभा के या कांग्रेस के हों, जितने मेम्बर बैठे हैं सब भारतीय विधान के अनुसार चुन कर आये हैं। मैं नहीं समझता कि उनको डेमोक्रेसी का ज्ञान है या नहीं। मुझे शक है कि उन्हें प्रजातान्त्रिक प्रणाली का ज्ञान है अथवा नहीं। मुझे संदेह होता है।

मैं इस विधेयक के सिलसिले में आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष मुझसे और कानपुर के कुछ सदस्यों से बातचीत परसनली हुयी और उन्होंने अपने व्यक्तिगत भाव प्रकट किये कि कानपुर में बड़ी शिकायत है, बड़ी गन्दगी है। मैंने स्वयं कानपुर में देखा कि कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड का शासन बहुत खराब है । इतनी गंदगी है कि गवर्नमेंट ने मजबूर होकर उसे हटाया। गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटाया गया तब गवर्नर महोदय ने जो अधिकार उनको विधान द्वारा प्राप्त है उसके अनुसार उसे अपने हाथ में लिया, ताकि कारपोरेशन बन सके और जनता संतोष की सांस ले सके और अपनी विचार धारा को समने रख सके। इलाहाबाद के माननीय सदस्य आज यहां मौजूद हैं। वहां के म्युनिसिपैलिटी का प्रबंध खराब होने के कारण वहां के चेयरमैन पं० विश्वम्भर नाथ पांडे उनके मुकाबले चुनाव में हार गये। अगर हमने वहां का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया तो इसीलिये लिया कि वहां का प्रबंध अच्छा हो । जब किसी म्युनिसिपैलिटी का प्रबंध खराब होता है तो गवर्नमेंट से कहा जाता है कि गवर्नमेंट उसका

इंतजाम अपने हाथ में क्यों नहीं लेती है और जब गवर्नमेंट उसे अपने हाथ में ले लेती है तो यहां आकर कहा जाता है कि प्रजातान्त्रिक प्रणाली का सर्वनाश होता है। मैं समझता हूं कि जहां की पौलियामेंट में चुने हुये पांच सौ सदस्य मौजूद हों और इस सदन में भी जनता के चुने हुये प्रतिनिधि मौजूद हैं, वहां यह कहना कि प्रजातांत्रिक प्रणाली का गला घोटा जा रहा है यह बड़े आश्चर्य की बात है।

मैं माननीय राजनारायण जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वह फिर विचार करें और बिल का समर्थन करें और पास करें। हमारी सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम शीघ्रातिशीघ्र कारपोरेशन बनायेंगे। हमारे लायक दोस्त ठाकुर साहब ने भी सपोर्ट किया है। अगर हमारी नियत प्रजातंत्र प्रणाली का सर्वनाश करने की होती तो जिस व्यक्ति को दफा १४४ तोड़ने के अपराध में गिरफ्तार किया गया हो, वह जमानत पर छूटकर यहां न बैठा होता। हम पूर्णरूप से प्रजातान्त्रिक प्रणाली का नमूना बरत रहे हैं। विरोधी दल के भाई कान खोल कर सुन लें। हम प्रैक्टिकल डेमोक्रैसी चला रहे हैं। माननीय सुरेश प्रकाश जी ने कहा कि हमारी डेमोक्रेसी पश्चिम से उड़ कर आयी है। मैं कहता हूं कि अगर वह इतिहास के पन्ने उलटें तो वह देखेंगे कि हमारे देश में चन्द्रगुप्त के जमाने में प्रजातान्त्रिक प्रणाली थी आज कोई नयी बात नहीं है। हम पिछली बातों को ला रहे हैं। "उरूजे कामयाबी पर कभी हिन्दोस्तां होगा" यह नारा हमने लगाया था। आज हम उरुज की तरफ चल रहे हैं, जवाल की तरफ नहीं। यह भी हो सकता है कि हम उधर हों और आप इधर हों और हम भी शायद आप को इधर देखें अगर मौका हो। डेमाक्रेसी हमारे मुल्क में चल रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया वह ठीक किया। भारत के संविधान के अनुसार जो आर्डिनेंस गवर्नर महोदय ने जारी किया है, वह उन्होंने अपनी पावर के अन्दर किया है, जबरदस्ती काम नहीं किया जिसमें प्रजातंत्रात्मक नीति का गला घोटा जा रहा हो या जहां कि डिमाक्रेसी की नीति दबाई जा रही हो।

जो कुछ किया गया वह स्थानीय शासन को ठीक करने के लिये किया गया। हमारे विरोधी दल के नेता ने मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी अपनी स्पीच में खींच दिया। रामनारायण जी ने कहा कि वही पुरानी गुलामी बाक़ी है। मैं बहुत उम्मीद से आया था कि आज माननीय राजनारायण जी बोलेंगे तो बड़ा रस आयेगा और बड़े सुन्दर ढंग से वह भाषण देंगे, क्योंकि आज की फ़िजा उनकी कुछ और है, लेकिन हम देखते हैं कि वह वहीं हैं जहां थे, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि विरोधी दल के नेता ऐसे छोटे-छोटे अटैक करना छोड़ दें कि मिनिस्टर के बेटे कहां हैं, मिनिस्टर के रिश्तेदार को यह दिया गया, यह विरोधी दल के नेता को शोभा नहीं देता।

श्री राजनारायण—सत्य है या ग़लत?

श्री शिवनारायण—सत्य असत्य मैं क्या कहूं? आप ही तस्लीम कर लिया करते हैं। इन बातों के प्रूफ हमारे सामने तो है नहीं आप ही के सामने रहा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कानपुर तो मैंने स्वयं देखा है। २१ मार्च से २५ अप्रैल तक मैं वहां रहा हूं। वहां पर बड़ी गन्दगी है। जो वहां पानी की दिक्क़त है, रहने की दिक्क़त है, मैला सड़क पर पड़ा रहता है, वह सब पर विदित है। मजबूर हो करके हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे गवर्नर ने उस चीज को अपने हैंड में लिया ताकि उसको ठीक करके हम कारपोरेशन बनायें। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय शीघ्रातिशीघ्र जनता की राय का ख्याल रखते हुये वहां कारपोरेशन बनायेंगे और दिसम्बर या मार्च तक कारपोरेशन पास करके एलेक्शन करा लेंगे। यह मेरी रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट और मिनिस्टर-साहब से भी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं और माननीय राजनारायण जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने शब्दों को वापस करें।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नारायण दत्त जी के भाषण को बड़े गौर से सुना और मैं चाहता था कि उन्होंने जो विचार प्रदर्शित किये उन में से मैं कुछ तथ्य समझ सकता, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं उनके भाषण को सुनने के बाद जो उन्होंने एतराजात पेश किये, उनसे कुछ भी मुझे कनविक्शन नहीं हो सका।

यह आप के सामने जो बिल पेश है उसका उद्देश्य क्या है यह माननीय मंत्री महोदय ने अपने आब्जेक्ट्स में बिल्कुल स्पष्ट किया। पांच आपके प्रदेश के नगर हैं जहां कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं। उनके लिये जो आप के कानून होंगे, वह आपके सदन में बहुत ही शीघ्र प्रस्तुत किये जायगे। तब यह दलील करना कि जो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किये गये वह जो इसके पहले पुराना म्युनिसिपल ऐक्ट सब थे उनमें कुछ संशोधित कानूनों पर कार्य कर सकेंगे, मैं समझता हूं इसमें एतराज की कोई बात नहीं। क्योंकि वास्तव में उन ऐडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करने का उद्देश्य ही यह है कि पांचों शहरों में जो बोर्ड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड, उनके कामों में सामंजस्य और कोआर्डिनेशन ला सकें और उस कोआर्डिनेशन को लाने के लिये यह आवश्यक है कि उन दोनों के जो अलग-अलग क़ानून बने हुये हैं, उनमें यदि कुछ परिवर्तन करके भी उनको कार्य में लाने की आवश्यकता हो तो उनको व्यवहार में लाया जाय। अगर ऐसा अधिकार उनको न मिलता तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय अपने मित्र से कि उनका उद्देश्य ही क्या होता। बिना इनके वह अपना कार्य किस तरह से पूरा कर पाते? आपको मालूम है कि इन पांच नगरों में जो म्युनिसिपल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बने हुए हैं और म्युनिसिपलबोर्ड बने हुए हैं, कई शहरों में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्युनिसिपल बोर्डों में काफी आपस में खींचतान है। तो उनमें सामंजस्य को लाने के लिये यह निश्चय किया गया कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को म्युनिसिपल बोर्ड में मिला लिया जाय और उसके लिये यह आवश्यक था कि एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाय और आगे जो कारपोरेशन बनने वाले हैं जिनको कि ट्रस्ट के भी अधिकार दिये जाने वाले हैं उनके लिये ऐसा रास्ता वह तैयार कर सकें कि जब वह जनतंत्र प्रणाली से चुने हुये कारपोरेशन नियुक्त हों, तो वह उसको भली प्रकार काम में ला सकें। तो मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि कारपोरेशन की नियुक्ति जिनको कि भविष्य में और ज्यादा अधिकार प्राप्त होंगे बनिस्बत आज के म्युनिसिपल बोर्डों से तो उनके लिये मार्ग प्रशस्त करने के लिये, तैयार करने के लिये अगर इन ऐडमिनिस्ट्रेटर्स की नियुक्ति होती है तो आप किस तरह से यह कह सकते हैं कि यह जनतंत्र प्रणाली के विरुद्ध है? आवश्यकता इस बात की है कि इन दोनों के शासन में जो अपव्यय होता है उसको किसी तरह से रोका जाय। आवश्यकता इस बात की है कि इनमें जो अधिकारी वर्ग हैं जिनको हम कम कर सकते हैं उनको कम करके इन दोनों का खर्च कम करें और उसके लिये यह आवश्यक था कि एक प्रशासक नियुक्त हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे जब कारपोरेशन बनेंगे तो यह जो थोड़े से काल के लिये ऐडमिनिस्ट्रेटर्स रखे गये हैं, इस थोड़े से काल में उसकी बैकग्राउन्ड तैयार कर सकेंगे ताकि जो कारपोरेशन आगे चलकर आवेंगे वह सफलता पूर्वक काम कर सकें। सरकार ने तो कह दिया है कि इनकी नियुक्ति प्रजातंत्र सिद्धांतों के लिये, प्रजातंत्र बाडीज की वर्किंग के लिये लाभदायक साबित होगी। अगर हमारे माननीय मित्र कहते हैं कि वह जनतन्त्र प्रणाली या विकेन्द्रीकरण का एकरीऐक्शन है तो मुझे अफसोस है कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं। हमें अपने कार्य के उचित संचालन के लिये समय-समय पर आवश्यकता इस बात की होती है कि हम उसमें परिवर्तन करें और उसमें ऐसे भी मार्ग का हम अवलम्बन करें जिससे कि आगे चलकर जनतन्त्र शासन जो हम चलाना चाहते हैं वह सफलतापूर्वक चल सके। यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आज म्युनिसिपल बोर्डों का कार्य ऐसा है कि जिसके कारण यह आवश्यक हो जाता है शासन के लिये, कि वहां पर एक प्रशासक की नियुक्ति हो। अगर आप प्रशासक को उस स्थिति में नियुक्त न करें, तो वह तो इसी कार्य के लिये होता है कि आगे से जाकर आगे के कार्य के लिए भूमि को शुद्ध और ठीक करे, तो मैं आपसे कहता हूं कि हमारे देश में जनतंत्र प्रणाली कभी नहीं चल सकती। जनतन्त्र प्रणाली के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता जो हुआ करती है उसकी सफलता के लिये वह है जनमत, जनमत की आवश्यकता होती है और मुझे

खेद है कि आज हमारे देश में शुद्ध जनमत की बड़ी कमी है । तो उस स्थिति को लाने के लिये यह आवयक हो जाता है कि हम समय-समय पर उन मशीनों को सुधारते रहें और वह भी सुधारने का काम कोई ऐसी डिक्टेटोरियल बाडी के हाथ में नहीं है, वह भी अपने चुने हुये नुमाइन्दों के हाथ में है और वह चुने हुये नुमाइन्दे आपके सामने बिल पेश करके आप की सम्मति प्राप्त करके उस चीज को कर रहे हैं। तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि सदन की सम्मति से, सदन की बहुमत से, चुने हुये सदन की लोगों की राय से यदि प्रशासकों की नियुक्ति होती है और उसका आप समर्थन करते हैं, तो जनतंत्र की प्रक्रिया या जनतंत्र का उलटना किस तरह से हो जाता है ? यह जरा आप बतलाने की कृपा करें । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और इसका मेरे ख्याल में विरोधी दल को समर्थन करना चाहिये कि कारपोरेशन ऐक्ट जो आपके सामने आने वाला है उसमें महान् परिवर्तन होंगे और उसमें कबाल टाउन्स के म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन को और अधिकार दिये जायेंगे । उसमें इस बात का भी प्रबंध किया जायगा कि म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो खराबियां थीं वे आगे न रहें । मैं विरोधी पक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम ऐसे कार्य में सहयोग दें । मुझे विश्वास है कि यदि वे इस बात को समझते हैं यदि उनमें यह भावना है कि यह सरकार जो जनतंत्र प्रणाली के आधार पर चुनी गयी है जो जनतंत्र के आधार पर कार्य कर रही है और जो गांव-गांव में, एक-एक कोने में जनतंत्र के सिद्धांतों को लेजाना चाहती है, उस सरकार में कौन सी ऐसी बात आ गयी है जिससे आप के दिल में यह भावना पैदा हो रही है कि यह सरकार छः महीने के लिये एक डिक्टेटोरियल पावर अपने हाथ में हथियाना चाहती है । मेरे ख्याल में सरकार की यह भावना बहुत अच्छी है और वह चाहती है कि आगे जो कारपोरेशन्स बनें वह अच्छी तरह से काम करें और उसी के लिये वह पृष्ठभूमि तैयार कररही है । इसलिये मैं अपने मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने विरोध को वापस ले लें और सर्व सम्मति से इस बिल को पास हो जाने दें । बस मुझे इतना ही कहना है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जब मैंने सुबह भाषण सुना तो मैं समझ पाया कि उन्होंने इस प्रान्त के पांच बड़े शहरों में क्यों ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया । लेकिन उसके बाद जब इस सदन में मैंने कुछ और माननीय सदस्यों के भाषण सुने और उनकी दलीलें सुनी तो मुझे कुछ अचम्भा सा हुआ । मैं सब से पहले अपने आदरणीय दोस्त श्री रामनरेश शुक्ल जी की उन बातों का जवाब देना चाहता हूं जिनके बारे में उन्होंने हमसे पूछा है । उन्होंने यह कहा कि हमारी ही पार्टी पहले यह कहती थी कि जनरल एलेक्शन्स में चुनाव के पहले हमारे ऐडमिनिस्ट्रेटर्स को इस्तीफा दे देना चाहिये और तब हमारे प्रान्त में चुनाव होना चाहिये, और वही बात आज उन्होंने स्वीकार की है । तो हम उसका विरोध कर रहे हैं । मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हमने उस वक्त यह कहा था कि हमारे प्रान्त में जो मंत्री लोग हैं वे इस्तीफा दें । हमारा सदन तो डिज़ाल्व हो ही चुका था । आज अगर वे इसी बात को सामने रख कर के कि हम इस बात को कहा करते थे उन्होंने इस को कर के दिखाया और अगर यही उनकी मंशा थी तो मैं समझता हूं कि वे इस बात को बिल्कुल ग़लत ही समझ गये । हम यह तो नहीं कहते कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है, कौन सा ऐडमिनिस्ट्रेटर बुरा है, किसने अच्छा काम किया । उन्होंने यह बात कही कि हममें से बहुत से लोगों ने लखनऊ ऐडमिनिस्ट्रेटर की बहुत तारीफ की थी । आज भी हो सकता है कि हमारे ऐडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हों । मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में हमारे पास ऐसे लोग हैं, जहां तक मैं समझता हूं कि अगर उनको हिन्दुस्तान का शासन सौंप दिया जाये तो उनका शासन हम सब लोगों से अच्छा रह सकता है । लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि हम प्रजातंत्र को लात मार दें और हम प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करें, इसलिये कि हमारे देश के अन्दर बड़े-बड़े लोग हैं । इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय अगर मैं माननीय शुक्ला जी की बात को मानूं तो उनकी तो वही दलील हो जायगी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की आज है। आज कम्युनिस्ट पार्टी भी ऐसा ही करती है, वहतो अल्पमत में है, वह भी डेमोक्रेसी की बात बहुत कम करती है । वह प्रजातंत्र के तरीके से हुकूमतों पर जाकर के हिन्दुस्तान में तब्दीली

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

नहीं लाना चाहती है। वह भी कहती है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जब तक ऐसी फिजां नहीं होती हिन्दुस्तान के अन्दर जब तक ग़रीबी और अमीरी का फर्क़ दूर न हो जाय क्योंकि जितने साधन आज अमीरों के पास डेमाक्रेसी में चुनाव लड़ने के हैं वह हर नौजवान के पास नहीं है, तब तक चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। वह भी यही कहती है कि हम पहले अपने हाथ में शासन लेंगे उसके बाद फिर हम डेमोक्रेसी के बात करेंगे। आज हमारी कांग्रेस भी उसी ओर जा रही है। पहले माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इस गर्मी में चुनाव हो जायंगे। गर्मी भी चली गयी और अब वह कहते हैं कि अक्तूबर में कुछ म्युनिसिपलिटियों के चुनाव होंगे। अभी कुछ पता नहीं है कि कब तक होगा। कहीं एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा काम करेंगे तो फिर वह कहेंगे कि देखिये यह एडमिनिस्ट्रेटर तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। दोनों बातें, उपाध्यक्ष महोदय, एक साथ नहीं चल सकतीं। प्रजातंत्र की जो व्यवस्था हुई है, जो हमारी आज ग्राम सभायें और गांवों में जो पंचायतें बनायी गयी हैं, वह चाहे बुरा ही काम कर रही हों लेकिन जब इस सदन के सामने हमारे माननीय मंत्री उस पर बात करते हैं तो कहते हैं कि बुरा तो नहीं किया। खराब क्यों नहीं है, इसलिये कि वह सीख रहे हैं और हम प्रजातंत्र की तरफ जाते हैं। और जहां पर हम कहते हैं कि बुरा ही क्यों न हो वहां पर वह कहते हैं कि नहीं यह तो जरूरी था इसलिये हमने पांच बड़े शहरों में एडमिनिस्ट्रेटर मुक़र्रर किये।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवनारायण जी ने कुछ कहा कि इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी बहुत खराब थी इसलिये हमने उसको डिजाल्व कर दिया। मुझे पता नहीं कि वह माननीय मंत्री जी से पूछ कर के यहां सदन में बोलते हैं, या यह उनकी राय है याउनकी हुकूमत की राय है। इलाहाबाद में सिटी से एक कांग्रेस वाले चेयरमैन खड़े थे, वह हार गये इसलिये वह म्युनिसिपैलिटी डिजाल्व कर दी गयी तो कानपुर में क्या हुआ, बनारस में क्या हुआ और आगरे में क्या हुआ ? खैर जहां माननीय शिवनारायण जी का ताल्लुक़ है, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उनसे बड़ी हमदर्दी है,। मैं जानता था कि वह इधर की बात उधर कह देते हैं और मैंने उन्हें आगाह भी किया कि जिस इम्तहान में वह फेल हो गये उसमें उन्होंने इस परचे का उस परचे में लिख दिया। वह एक ऐसे सबजेक्ट में फेल हुये कि मैं उनकी बातों को क्या कहूं?

श्री उपाध्यक्ष—इसका उससे कोई संबंध नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—कहां की बात हो रही है, कहां की बात ले आये। लाहाबाद में विशम्भर नाथ पांडे वहां हार गये और हमारे गुरू जी आगये, इस लिये म्युनिसिपलटी डिजाल्व कर दी गयी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय यहां के जो सदस्य हैं उनसे हम ऐसी आशा नहीं करते। हमारे एक दूसरे मित्र श्री शिवनाथ काटजू ने एक लम्बा चौड़ा भाषण दे डाला क्योंकि हमारे नेता जी ने कुछ बाते कही थीं। तो मैं यह समझता हूं कि उन्हें इस बात का अफसोस होना चाहिए कि उनके शहर इलाहाबाद के अन्दर जहां म्यूनिसिपैलिटी के ऐडमिनिस्ट्रेशन में डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र काम कर रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा अच्छा क़िस्सा इलाहाबाद का रहा। हमारी इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी के सदस्यों की रात के ९ बजे तक मीटिंग हुई और अगले दिन ४ बजे जब वे मीटिंग के लिये वहां पहुंचे तो देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब विराजमान हैं और उन्होंने सारा भार अपने हाथ में ले लिया है। उस समय मैंने देखा कि वहां के हमारी विधान सभा के सदस्य भी इसका विरोध करते थे कि इससे प्रजातंत्र पर कुठारघात होगा। मेम्बरों के रहते हुये भी कारपोरेशन के बनाने में कौनसी अड़चन थी ? मैं यह नही कहता कि कहां के ऐडमिनिस्ट्रेटर अच्छे और कहां के बुरे हैं लेकिन जहां के बुरे भी हैं वहां के लिये सरकार उन्हे निकालने के लिये तैयार नहीं है। फीरोजाबाद और मंसूरी के लिये बहुत दफ़ा कहा गया कि वहां के ऐडमिनिस्ट्रेटरों को हटा दिया जाय, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। एक मिसाल वह हमारे सामने लखनऊ की रख देते हैं कि यहां बहुत अच्छा काम हुआ। हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन इससे हमें प्रजातंत्र के सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाना चाहिये। हो सकता है कि हमारी सरकार ने यह सोचा हो कि यदि वह चुनाव में इन

बड़े-बड़े शहरों में हार गयी तो इसका सब जगह बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे उनकी अभी इस सदन के लिये हार हुई हैं तो वह सोचते हैं कि कहीं ऐसा ही म्युनिसिपैलिटीज में भी न हो जाय। हमारे कांग्रेसी भाइयों ने कहा और हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने भी कहा कि वे इन ४,५ सीटों के हारने से नहीं घबराते हैं। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस या सोशलिस्ट पार्टी ही आवे लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे प्रान्त की जनता की क्या भावना है और यह हमारा बताना बैरोमीटर का काम करेगा। हमें खुशी नहीं हुई जिस वक्त बदायूं में हमारी पार्टी और कांग्रेस भी हारी और तीसरा जीत गया। लेकिन यह बतलाता है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अगर आज यह हमारी हुकूमत नहीं समझती तो हो सकता है कि ऐसा ही नतीजा और चुनावों में भी हो।

अगर हमारी सरकार यही चाहती है कि चुनाव से पहले प्रान्त की सारी म्युनिसिपैलिटीज में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो जावें तो मैं फिर भी सरकार से कहूंगा कि जो आप ने यह काम ऐडमिनिस्ट्रेटर मुक़र्रर करने का किया है यह ठीक नहीं किया है। आप ने प्रजातंत्र पर कुठाराघात किया है।

हमारे मित्र सुरेशप्रकाश जी ने एक बात कही। वह प्रजातंत्र से बहुत चिढ़ते हैं। उन्हें तो जी एडवायजर्स रिजीम चलता था वही सब से अच्छा लगता था।

एक सदस्य—ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं भी यह मानने के लिये तैयार हूं। अगर वह राजी हों कि हमारे देश के अन्दर हमेशा, ऐसा रिजीम रहे तो यह उनको ही मुबारक हो, हमें तो ऐसी बात नहीं चाहिये वह भले ही इसके लिये तैयार हों लेकिन हम तो इस बात के लिये तैयार हैं कि हमारा प्रजातंत्र चाहे खराब से खराब हो और हम परेशान हो जायं लेकिन फिर भी जब हम प्रजातंत्र की बात करते हैं तो हम गर्व का अनुभव करते हैं। मैं इस बात में श्री सुरेश प्रकाश सिंह के साथ नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहकर यह आशा करूंगा कि हमारे माननीय मंत्री जी इस पर और रोशनी डालें। पहले जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें कुछ ज्यादा नहीं कहा था। इसलिये अब वह रोशनी डालें कि ऐसी क्या बात थी, ऐसा कौन सा खास कारण आ गया था कि ५ नगरों में उन्होंने ऐडमिनिस्ट्रेटर्स को मुकर्रर कर दिया। जैसा कि मेरे मित्र श्री नारायण दत्त जी तिवारी ने कहा था कि नोटीफाइड एरिया के बनाते समय तो नहीं किया। लेकिन हमारे यहां जो कारपोरेशन बनने जा रहे हैं तो म्युनिसिपैलिटीज को डिजोल्व करके उसे ऐडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किये हैं मुझे उम्मीद है कि हमारे मन्त्री जी इस पर रोशनी डालेंगे।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं, आपने जो मुझको इस हाउस के सामने विचार प्रकट करने का मौका दिया है, उसके लिये धन्यवाद देता हूं। इसके बाद मैं इस हाउस के वाम भाग के नेता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो शहर कई साल से, न केवल इस हाउस में बल्कि इस प्रांत में, उपेक्षित रहा है, जब कि वह प्रांत का सब से बड़ा शहर है, और इस प्रांत को खुशहाल बनाने के प्रयास में इस सरकार का सब से अधिक सहायक रहा है तो उपाध्यक्ष महोदय, यदि इसके लिये सरकार द्वारा कोई बेहतर कार्य हो जाय तो वे उसमें बाधक बनने की कृपा न करें। फिर भी विनती करने के पश्चात् उन्हें स्वतंत्रता है कि वह जैसा चाहें करें।

मेरा अनुमान है कि स्वशासन विभाग ने गत तीन चार वर्षों में यदि कोई काम अच्छा किया है तो उन सब में पहले नम्बर का काम यह किया है कि सरकार ने एक आर्डिनेंस निकाल कर कानपुर जैसे विशाल शहर को एक अच्छा शासक दिया। मैं केवल अपने

[श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र]

विचार प्रकट नहीं कर रहा हूं और न केवल उस क्षेत्र का जहां से मैं प्रतिनिधि हूं बल्कि मैं कानपुर की सात लाख जनता और सम्पूर्ण शहर की तरफ से कह रहा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह उनकी आवाज है। वहां की जनता इस आर्डिनेंस का स्वागत करती है और वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुआ है चाहे वह ए हो चाहे या जैड हो, सभी लोगों ने उसका स्वागत किया है।

इसमें सिद्धांतों की दलीलें दी गईं, तर्क पेश किये गये, अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों पर जो सिद्धान्तवाद की कोरी बातों को लेकर सामने आते हैं तो मुझे हंसी आती है या तो वह कहें कि "हम क्रांतिकारी नहीं" हैं या फिर वह सिद्धांतों का राग अलापना छोड़ दें। कबरिस्तान की तरफ जाना कि लेनिन ने यह कहा है, मार्क्स ने यह लिखा है, टीटो ने यह बताया है, कुरान की आयत यह है या बाइबिल में यह लिखा है, यह सब कुछ लिखा है लेकिन हम देखना है कि हमारे मस्तिष्क में क्या लिखा है। मेरा विचार है कि हमारी किताबों में यदि कुछ लिखा है और वह अच्छा भी है मगर आज के समय में वह अनुकूल साबित नहीं होता है तो वह चाहे जिस किताब में लिखा हो या चाहे कितने बड़े आदमी के द्वारा वह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हो उसको हम आंख मूंद कर मानलें, मैं समझता हूं हमारा सबसे बड़ा सियासी दिवालियापन यही हो सकता है। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, जिधर देखो उधर प्रजातंत्र का नारा लगाया जाता है। परन्तु मैं उनसे पूछता हूं कि वह व्यवहार में प्रजातंत्र को कहां पर और कैसे देखते हैं। क्या प्रजातंत्र के यह माने हैं कि जो जिसके मन में आये करे और कहे? मैं समझता हूं कि अगर ऐसा ध्यान किसी सज्जन का है तो वह गलत है। मैं दूसरे शहरों की बात नहीं कहता हूं, कानपुर में प्रजातंत्र का यही तकाजा था और जो डेमोक्रेटिक सरकार है उसका यही कर्त्तव्य था कि जो मौजूदा हालात में उसने किया। इससे कम करती तो वह अपने कर्त्तव्य से गिर जाती। मैं आपको बतलाऊं, मैं वहां के नागरिक विकास बोर्ड का एक सदस्य था और हम वहां से हटाये गये, हमारे ऊपर एक शासक नियुक्त हुआ, परन्तु मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं ही नहीं, मेरे साथ डेवलेपमेंट बोर्ड के जितने चुने हुये सदस्य थे उन सब ने नियुक्ति का स्वागत किया। मैं यह भी बताने में सदन के समय का दुरुपयोग न करूंगा कि म्युनिसिपल बोर्ड के उस समय के चेयरमैन साहब ने स्वागत किया वह कांग्रेसमैन नहीं थे। कांग्रेस, के मुकाबिले में लड़े थे और हारे थे। उन्होंने इस प्रबंध को करने के लिये पहले ही से अपना त्यागपत्र दे रक्खा था और वे यह समझते थे कि कानपुर में प्रजातंत्र का यह तकाजा है कि यहां पर कोई ऐडमिनिस्ट्रेटर आये। जो लोग अखबार पढ़ते हैं उन्हें ज्ञात है कि कानपुर डेवलेपमेंट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड की आर्थिक दशा क्या थी। अभी हाल ही में वहां के ऐडमिनिस्ट्रेटर ने म्युनिसिपल बोर्ड के सिलसिले में जो एक छोटा सा वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जिस दिन उन्होंने चार्ज लिया तो जो बैंक में म्युनिसिपल बोर्ड का पैसा जमा था और जितनी चेकें कटी थीं उनमें २९ हजार रुपये का डेफिसिट था। तो फिर ऐसी हालत में भी अगर वहां पर कोई अच्छा प्रबंध किया जाय तो प्रजातंत्र का नारा बुलंद करके न मालूम किन स्वार्थों को पूरा करने की कोशिश करते हैं यह समझ में नहीं आया। अभी अन्त में बोलने वाले एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इधर दो, चार जगह चूंकि कांग्रेस पार्टी हार गई इसलिये यह कृपा की गई है। लेकिन मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि दुनियां में कहीं हार हो या जीत यह मुझे पता नहीं लेकिन भौतिकवादी द्वन्द्ववाद की भांति उनकी इस जीत का कानपुर में यह असर पड़ा है कि एक तहसील में प्रजा सोशलिस्ट-पार्टी के करीब ७५ आदमियों ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस के साये पर किसान कांग्रेस में शामिल हो गये हैं। अगर इस चीज को वे जीत समझते हैं तो तरस है उनकी सरल योग्यता पर।

मैं अधिक समय आपका नहीं लेना चाहता हूं। एक हमारे विधान के पंडित और मान्य प्रजा सोशलिस्ट नेता ने कहा कि कारपोरेशन ऐक्ट तो पास हुआ नहीं और वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, यह कौन सी तिकड़म की गई ? मैं उन्हें बताऊं कि जब वह सोशलिज्म पढ़ते होंगे तब एक किताब पढ़ाई गई होगी जिसमें लिखा है कि "थ्योरी ऐंड प्रैक्टिस" तो यह वही तिकड़म है। इधर इस सदन में कानून बनेगा और उधर प्रैक्टिस द्वारा परीक्षा होती जायेगी जहां गलती हो वहां सुधारते जाओ। बम्बई में कुछ थोड़ी सी गलती की गई थी जिसके कारण वहां का जो प्रथम कारपोरेशन बिल बना उसमें उन्हें अपनी प्रथम जिन्दगी में ही कई एक परिवर्तन करने पड़े। तो उस गलती को सुधारने के लिये यहां थ्योरी में बात विधान भवन में हम करें और ऐडमिनिस्ट्रेटर उसी को प्रैक्टिस द्वारा बात करें शहरों में। क्या आप इस प्रयोग को उचित न समझोगे ? तो इस प्रकार थिउरी और प्रैक्टिस का समन्वय कर यह नयी थीसेस पैदा की जा रही है। मैं समझता हूं कि इससे सबक ग्रहण करना चाहिये। टाउन एरिया से म्युनिसिपैलिटी होने का गलत उदाहरण पेश किया गया है। मैं उन माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे कानून के पंडित हैं और वे जानते हैं कि इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है परन्तु निगम के निर्माण में भारी परिवर्तन की आवश्यकता होती है थोड़े दिनों बाद आपको पता चलेगा कि वहां पर ऐसे सुलझे हुये आदमी भेजे गये हैं जो थ्योरी भी जानते हैं और प्रैक्टिस भी। जब उनको नया तजुर्बा और होगा तो वे बिल पर विचार के समय अपनी राय भी दे सकेंगे। अगर इसके हेतु कोई विचारशील व्यक्ति रख दिया गया है तो आपको इसमें क्रोध करने की कौन सी बात है। आजकल यहां यह देखा जाता है कि विरोध केवल विरोध के लिये ही होता है।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष महोदय, गुलामी दो प्रकार की होती है। एक तो देश की गुलामी और दूसरे दिमागी गुलामी। देश की गुलामी तो आसानी से दूर की जा सकती है लेकिन दिमागी गुलामी केवल मृत्यु द्वारा ही दूर हो सकती है, ऐसा मेरा खयाल है। १५ अगस्त से पहले और बाद दोनों में बहुत अन्तर हो गया है। इसका हमारे मित्रों को ज्ञान नहीं, हमारे देश की गुलामी दूर हो गयी है लेकिन अभी दिमागी गुलामी लोगों में बाकी है। वह यह कि विरोध करें तो केवल विरोध के लिये ही करें। अच्छा यह हो कि हम रात-दिन मेहनत के साथ कार्य करें, तो जो काम अच्छा हो उसकी प्रशंसा हो और जो काम लचर या गलत हो उसके लिये अपना आल्टरनेटिव प्रोग्राम रखें, तब काम हो सकता है, तब देश का भला हो सकता है। केवल वाम मार्ग पर चलने से वाम मार्ग पूरा नहीं हो जाता। हां वाम मार्गी हो सकते हो। आपको अगर अपना उद्देश्य पूरा करना है तो समझ बूझ कर काम करना होगा, विचार और विवेक से काम करना होगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय स्वशासन मंत्री को इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के सामने मैं अपनी दो चार बातें रखना चाहती हूं। सरकार के द्वारा जो ५ शहरों में ऐडमिनिस्ट्रेटर भेजे गये हैं, मैं उनका स्वागत करती हूं। मैं ही नहीं, इन नगरों की सारी जनता ने उनका स्वागत किया है। विरोधी दल की ओर से कहा गया कि वे एकदम ही पांचों शहरों में भेज दिये गये, तो यह तो एक अच्छी बात है, इसमें खराबी ही क्या है ? आप कहते थे कि वहां पर दलबंदी है, उस दलबंदी को तोड़ने के लिये उनको वहां अगर एक ही साथ भेज दिया गया तो उससे लाभ ही होगा, वहां का प्रबंध अच्छा ही होगा। जहां तक बनारस का प्रश्न है वहां के सब लोगों ने उसकी तारीफ की है खास तौर से सोशलिस्ट पार्टी के नेता रमाकांत जी ने वहां के ऐडमिनिस्ट्रेटर की तारीफ की है। वहां की जनता को तो कोई आपत्ति नहीं है केवल विरोधीदल को कुछ आपत्ति है। इन

[श्रीमती सज्जन देवी महनोत]

सब बातों के होते हुये मैं सरकार से यह विनती करना चाहती हूं कि सरकार अवश्य इस बात पर ध्यान दे कि बनारस की सड़कें और गलियां बहुत गंदी हो रही हैं। इसके अलावा इस बात पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये कि वहां के इम्प्रूवमेंट-ट्रस्ट ने जो पहले स्कीम बनाई थी उस स्कीम को सुधारने की भी आवश्यकता है अगर हमें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और नगरपालिका के खर्च को कम करना है तो दोनों आफिसेज को एक ही कर दिया जाये क्योंकि दोनों का प्रबंध एक ही प्रशासक के हाथ में है। लेकिन साथ ही साथ मुझे यह भी कहना है कि वहां का एक भी कर्मचारी न निकाला जावे जिससे प्रशासक के कार्य में गड़बड़ी हो और वहां का कार्य भी सुचारू रूप से नहीं चल सके। मुझे यही दो चार बातें बनारस के संबंध में कहनी थीं और कुछ ज्यादा कहना नहीं है। मैं फिर इस बिल का स्वागत करती हूं और बनारस में जो प्रशासक नियुक्त किये गये हैं उनके लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो उपस्थित किया गया है इसे मैंने पढ़ा है तथा इस पर जो भाषण हुये हैं उनको मैं बड़े गौर से सुनता रहा और विशेष करके मैंने बड़े ध्यान से अपने विरोधी पक्ष के नेता का व्याख्यान सुना। मुझे आश्चर्य हुआ कि जितने भाषण हुये हैं; जितने विरोधी पक्ष से बातें कही गयी हैं वे सब विरोध करने के खयाल से ही कही गयी हैं। अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा काम भी करती है तो वह काम भी उनको बुरा मालूम होता है। बुरा तो बुरा मालूम होना ही चाहिये हमेशा से उनकी यह शिकयत रही है कि इस हुकूमत में म्युनिसिपैलिटियों का काम अच्छा नहीं है। यह बात मैं भी मानता हूं कि कुछ हद तक यह बात सही है। क्या यह बात सही नहीं है कि ज्यादातर म्युनिसिपैलिटियां दलबंदी का अखाड़ा हैं? क्या यह बात सही नहीं है कि उनके यहां इन्तजाम का स्तर बहुत गिर गया है? चन्द म्युनिसिपैलिटियों को तो छोड़ दीजिये। लेकिन आम तौर पर जो म्युनिसिपैलिटियां हैं उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे भी इस बात का पता है क्योंकि मुझे कई म्युनिसिपैलिटियों में आने-जाने का मौका मिला है। 'एलेक्शन ओवर डयू' हो चुका है जिसको कि बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था। इससे पहले दो मर्तबा उनका समय बढ़ाया जा चुका है। हम तो यह देख रहे हैं कि प्रांत की सभी म्युनिसिपैलिटियों की हालत खराब है। मैं तो समझता हूं कि अगर प्रांत की सभी म्युनिसिपैलिटियों को सुपरसीड करके सरकार उनका प्रबंध उस मुद्दत तक के लिये जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता खुद करती तो मैं समझता हूं कि इसका स्वागत हमारे विरोधी पक्ष के लोग अवश्य ही करेंगे चाहे इसका स्वागत हम लोगों की तरह से न हो। पांच म्युनिसिपैलिटियां जो कारपोरेशन के रूप में परिणत होने जा रही हैं और जिनके बारे में यहां प्रश्न उपस्थित किया गया है वह उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटों के बारे में हैं जो कि उनके लिये नियुक्त किये गये हैं। जो कारपोरेशन बनें उनकी व्यवस्था ठीक हो इन्हीं सब बातों का उल्लेख इसके अन्दर है। इसके लिये एक बात और यह होनी चाहिये कि जो चुनाव होते हैं उनका काम ऐसे अधिकारियों के हाथ में देना चाहिये जिनका उससे कोई निजी विशेष संबंध न हो। वे म्युनिसिपैलिटियां जिनको कि कारपोरेशन बनने जा रहे हैं, यह तो मानना ही पड़ेगा कि वे कांग्रेसी बोर्ड थे और जब वहां चुनाव होने जा रहा है तो उसका प्रबंध एडमिनिस्ट्रेटरों के हाथ में अवश्य होना चाहिये ताकि वह वहां आजादी के साथ चुनाव करा सकें। ये बातें तो आप के पक्ष की ही हैं जिसके लिये आप लोग बराबर मांग किया करते हैं।

म्युनिसिपैलिटियों के हाथ में तीन चीजें, कम्युनिकेशन, सैनिटेशन और एजूकेशन हैं और अगर आप देखें तो इन तीनों की हालत खराब है। वे जो बड़ी-बड़ी म्युनिसिपैलिटियां हैं जिनको कि हम कारपोरेशन में परिणत करने जा रहे हैं वह इस नीयत से किये जा रहे

हैं जो इस बिल के एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स में लिखे हुये हैं। इसमें साफ तौर से यह लिखा हुआ है कि क्यों यह कार्यवाही की गयी है ताकि उनका प्रबंध सुचारु रूप से हो सके। इस प्रकार एक और विरोध किया गया है जिसमें कि कोई सिद्धांत की बात भी नहीं थी। संयोग से वह माननीय सदस्य, तिवारी जी यहां मौजूद भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बच्चा पैदा भी नहीं हुआ लेकिन उसके लिये कपड़ा सिलवा दिया गया है। चतुर माता-पिता जो होते हैं वह वस्त्र पहले ही बनवा लेते हैं। बच्चा जब होने को होता है उसके पहले ही वह वस्त्र बनवा लेते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चा जब पैदा हो जाय तब वस्त्र बनवायें। इसलिये उनकी यह शंका निर्मूल है। हमारी सरकार चतुर है, माननीय मंत्री भी चतुर हैं। वह जानते हैं कि बच्चा पैदा होने वाला है, वह जानते हैं कि कारपोरेशन बनने वाला है इसलिये ऐसा विधान बना दें, ऐसे आदमियों के हाथ में इंतजाम की सुपुर्द कर दें कि जब कारपोरेशन बने तब वह सुचारु रूप से चले। इसमें कोई सिद्धांत का प्रश्न नहीं है। सिद्धांत रूप से देखिये, व्यावहारिक रूप से देखिये, हर दृष्टिकोण से आप गौर करें, जिस कसौटी पर आप कसे सरकार ने जो कार्यवाही की है, जो कदम उठाया है वह हर तरह से अच्छा कदम है। पांचों कारपोरेशनों में इससे व्यवस्था अच्छी होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष के भाई इस प्रश्न पर अधिक समय न लेंगे बल्कि इसको तुरन्त पास करके और जो अन्य विधेयक हैं उन पर गौर करेंगे।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय स्वशासन मंत्री और सदन के माननीय सदस्यों के भाषणों को बहुत गौर से सुना और खास कर जब माननीय रामनरेश जी शुक्ल ने संकेत किया कि यह तो शुरुआत है जो कि हमारे दल की मांग हुआ करती है कि जब एक चुनाव होने वाला हो तो दलीय की सरकार इस्तीफा दे दे और इस्तीफा देने के बाद ऐसे लोगों के हाथ में शासन सुपुर्द कर दे जिसके शासन में निष्पक्ष चुनाव हो सके। मैंने जब यह सुना तो मुझे ऐसा लगा कि इस तरह का संकेत शायद उनको केन्द्रीय सरकार की ओर से या कांग्रेस हाई कमांड की ओर से मिला होगा।

अब तक माननीय सदस्यों ने जिन-जिन भावनाओं को व्यक्त किया है, जो जानकारी मुझको हुई है उसमें इस बात की सफाई नहीं हुई कि भीतरी क्या बात थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी कुछ सोचने का जी चाहता है कि इसके पीछे क्या मामले थे। एक बात तो साफ जाहिर होती है कि संसार की सारी हुकूमतों को जिस वक्त उनको इस बात का भय लगता है कि प्रजातंत्र में चुनाव के जरिये उनका दल हट रहा है उस वक्त प्रशासकों की नियुक्ति तो क्या वे तलवार भी उठा लेती हैं। मैं यह कल्पना नहीं करता कि वर्तमान सरकार जो है वह तलवार उठायेगी, लेकिन अनकांशसनेस में वह काम ऐसा ही कर रही है जिससे इस तरह का मतलब लगाया जा सकता है। संयोग ऐसा हुआ कि इधर तीन चार महीने के अन्दर कुछ उप निर्वाचन हुये। मैं उन उप निर्वाचनों की चर्चा में नहीं जाना चाहता था लेकिन कई माननीय सदस्यों ने उस पर चर्चा की है इस कारण उस संबंध में चर्चा करने की आवश्यकता पड़ गई। ऐसा मालूम होता है कि उन उप निर्वाचनों के परिणामों से सरकार को कुछ घबराहट हुई और उसने सबसे पहले यह सोचा कि आज इस प्रांत के इस प्रदेश के जो बड़े-बड़े शहर हैं उनको अपने हाथ से नहीं जाने दिया जाय और उसके लिये चाहे उचित तरीका हो या अनुचित हो उस तरीके को बरत करके उन शहरों के शासन पर पूरी तरह से काबू पाया जाय। और ऐसा लगता है कि इसी विचार से इन प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। एक बात तो अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सोचने को मिलती है। दूसरी बात एक और सोचने को मिलती है और वह यह है कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्रशासकों की नौकरी की अवधि समाप्त हो रही थी

[श्री गेंदासिंह]

और वे रिटायरमेंट के करीब थे और उनके लिये किसी और पद पर रखना जरा कठिन हो रहा था तो फिर ऐसे किसी स्थान पर रख दिया जाय जिस पर वह साल छः महीने तक रहकर शासन कर सकें और वही आनन्द उठा सकें जो आनन्द पहले उठाते थे और फिर उसके लिये कोई आवाजकशी न हो क्योंकि यहां पर तो एक नियम बना है कि जो सरकारी नौकर होंगे उनको एक नियम के अन्दर रिटायर हो जाना पड़ेगा लेकिन प्रशासक की नियुक्ति में शायद इस नियम को ढीला किया जा सके। इस तरह की बात समझ में आती है। मैं ठीक तो नहीं कह सकता मेरी जानकारी नहीं है कि जो पांच प्रशासक नियुक्त किये गये हैं उनमें से कितने लोगों की उम्र ऐसी हो गयी है कि रिटायर हो चुके हैं और उनको एक्सटेंशन दिया गया है या रिटायर होने के करीब हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—सिविल लिस्ट में दिया हुआ है उसे पढ़ लीजिये।

श्री गेंदासिंह—यह पांच आदमियों की बात है अगर माननीय स्वशासन मंत्री जी सदन को इस बात की जानकारी करा दें तो मैं आभार मानूंगा।

तीसरी एक बात मैं और सोचता हूं कि जैसा माननीय व्रज विहारी मिश्र जी ने कहा कि लालन-पालन करने के लिये ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं। लालन-पालन करने का काम माता का होता है। अब मैं यह तो नहीं कह सकता कि ऐडमिनिस्ट्रेटर माता है या पिता है, लेकिन अगर हम उनको माता मान लें .....।

श्री मोहनलाल गौतम—वे नर्स कह रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—तो नर्स ही सही लेकिन यह ऐडमिनिस्ट्रेटर बंध्या हैं। इनसे कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। इन्होंने अपने जीवन काल में जहां जहां पर काम किया है उनमें से कुछ के बारे में मुझे ज्ञान है लेकिन जिनकी चर्चा मैं जान-बूझ कर नहीं करना चाहता क्यों कि वे रिटायरमेंट के करीब हैं। जैसा कि स्वयं माननीय स्वशासन मंत्री जी ने कहा कि वे चार छः महीने के मेहमान हैं इसलिये चार छः महीने के लिये मैं उनके खिलाफ कोई ऐसी बात सदन में कहकर उनको तकलीफ नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि वे जहां पर रहे हैं दो-दो, चार-चार और पांच-पांच वर्ष तक इन प्रशासकों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पूरे महकमें को तबाह कर दिया और मुहकमें ने किसी तरह से उनसे अपना पिंड छुड़ाया है और अब उन मोहकमों को सुधारने में कई वर्ष लगेंगे। तो ऐसी हालत में जो माननीय स्वशासन मंत्री जी की इच्छा है वह पूरी हो पायेगी इसमें मुझे संदेह है। इन सारी बातों को देखते हुये मैं सोचता हूं कि इन पांच शहरों को जिन्हें हमारे प्रदेश का माथा कहा जा सकता है; माथा इसलिये कि इसमें काशी, प्रयाग, आगरा और कानपुर ऐसे-ऐसे शहर हैं जहां पर पढ़े-लिखे लोग काफी बड़ी संख्या में हैं और वहां पर यह कहना कि वहां सारे के सारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स ऐसे हैं ऐसे भ्रष्ट हो गये हैं कि वहां का शासन चलाना असंभव हो गया। मैं समझता हूं कि यह बड़ा भारी अपमान उन शहरों का है। सारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स भ्रष्ट हो जायं और वह शहर आवाज न उठा सके और वह शहर उनको निकाल न सके मैं समझता हूं कि यह शुभ लक्षण हमारे देश के लिये नहीं है। हमको प्रजातंत्र चलाना है। माननीय स्वशासन मंत्री जी माननीय सुरेश प्रकाश जी से इत्तिफाक नहीं करते ऐसा मुझे विश्वास है। माननीय सुरेश प्रकाश जी ने तो यहां तक कहा था कि प्रजातंत्र कहीं जाय उन्हें कुछ और चाहिए। माननीय सुरेश प्रकाश जी ने यहां तक कह दिया कि प्रजातंत्र भले ही कहीं चला जाय उससे हमको मतलब नहीं है। मैं यह विश्वास करता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी को उनसे इत्तफाक नहीं हो सकता है। तो इतने पढ़े-लिखे लोग जिन शहरों में रहते हैं वहां पर अगर प्रशासक नियुक्त हुआ है तो उसके मायने मैं यह समझता हूं कि डिक्टेटर तो कहना बहुत कड़ा शब्द हो जायगा

लेकिन वह कुछ इसी तरीके का कदम उठाया गया है। ऐसे शहरों की जब यह हालत हुई तो फिर उन गांवों की क्या हालत होगी जहां पर कोई शिक्षा-दीक्षा नहीं है। वहां पर तो सरकार को हम यह उम्मीद करते हैं कि प्रशासक जरूर ही नियुक्त करना पड़ेगा। मैं यह समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी ने बड़े-बड़े शहरों में प्रशासक नियुक्त करके कोई अच्छा काम नहीं किया है और न कोई अच्छा उदाहरण ही हमारे सामने पेश किया है। उनको कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिये था और उस तरीके से इन शहरों का सुधार करना चाहिये था। वहां पर जल्द से जल्द चुनाव कराने चाहिये थे। अगर वास्तव में ऐसी हालत शहरों की थी तो वहां पर जल्द से जल्द चुनाव करा दिया जाता तो बहुत अच्छा होता और उन चुनावों का और टालना उचित नहीं था। सरकार ने उनके चुनाव को कई बार टाला है। अगर वह न टालती तो अच्छा था। अगर हमारी सरकार यह समझती थी कि इन शहरों की हालत खराब है और उन म्युनिसिपैलिटी के म्युनिसिपल कमिश्नर इतने भ्रष्ट हो गये हैं तो हमारे स्वशासन मंत्री जी को वहां पर जल्द चुनाव करना चाहिये था। अब मैं यह उम्मीद करता हूं कि जो हुआ सो हुआ अब वहां पर जल्द से जल्द चुनाव कराये जायं और वहां से उन प्रशासकों को हटाया जाय और उन शहरों की जनता को स्वतः शासन करने का मौका दिया जाय। यही सब से अच्छा मार्ग है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस भवन के सामने जिस विषय पर विचार हो रहा है मैंने जब देखा कि हमारे विरोधी दल की ओर से इस सुन्दर प्रस्ताव का स्वागत करने के बजाय विरोध हो रहा है तो मेरे दिल में यह भावना हुई कि मैं चन्द शब्दों को इस भवन के सदस्यों के सामने रक्खूं। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने सुन्दर काम के लिये जो काम काफी दिन पहले होना चाहिये था, मेरी सरकार की ओर से आज वह सुन्दर कदम ५ नगरों के अन्दर जब उठाया गया तो उसका विरोध भी हमारे भाई कर रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत आश्चर्य हुआ। आज कहीं पर तो प्रजातंत्र की दुहाई दी जा रही है और कहीं पर किसी और उसूल को लेकर कुछ से कुछ कहा जा रहा है। मैं उन बातों की ओर न जाकर अपनी सरकार को इस कदम के उठाने के लिये विशेष रूप से इस विभाग के माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। मुझे अन्दाजा है कि मेरे नगर में आज म्युनिसिपैलिटी के दुख से और परेशानी से जनता किस तरह से परेशान है। आज अगर इन पांच नगरों के साथ मेरा नगर भी शामिल हुआ होता तो मैं यह दावे के साथ कह सकती हूं कि मेरे नगर की जनता और वहां के चुने हुये सदस्यों की खुशी का ठिकाना न होता और हम हृदय से जनता की ओर से अपने माननीय मंत्री जी को बधाई देते लेकिन यह पांच नगर भी हमारे प्रांत का बहुत बड़ा अंग हैं। हमको यह आशा है कि अगर इन पांच नगरों के कारपोरेशन सफलता के साथ अपना ऐडमिनिस्ट्रेशन चला सकें तो उनको देखकर हमारे नगर का प्रबंध भी अच्छा हो सकेगा। अब जो चुनाव होने जा रहे हैं उनसे हमें आशा है कि हमारे नगर का भी सुधार होगा, वरना आज मेरे नगर की जनता म्युनिसिपल बोर्ड के कामों से परेशान है। वहां पर जो तकलीफ है उनका अन्दाजा करते हुये मैं यह समझती हूं कि इन पांच नगरों में बसने वाली जनता ने किस तरह से इस ऐडमिनिस्ट्रेटर के आने का स्वागत किया होगा।

इन शब्दों के साथ जो कदम हमारी सरकार ने उठाया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकती और आपकी आज्ञा से यहां पर खड़े होकर भवन के सदस्यों को और अपने माननीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देती हूं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक के संबंध में कुछ भी कहने के पूर्व अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मैं उन ५ कबाल टाउन्स की जनता की ओर से माननीय स्वशासन मंत्री को उन नगरों में प्रशासक

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

नियुक्त करने पर बधाई दूं। बाम पक्ष की ओर से जो विरोध किया गया है इस विधेयक के संबंध में वह कोई नई बात नहीं है। उनके तमाम तर्क तथ्य में नहीं अपितु उनकी अपनी कल्पना और शंका में जन्म पाते हैं और उसी भावना के अन्तर्गत दक्षिण पक्ष की ओर से यदाकदा जब भी कोई प्रस्ताव या विधेयक पेश होता है, सदैव ही यह तर्क दिया जाता है कि वह जनतंत्र के विरुद्ध है और जो बात कही जा रही है वह उसके पीछे नहीं है बल्कि और बात उसके पीछे है और सदैव ही उन की शंका का भूत उनके सामने नाचता रहता है। उन्होंने जितनी बातें कहीं उन में और कुछ नहीं कहा केवल जो भी कुछ कहा उसके पीछे एक ही बात थी कि उन्होंने जो थोड़े बहुत चुनाव जीते हैं उससे सदन का दक्षिण पक्ष बहुत डर गया है और वह इतना निर्बल हो गया है कि वह जनतांत्रिक उपायों से मुकाबला करने में अपने को अक्षम पाता है और इसीलिये ऐसा कदम उठाया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किये गये हैं। मैं इस सदन के दक्षिण पक्ष की ओर से और उस दल की ओर से जिसका मैं सदस्य हूं विश्वास ही नहीं दिलाता हूं, वरन् मैं चुनौती देने को तैयार हूं और उधर के लोग यह न समझें कि सात आठ चुनावों को जीतकर अब उन्होंने बड़ा भारी काम कर लिया है और हम इन चुनावों की हार की वजह से भयभीत हो गये हैं और इसलिये ऐसा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उधर बैठने वाले विरोधी दल के सदस्यों को मालूम ही होगा कि सरकार म्युनिसिपैलिटीज के चुनावों को कराने जा रही है और अगर उसका इरादा खराब होता तो सारे नगरों के चुने हुये प्रतिनिधियों को हटाकर प्रशासक नियुक्त कर देती और जो प्रतिनिधि आठ नौ वर्ष पहले उन अधिनियमों के अनुसार आये थे जो पिछली सरकार के बनाये हुये थे जो विदेशी सरकार थी और वह चुनाव उन्हीं नियमों के अधीन हुये थे, क्या वे लोग जनता के प्रतिनिधि हैं? क्या वह उन नगरों के प्रतिनिधि हैं? क्या बाम पक्ष वाले नहीं चाहते कि कारपोरेशन बनाये जायं? ३१ दिसम्बर के बाद इन बोर्ड्स की अवधि समाप्त हो जाती। उसके बाद भी यह समस्या आ सकती थी कि इन नगरों का शासन किस प्रकार चलाया जाय। क्या बाम पक्ष यह चाहता है कि इन नगरपालिकाओं का चुनाव कराया जाय, और कारपोरेशन का फिर से चुनाव हो अथवा वर्तमान सदस्यों की अवधि बढ़ाई जाय मेरी राय में ऐसा करना जनहित के विरुद्ध होगा। अतः हमारी दृष्टि से इस सरकार ने जो कदम उठाया है वह जनता के हित की दृष्टि से भी ठीक है और एक उच्च-कोटि का कदम है। किसी भी कुशल निर्माण के पहले यह आवश्यक होता है कि निर्माणकार उस भूमि की परीक्षा कर ले कि जहां निर्माण हो रहा है, कि वह निर्माण कार्य के लिये योग्य स्थान है या नहीं। क्या आप समझते हैं कि इन जर्जर खंडरों के ऊपर नये कबाल टाउन्स के भव्य कारपोरेशन बनाये जा सकते हैं। हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी ने इन पांचों नगरों में प्रशासकों की नियुक्ति करके अपने कौशल और अनुभव का परिचय दिया है और एक नया कदम उन्होंने उठाया है और वह जनता की ओर से बधाई के पात्र हैं। उनकी ओर से जो कहा गया है कि कानपुर, बनारस, आगरा आदि नगरों की जनता के अधिकारों का हनन किया गया है, मैं समझता हूं कि जनता ने उसका स्वागत ही किया है और यह तथ्य के विरुद्ध बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि जनतंत्र के सम्बन्ध में वह किसी भी प्रकार शंकित हों तो उन्हें विश्वास रखना चाहिये कि यह जनता की वही सरकार है जिसने जनता को प्रौढ़ मताधिकार देकर देश में चुनाव कराया है और जिसने हमारे प्रदेश के गांव-गांव में प्रौढ़मताधिकार की भित्ति पर स्वशासन की नींव डाली है। वही यह सरकार है जो इन नगरों में जनता का शासन स्थापित करना चाहती है। इसीलिये नगरपालिकाओं का चुनाव सरकार शीघ्र से शीघ्र करना चाहती है और इसीलिये वह कारपोरेशन स्थापित करना चाहती है जिनमें निश्चित ही जनता को अधिकाधिक स्वशासन के अधिकार होंगे। ऐसी स्थिति में जैसी जनतंत्र की आप कल्पना करते हैं, जैसी जनतंत्र की स्थापना के लिये आप अपनी झूठी कल्पना करके अपने तर्कों को उपस्थित करते हैं उसी जनतांत्रिक शासन को कार्यरूप में परिणत करने के लिए

यह विधेयक इस सदन के सम्मुख लाया गया है। ऐसी दशा में विरोधी दल को केवल विरोध न करके केवल कल्पनाओं के आधार पर तर्क न करके इस अच्छे और सुयोग्य कदम का उन्हें स्वागत करना चाहिये। सदन के सभी कक्ष इसका स्वागत कर रहे हैं और उन नगरों की जनता, जिनके संबंध में यह विधेयक प्रस्तुत है, वह भी स्वागत कर रही है। वहां की जनता की आवाज इस विधेयक के साथ है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस सदन को इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करना ही चाहिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सभी माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े गौर से सुना। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि वे यहां कानपुर, बनारस और दूसरे-दूसरे म्युनिसिपल बोर्ड्स की जो एलेक्टोरेट हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी आवाज को इस सदन में बुलंद करते हैं। परन्तु मैं दूरदराज पहाड़ों के ऊपर रहने वाला, आज इस सदन में यथार्थवाद का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं सत्यता की आवाज को इस सदन के सामने पेश करना चाहता हूं।

मैं समझता हूं कि यह निर्विवाद है कि हमारे राज्य की जितनी भी लोकल बाडीज हैं उनकी आज जो व्यवस्था है वह किसी भी माननीय सदस्य से छिपी नहीं है। हम जानते हैं कि आज हमारे म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और नोटिफाइड एरियाज में करप्शन बड़े धूम-धाम के साथ चल रहा है। इस सदन के जो माननीय सदस्य डेमोक्रेसी का नारा बुलंद करते हैं क्या वह इस बात को साबित कर सकते हैं कि आज इन म्युनिसिपैलिटीज में, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में और नोटीफाइड एरियाओं में क्या डेमोक्रेसी काम कर रही है या डेमोक्रेसी ने अपने काम को छोड़ कर मोमोक्रेसी का रूप ले लिया है। मैं समझता हूं कि वस्तुस्थिति से दूर रह कर हमें आदर्शवाद में नहीं बहना है। वस्तुस्थिति को देख कर उसकी उचित व्यवस्था करने के लिये ही हम लोग इस सदन में भेजे गये हैं। अगर हम उचित व्यवस्था करने में फेल होते हैं तो उस एलेक्टोरेट के प्रति अन्याय करते हैं जिसने अपने मतों को देकर हमें इस सदन में भेजा है। यहां पर उसूलों को पेश करके रिऐलिटीज से दूर हो कर छाया को पकड़ना चाहते हैं जो कि कतई नामुमकिन है। मैं बता देना चाहता हूं कि आज म्युनिसिपलटियों की जो हालत है वह केवल दयनीय ही नहीं है बल्कि उससे हमारे दिलों पर बड़ा भारी आघात पहुंचता है। जिन्होंने अपनी हस्ती को इस राष्ट्र के लिये मिटाया है वह अपने दिमाग में इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हम किस ओर हैं। वह डेमोक्रेसी जिसके जरिये चुनाव करके उन म्युनिसिपैलिटी को बनाया गया है उनका विकास करने के लिये आज वे उनका विनाश करने जा रही हैं। क्या आप चाहते हैं कि वे म्युनिसिपैलिटियां जो निष्प्राण होती जा रही हैं उन म्युनिसिपैलिटियों के मृतक शरीरों को भविष्य के कारपोरेशन के हाथ में सौंपा जाय? मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से यह एक बहुत उचित कदम उठाया गया है। सरकार की ओर से जो इस वक्त किया गया है और इतना ही नहीं मैं यह दरख्वास्त करूंगा और बहुत जोरदार शब्दों में सरकार से यह विनय करूंगा कि केवल यही नहीं, बल्कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो बड़ी तादाद में और बहुत से म्युनिसिपल बोर्ड और नोटिफाइड एरिया जिनकी बहुत बुरी दशा हो चली है उनका कोई चुनाव न करे और हर एक के ऊपर एक एक ऐडमिनिस्ट्रेटर अगर कायम कर दिया जाय तो आप रियलिटी का अनुभव करते हुये इस देश के उत्थान के लिये कार्य करेंगे। वर्ना डिमोक्रेसी के उसूलों को अपना कर अगर आप इस देश का विनाश करना चाहते हैं तो कर लीजिये, परन्तु इस यथार्थवाद को, इस सत्यता को हम बतलाते हैं कि हमको इस देश का विकास करना है और इसके लिये अगर आप को म्युनिसिपल बोर्ड्स को घूस-खोरी, अन्याय और अत्याचार से बचाना है और जनता के दुख दर्द को कम करना है तो अभी चुनाव करना ठीक नहीं होगा। पार्टीबाजी में पड़ कर शहरों की व्यवस्था को बरबाद करना, मैं समझता हूं कि कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, इसलिये मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर, क्योंकि बहुत से भाई परेशान होते होंगे कि मैं कोई खास बात नहीं कह रहा हूं, मैं प्रार्थना

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

करूंगा कि आप लोग इसके ऊपर गौर से सोचिये और देखिये कि क्या इन चुनावों को करके आप इस मुल्क की समस्याओं को हल करने जा रहे हैं, आया सोशलिस्ट और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को चुनकर आप मुल्क का विकास करने जा रहे हैं ? मैं तो कहता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड्स जो कि बुरी हालत में है उनके चुनाव करने की आज जरूरत नहीं है, यही आम जनता की आवाज है, आम एलेक्टोरेट की आवाज है। यही सत्यता हमें बताती है और यही बुद्धि का डिक्टेशन है जो कि हमें ऐक्सेप्ट करना चाहिये।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय केवल दो तीन बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे दूसरी तरफ के साथी बार बार इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हम हर बात में चुनाव की बात ले आते हैं। मैं उनके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं। इलाहाबाद में सब से पहले बाई-एलेक्शन शुरू हुआ था जिसमें कांग्रेस वालों की जीत हुई और मैं यह समझता हूं कि इलाहाबाद के म्युनिसिपल बोर्ड की उस समय वैसे ही हालत होगी जैसी कि आज हमारे सदस्य वर्णन करते हैं, लेकिन उसका कोई ऐडमिनिस्ट्रेटर तब मुक़र्रर नहीं हुआ। दूसरा बाई-एलेक्शन अलीगढ़ का आता है। ७ सितम्बर को वोट पड़ते हैं, १० सितम्बर को गिनती होती है, २१ सितम्बर को ऐडमिनिस्ट्रेटर जाकर के अलीगढ़ में बैठ जाता है। तो आप मुझे यह बतलाइये अपनी बात देख कर के कि जहाँ आप की हार हुई वहां आप ने ऐडमिनिस्ट्रेटर बैठाला। उसके बाद आप ने ५ जगह पर ऐडमिनिस्ट्रेटर बैठाले, जब आप की हार हुई। तो किसी एक निष्पक्ष आदमी से जाकर पूछिये कि वह इन सब बातों से क्या नतीजा निकालेगा ? आप के मन में कोई बात हो, लेकिन दूर से तटस्थ जो छानबीन करने वाला आदमी है उसके दिमाग में तो यही बात आएगी कि आप के सामने ये एलेक्शंस के नतीजे जो हैं वही तारीखें हटवाते रहते हैं, वही एलेक्शंस को टलवाते रहते हैं। मैं अपने मंत्री महोदय की इस बात के लिये तारीफ करूंगा कि उन्होंने साफ़ लफ्जों में यह कहा कि हमको यह कह कर कि गर्मियों में एलेक्शंस हो जायंगे, टालना पड़ा, यह बात उनको अच्छी नहीं लगी। यह उन्होंने खुद स्वीकार किया था। आज भी बार बार जब विरोधियों की तरफ से यह कहा गया कि यह तो कह दें कि आप अक्टूबर में भी एलेक्शन करवा देंगे या नहीं, तब भी उन्होंने अपनी आवाज बन्द रखी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ऐसा मौक़ा आ जाय जिससे फिर तारीख बदलनी पड़े। इसलिये अक्टूबर के लिये भी निश्चित रूप से उन्होंने नहीं बतलाया कि एलेक्शन करवा देंगे। इस बात की मैं तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने निश्चित रूप से नहीं कहा कि चुनाव जरूर-जरूर हो जायंगे। तो यह जो बात बार बार कही गयी और हमारी बहिन प्रकाशवती सूद ने कहा कि आप एलेक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो बात आप को अच्छी लगती है वह इलाहाबाद से ही शुरू कर देनी चाहिये थी। जो अब आकर के आपने की और मैं आप से कहता हूं कि मैं हूं या आप हों या कोई भी हों, मैं नहीं समझता कि हमने कहां का यह ठेका ले रखा है कि केवल ऐडमिनिस्ट्रेटर ही जा करके यह सुधार कर सकता है और दूसरे तरीके से नहीं हो सकता। जहां तक मैंने दूसरी तरफ के लोगों के भाषण सुने उन्होंने कहा कि करीब करीब सभी म्युनिसिपैलिटियां रद्दी हैं, बुरी हालत में हैं। तो सब से अच्छी बात तो यही होती कि एक तरफ से सब म्युनिसिपैलिटियों में डिक्टेटर्स भेज दिये जाते, ऐडमिनिस्ट्रेटर्स बना कर के भेज दिये जाते। हमारे एम० एल० एज० बहुत से हैं, उन्हीं के सुपुर्द शासन कर दिया जाता, बड़ा अच्छा होता। तो मैं आप से यही कहता हूं कि ऐसा नहीं किया गया और आज यह कहा जा रहा है कि केवल पांच जगह ऐसा किया गया है, मैंने छठा पहले ही बता दिया, तो उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि यह वास्तव में जो प्रजातंत्र प्रणाली है उसकी जड़ के ऊपर कुठाराघात है, यह कहा जाता है कि ऐसा नहीं है। आप कितने ही चिल्लाते रहें कि नहीं है, ऐसी बात समझ में दूसरे लोगों की, जो निष्पक्ष हैं, आने वाली नहीं है। इसलिये मैं आप के सामने इसका घोर विरोध करने आया हूं कि यह चीज एक दूसरे मकसद से की जा रही है और हर समय एक ही निगाह रखती है। हमारे मन्त्री महोदय जो उधर बैठे हुये हैं, उनकी निगाह यही रहती है कि किसी न किसी तरह से हम लोग शासन चलाते रहें, कुर्सियों पर बैठे रहें, चौबीसों घंटे उनकी

क़लम और उनका दिमाग़ इन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है, और किसी बात के लिये उन्हें सोचने का वक्त नहीं मिलता। जो कुछ बात रख दी जाती है, उस पर सोचने के लिये उनके पास समय नहीं रहता है। हमारे हाफिज जी महोदय, बुजुर्गवार गर्दन हिला रहे हैं, अगर वह चाहेंगे तो मैं हजारों बातें ऐसी पेश कर सकता हूं कि जिनसे साबित कर दिया जा सकता है कि अलावा कागजों पर दस्तखत करने के उनको केवल यही फ़िक्र रहती है कि वहां एलेक्शन में जीत जायं, वहां जीत जायं। मुझसे तो नैनीताल में बराबर कहा गया कि भाई सिधौली क्यों नहीं जाते हो? मैंने कहा कि भाई आप लोग जावें, मेरे जाने की जरूरत तो वहां नहीं है। तो मैं तो आप से यही कहने आया हूं कि हमारी तरफ से यह चर्चा बार बार यहां आने का कारण केवल यह है कि आप इस तरह की बातें शुरू से कर रहे हैं जिनका कोई भी निष्पक्ष आदमी कोई दूसरा नतीजा निकाल ही नहीं सकता। तो मैं केवल इतना कह करके आप से यही अनुरोध करूंगा कि यह जो आपने रक्खा है कि इन कार्पोरेशंस के ऊपर आप ने ये ऐडमिनिस्ट्रेटर मुक़र्रर कर दिये और जैसा कि मेरे भाई नारायण दत्त जी ने कहा था कि जब ऐडमिनिस्ट्रेटर साहब और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट म्युनिसिपल बोर्ड, कानपुर में गये तो वहां के चपरासी ने ताली देने से इनकार किया तो जबर्दस्ती चाभी छीन ली गयी और ताला खोल कर के जो कुछ काम किया गया, किया गया। तो यह सब ऐसे नमूने हैं जो कि प्रजातंत्र प्रणाली को शोभनीय नहीं हो सकते हैं। इसलिये चाहे वह कैसे ही आप समझते होंगे और जैसा कि मुझे एक दूसरे भाई ने बताया कि इलाहाबाद में यहां से लोग दौड़ गये, बैठक हुई, कांग्रेस के जो मेम्बर चुंगी में थे उन्होंने कहा कि यह बहुत बुरा काम है कि हमारा शहर भी ऐडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में दे दिया गया, तो मैं आज यही कहूंगा कि यह जो ऐडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में दिया जाना है यह प्रणाली ठीक नहीं है, यह उदाहरण ठीक नहीं है। इसको हम लोगों को कम से कम निश्चय समझ करके इसको इनकार करना चाहिये। एक बात और कह कर के मैं बैठ जाऊंगा कि आज ही की बात है कि मेरे दूसरे तरफ के साथी एक जगह बैठ कर के बात कर रहे थे। वह कह रहे थे कि भाई हम तो "यसमैन" हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग ऊपर से जो मन्त्री लोग यहां करते हैं उसकी "हां" करते हैं और जब उस अफ़सर ने मेरी ओर इशारा कर के कहा कि "नोमैन" बैठे हैं तो उन्होंने कहा कि "नोमैनो" की तो हम चलने ही नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग "यसमैन" हैं सिर्फ हाथ उठाने के लिये और "नोमैनों" की चलने नहीं देते। तो आप समझ लीजिये कि यह सरकार किधर जा रही है, डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। बस इतना ही कह कर मैं बैठा जा रहा हूं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि इस विधेयक पर कुछ कहा जाय मैं स्वशासन मन्त्री को इस क़दम के उठाने के लिये बधाई देना चाहता हूं। यह क़दम वही व्यक्ति उठा सकता है जिसमें काफी साहस, निर्भीकता साथ-साथ विवेक और बुद्धिमत्ता का सम्मिश्रण हो। हमारे विरोधी दल के नेताओं ने इस विधेयक का विरोध करते हुये, जिन दलीलों का प्रश्रय लिया, जिन तर्कों को उपस्थित किया, वे भूल जाते हैं कि नियम और अपवाद दो चीजें होती हैं। प्रजातंत्र के संबंध में जहां नियम की बात हो और जहां अपवाद की बात हो, एक ही तरह का तर्क लागू नहीं हो सकता। हमारे राज्य के पांच शहरों में प्रशासक नियुक्त हुये हैं, यह कोई साधारण नियम नहीं बनाया जा रहा है, यह तो एक्सेप्शन्स हैं, अपवाद हैं, परिस्थितियां मजबूर करती हैं इस प्रकार के अपवाद को प्रश्रय देने के लिये और ऐसा करते समय हमारे देश के संविधान की भावना का भी उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि परिस्थिति विशेष में वे सम्पूर्ण देश या एक राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेवें। हमारा ऐसा ख्याल है कि इस भावना का द्योतक यह प्रशासकों की नियुक्ति है। कानपुर शहर का मुझे अच्छी तरह से अनुभव है। आज ८ या १० साल से कानपुर का म्युनिसिपल बोर्ड जिन लोगों के हाथ में था वे कांग्रेसमैन नहीं थे, गैर-कांग्रेसियों के हाथ में था और वहां की जनता की राय यदि आप जानना चाहते हों तो वहां के होटलों में, वहां के रेस्टोरेंट्स में और वहां के राहघाट में खड़े होकर आप सुनिये कि वे लोग यह कहते हैं कि कानपुर का म्युनिसिपल बोर्ड गोशाला

[श्री देवदत्त मिश्र]

हो रहा था। इस प्रकार की परिस्थिति में मैंने जैसा कहा कि जो अच्छा सुयोग्य कमांडर होता है अपने युद्ध को जीतने के लिये वह कभी-कभी पीछे भी क़दम उठाता है और अगल-बगल से भी मोर्चे पर आगे बढ़ता है। आज प्रजातंत्र के इस युद्ध में हम बिलकुल सीधे ही चले जायं यह जरूरी नहीं है। प्रजातंत्र को सुव्यवस्थित, सुदृढ़ बनाने के लिये, ताकि प्रजातंत्र हमारे देश में टिक सके, और जो प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के विरोधी हैं उनके उद्देश्यों को हम विफल कर सकें, उसके लिये हर क़दम हमारे माननीय स्वशासन मंत्री ने जो उठाया है इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--दस साल तक कहां थे?

श्री देवदत्त मिश्र--दस साल में हमारे माननीय उपाध्याय जी जानते हैं कि कुछ साल तो अंग्रेजों के जमाने के गुजर गये उसके बाद आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि कुछ दिनों तक हमारा संविधान बनने के साथ-साथ जो नाना प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुईं, देश में संकट आया, कश्मीर समस्या, हैदराबाद की समस्या तथा अन्य अनेक समस्यायें जिनमें अन्न की समस्या सब से महान् समस्या थी, हमारे सामने आयीं। उन समस्याओं के कारण यदि कुछ देर हो गयी तो कोई भी सरकार दोषी नहीं कही जा सकती। इन समस्याओं से धीरे-धीरे मुक्ति पाकर एवं मौका पाकर के अब हमारा ध्यान इस तरफ गया है कि हम किस प्रकार से प्रशासन को सुन्दर और सुदृढ़ बनावें और इसीलिए क़दम है। जैसा मैंने कहा कि प्रजातंत्र की दुहायी देना एक बात है लेकिन यह देखना कि किन परिस्थितियों में इस समय प्रजातंत्र स्थापित हो सकता है और चल सकता है, यह एक सुयोग्य शासक का काम होता है। आज जिन परिस्थितियों ने, मैंने जैसा कहा, कानपुर के म्युनिसिपल बोर्ड की स्थिति इस प्रकार कर दी कि लोगों को, कानपुर के नागरिकों को प्रजातंत्र के ऊपर से विश्वास उठता गया और उन्होंने कहा कि इस प्रजातंत्र प्रणाली से जिससे म्यूनिसिपल बोर्ड का शासन होता है यदि यह प्रजातंत्र है तो ऐसी अवस्था में हम इस प्रकार के प्रजातंत्र की अपेक्षा एक आदमी का शासन, एक व्यक्ति का, जो सुयोग्य व्यक्ति हो, उसकेशासन को हम पसन्द करेंगे। और मैंने जैसा कहा कि इस प्रकार एक दम यह कोई हम नियम नहीं बनाने जा रहे हैं। यह तो अपवाद है कि इस प्रकार प्रशासकों की नियुक्ति करके हम अपने उस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिये हमने हमेशा से कांग्रेस मंच से महात्मा गांधी के नेतृत्व में क़दम उठाया और उसकी पूर्ति के लिये ही, प्रशासकों की नियुक्ति द्वारा वह क़दम हम पूरा करने जा रहे हैं।

हमारे दोस्त माननीय नारायण दत्त जी ने पालने की उपमा दी और यह कहा कि बच्चा पैदा होने के पहले ही यह जो वस्त्र सिलाई है वह क्या है। यदि उन्हें मालूम न हो तो उन्हें मालूम होना चाहिये कि जो नयी माता होती है वह अपने पति को यह बतलाने के लिये कि मैं गर्भवती हूं या मैं बच्चा देने वाली हूं वह पहले से ही बच्चों के जो वस्त्र हैं उनको बनाने लगती है, आपने फिल्मों में इस प्रकार के बहुत से चित्र देखे होंगे। उन वस्त्रों को देख करके पति मुस्कराता है और यह कहता है कि अच्छा अब यह बात होने वाली है और तब ठीक उसी प्रकार से यह प्रशासकों की नियुक्ति हुई है। हमारे मित्र आदरणीय श्री गेंदासिंह जी ने कहा कि आखिर यह प्रशासक म्युनिसिपल बोर्ड के क्या होंगे, माता होंगे या पिता होंगे, उनके लिये मेरा उत्तर यह है कि यह प्रशासक न माता होंगे न पिता होंगे बल्कि यह नर्स का काम करेंगे और नर्स की आवश्यकता गर्भवती होने की अवस्था में ही होती है और बच्चा हो जाने के बाद भी होती है। दोनों परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता होती है। नारायण दत्त जी ने यह कहा कि हम कानून की दुहायी देते हैं लेकिन कानून के विरुद्ध हम प्रशासकों की नियुक्ति कर के कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं। यह अफसरों के कारपोरेशन होंगे। आप को हक़ है, आप सब कुछ कह सकते हैं लेकिन अफसरों का कोई कारपोरेशन आज तक न कभी बना है और न बनाने की जरूरत है। यदि ऐसा करना होता तो जो आर्डिनेंस है उसी को हम ऐक्सटेंड करते रहते और उसकी अवधि को हम बढ़ाते चले जाते और इस प्रकार वहां प्रशासकों को रख सकते थे। मैंने जैसा कहा कि हम वहां स्वस्थ वातावरण बनाना चाहते हैं और हम इस प्रकार का म्युनि-

सिपल शासन करना चाहते हैं कि जिसमें जो आने वाला कारपोरेशन है वह अच्छी तरह से कायम रह सके और चल सके। आप ने जो कहा कि सरकार ने अपने मन में ही सोच लिया कि वह कारपोरेशन बनाने जा रही है लेकिन उसके संबंध में अभी तक हमारे सामने कोई बिल नहीं आया, अभी तक उसके संबंध में हमारे सामने कोई इस प्रकार की चीज नहीं आयी, तो आखिर देश के शासन का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है। देश के शासन का उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है और वह अपना जो भावी कार्यक्रम है, जो उसकी भावी नीति है, उसका संचालन सरकार करती है न कि विरोधी दल करता है। तब वह जो आगे करने जा रही है उसकी सूचना इस प्रकार से वह दे रही है और इस सूचना के संबंध में कई बार हमारे इस सदन में चर्चा हुयी है। पिछले अधिवेशन में यह बात कही गयी कि हम कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं और अखबारों में भी इस बात की चर्चा हुयी लेकिन आप जानते हैं कि जो अहम काम होते हैं, बड़े-बड़े काम होते हैं जैसे हमारे प्रमुख ५ नगरों में कारपोरेशन बनाना है तो इसमें यह समझना है कि कारपोरेशन के क्या पैटर्न हों। हमारे देश में तीन प्रमुख कारपोरेशन हैं। कलकत्ता का जो सब से पुराना है, मद्रास और बम्बई के हैं। उनकी अच्छाइयों को लेकर हम इन ५ नगरों के लिये कारपोरेशन बनाना चाहते हैं। हम अपने विरोधी दल के नेता और उनकी पार्टीवलों को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वे प्रजातांत्रिक सिद्धांत को लेकर चलने वाले होंगे।

हमारे बुजुर्ग ठाकुर मलखान सिंह जी ने चुनाव की चर्चा की। चुनाव की चर्चा हमेशा उसी दल से हुआ करती है। एक कहावत है कि एक चिड़िया थी। उसे एक घून मिल गया और उसने सोचा कि आज हमारी इस प्रकार की अनुमति लेकर....। कहानी लम्बी है मुझे आशा है कि हमारे सभी माननीय सदस्य उसे जानते होंगे। हमारा ऐसा ख्याल है कि हमारे विरोधी दल के सदस्य भी इसी तरह की भावना के आनन्दसागर में गोते लगा रहे हैं। जब इस तरह की सेना हार जाती है तो वह गुरीला लड़ाई पर आ जाती हैं और उसमें वह कुछ सफलता प्राप्त कर ले जाती है। लेकिन घनघोर युद्ध में वे खड़े नहीं हो सकते हैं। जिस समय घमासान युद्ध होगा उस समय उन्हें मालूम होगा कि हां, अब किसी महारथी से पाला पड़ा है। अलीगढ़ की चर्चा ठाकुर मलखान सिंह जी ने की। यह उन लोगों को शोभा दे सकता है कि एक बार किसी बात का स्पष्टीकरण हो जाने पर भी उसे कहा करते हैं। मेरी स्मरणशक्ति यदि मुझे धोखा नहीं देती तो पिछले अधिवेशन में भी अलीगढ़ के चुनाव की चर्चा इसी प्रकार की गयी थी और यह कहा गया था कि अलीगढ़ की म्युनिसिपल बोर्ड इसलिये सुपरसीड की गयी कि चूंकि वहां का बाई-इलेक्शन कांग्रेस हार गयी थी। यद्यपि हमारे माननीय मंत्री ने तत्काल इस बात का चैलेंज किया था कि वहां के सुपरसेशन के आर्डर बाई-इलेक्शन का रिजल्ट मालूम होने से पहले ही हो चुके थे और उन्होंने इस बात के लिये आमन्त्रित किया था कि हमारे विरोधी दल के नेता उन रेकार्ड्स को देख कर अपने को सैटिस्फ़ाई कर सकते हैं। लेकिन उनका मतलब सिद्ध नहीं होता उन रेकार्ड्स को देखने से कि वह अपनी गलत भावना को ठीक कर लें। इसलिये इस तरह के बयान यदि वे देते हैं तो उनसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
३ अगस्त, १९५३।

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे २६ पृष्ठ पर)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक, १९५३

कारपोरेशनों (निगमों) की स्थापना को सुकर बनाने के विचार से, काबाल नगरों के नागरिक विषयों (सिविक अफेयर्स) के निमित्त प्रशासकों की नियुक्ति की व्यवस्था करने का

विधेयक

कारपोरेशनों (निगमों) की स्थापना को सुकर बनाने के विचार से काबाल नगरों के नागरिक विषयों (सिविक अफेयर्स) के निमित्त प्रशासकों की नियुक्ति की व्यवस्था करने के लिये राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अध्यादेश, १९५३ प्रचारित किया था,

और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल का एक अधिनियम प्रस्तुत करना है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सारे उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ८ जुलाई, १९५३ को प्रचलित हुआ समझा जायगा।

परिभाषायें

२—इस अधिनियम में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न हो—

(१) 'बोर्ड' का तात्पर्य डेवलेपमेंट बोर्ड तथा किसी म्युनिसिपल बोर्ड से है;

(२) 'डेवलेपमेंट बोर्ड' का तात्पर्य कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ की धारा ५ के अधीन स्थापित कानपुर (अर्बन एरिया) डेवलेपमेंट बोर्ड से है;

(३) 'काबाल नगर' (Kabal towns) का तात्पर्य कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ नगरों से है;

(४) 'स्थानीय निकाय' (लोकल बाडी) का तात्पर्य डेवलेपमेंट बोर्ड या किसी म्युनिसिपल बोर्ड अथवा ट्रस्ट से है;

(५) 'म्युनिसिपल बोर्ड' का तात्पर्य यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३ के अधीन स्थापित किसी म्युनिसिपल बोर्ड से है; तथा इसके अन्तर्गत बोर्ड के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये उक्त ऐक्ट की धारा ३१ के खंड (बी) के अधीन नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों भी है।

(६) 'ट्रस्ट' का तात्पर्य यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ३ के अधीन स्थापित किसी ट्रस्ट से है।

प्रशासकों की नियुक्ति

३--(१) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ अथवा कानपुर अर्बन एरिया डेवलेपमेंट ऐक्ट, १९४५ में कसी बात के होते हुये भी, काबाल नगरों में कारपोरेशनों की स्थापना को सुकर बनाने तथा सुविधाजनक संक्रमण (ट्रेंजिशन) के विचार से, राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके काबाल नगरों के किसी भी स्थानीय निकाय के लिये प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है, तथा

(क) प्रख्यापित कर सकती है कि उस दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय उस स्थानीय निकाय, उसके अध्यक्ष (प्रेसीडेंट), सभापति (चेयरमैन) अथवा समिति (कमेटी) के सभी अधिकार, कर्तव्य तथा कार्य चाहे वे उक्त विधायनों (इनैक्टमेंट्स) के अथवा अन्य किसी विधि के अन्तर्गत हों, उक्त प्रशासक में निहित हो जायेंगे और जब तक कि उक्त आज्ञा अधिक्रांत अथवा निरस्त न हो जाय, वे प्रशासक, जिसे विधितः यथावसर बोर्ड, ट्रस्ट, अध्यक्ष, सभापति अथवा समिति समझा जायगा, द्वारा अथवा उसके अधिकार के अन्तर्गत प्रयुक्त होंगे, कार्यान्वित होंगे तथा किये जायेंगे, और

(ख) ऐसे आनुषंगिक अथवा पारिणामिक उपबंध, जिनमें उक्त ऐक्टों (अधिनियमों) के किसी भी उपबंध का अधिक्रमण (सस्पेंडिंग) भी सम्मिलित है, जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक अथवा वांछनीय प्रतीत हो, बना सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार एक ही नगर में किसी एक ही व्यक्ति को एक से अधिक स्थानीय निकायों के लिये प्रशासक नियुक्त कर सकती है।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत आज्ञा प्रकाशित होने पर--

(क) पहले से संगठित बोर्ड अथवा ट्रस्ट कार्य करना समाप्त कर देगा तथा बोर्ड अथवा ट्रस्ट के सभी सदस्य, जिनमें उसके सभापति, अध्यक्ष अथवा उसकी समिति भी सम्मिलित है, जैसी भी दशा हो, उपधारा (१) के खंड (क) के अन्तर्गत निर्दिष्ट दिनांक से अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) यदि अपना पद रिक्त करने से पूर्व अध्यक्ष अथवा सभापति को किसी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत हो चुकी हो और छुट्टी की अवधि समाप्त न हुई हो तो इस बात के होते हुये भी कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है उसे अवशिष्ट अवधि के लिये अवकाश वेतन मिल सकेगा।

(३) विशेष रूप से तथा उपधारा (१) के खंड (ख) की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार उसही आज्ञा में या बाद में दी गई आज्ञा में निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकती है :--

(क) कि उक्त ऐक्ट्स (अधिनियम) उस अवधि के लिये जो निर्दिष्ट की जाय, उस स्थानीय निकाय के क्षेत्र में जिसके लिये प्रशासक नियुक्त हुआ हो, ऐसे अनुकलनों, परिवर्तनों

अथवा परिष्कारों के साथ प्रभावी होंगे जो उक्त उपधारा के खंड (क) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों ;

(ख) सम्बद्ध स्थानीय निधि अथवा निधियों (लोकल फंड आर फंड्स) में से प्रशासक के वेतन अथवा भत्तों का भुगतान, और

(ग) जब किसी नगर में एक ही व्यक्ति एक से अधिक स्थानीय निकायों का प्रशासक नियुक्त हो, तब ऐसे स्थानीय निकाय अथवा निकायों के अन्तर्गत निर्दिष्ट किये जाने वाले स्थानों अथवा पदों का भरा न जाना अथवा सम्बद्ध स्थानीय निकायों के लिये संयुक्त रूप से भरा जाना और इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के वेतन और भत्तों का भुगतान सम्बद्ध स्थानीय निधि अथवा निधियों में से किया जाना ।

(४) उपधारा (१) के खंड (ख) अथवा उपधारा (३) के अन्तर्गत दी गयी कोई भी आज्ञा, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ अथवा कानपुर अर्बन एरिया डेवलेपमेंट ऐक्ट, १९४५ में किसी भी बात के होते हुये भी, प्रभावी होगी।

निरसन

४—उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अध्यादेश, १९५३ एतद्द्वारा निरस्त (रिपील) किया जाता है। यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबंध इस पर इसी प्रकार लागू होंगे मानों यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त अधिनियम हो।

उद्देश्य और कारण

सरकार ने कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ के काबाल नगरों में म्युनिसिपल कारपोरेशनों (म्युनिसिपल निगमों) की स्थापना करने का निश्चय किया है और इस प्रयोजन से सरकार कारपोरेशनों के संगठन के लिये यथासमय विधान मंडल में आवश्यक विधि प्रस्तुत करेगी। किन्तु इस बीच विशेषतः शीघ्र और सुविधाजनक संक्रमण के उद्देश्य से, यह आवश्यक समझा जाता है कि सभी स्थानीय निकायों के, जिन्हें अन्त में कारपोरेशन बनाना है, काम में सामन्जस्य स्थापित हो जाय और वे इस रूप में आ जायं कि कारपोरेशन शीघ्रातिशीघ्र कार्य करना आरम्भ कर सके। विधान मंडल का सत्र नहीं चल रहा था और इस निर्णय को तुरन्त ही कार्यान्वित करना आवश्यक था। अतएव राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अध्यादेश, १९५३ प्रचारित किया। इस विधेयक में अध्यादेश को पुनः विहित करने की व्यवस्था की गई है तथा इसमें इस बात की व्यवस्था भी की गई है कि जब तक कारपोरेशन यथाविधि संगठित न हो जायं उक्त नगरों के नागरिक विषयों (सिविक अफेयर्स) का प्रशासन प्रशासक द्वारा किया जाय जो उस स्थानीय निकाय के, जिसका कि वह प्रशासक हो, समस्त अधिकारों का उपयोग और कर्त्तव्यों का पालन करे तथा सम्बद्ध बोर्ड/ट्रस्ट समाप्त हो जायं।

अतएव मैं, भवन के समक्ष यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

मोहन लाल गौतम,
स्वशासन मंत्री।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे २६पृष्ठ पर)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९५३

कुछ प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, सन् १९४७ ई० में संशोधन करने का

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, सन् १९४७ ई० में संशोधन करना आवश्यक है।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट सं० २८, १९४७ में धारा ६ (क) का रखा जाना

२—संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० की (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ६ के बाद निम्नलिखित धारा ६ (क) के रूप में बढ़ा दिया जाय और यह सदा जुड़ा हुआ समझा जाय—

पंच-निर्णयों को उपस्थित करने के लिए समय का बढ़ाया जाना

"६ (क)—यदि इस ऐक्ट के अन्तर्गत या इसके अनुसार दी हुई किसी भी आज्ञा में जिसके द्वारा कोई औद्योगिक झगड़ा (विवाद) निर्णय के लिये सौंपा गया हो, पंच निर्णय (एवार्ड) देने, उसे प्रख्यापित करने अथवा उपस्थित करने की अवधि निर्दिष्ट की गयी हो या उसका निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक हो, तो राज्य सरकार को यह क्षमता प्राप्त होगी कि वह समय समय पर इस अवधि को बढ़ा सके यद्यपि आरम्भ में निश्चित की गयी अथवा बढ़ायी हुई अवधि व्यतीत हो चुकी हो या पंच निर्णय दिया जा चुका हो।"

संदेहों का दूर करना तथा वैधीकरण

३—सन्देहों को दूर करने के लिये एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि: —

(१) धारा ६ (क) में अभिदिष्ट समय बढ़ाने की किसी ऐसी आज्ञा (order) के संबंध में जो मूल अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत पारित किसी आज्ञा (order) के अधीन इस अधिनियम के पूर्व दी गयी हो और जो मूल अधिनियम के अधीन यदि धारा ६ (क) उक्त अधिनियम का अंग होती तो वैध तथा यथोचित रूप से दी जाती यह समझा जायगा कि वह उक्त अधिनियम के अधीन वैध तथा यथोचित रूप से दी गयी और दी जा चुकी है,

(२) मूल अधिनियम के अधीन निर्णय के लिये इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व सौंपे गये किसी औद्योगिक झगड़े में कोई भी पंच निर्णय चाहे वह उक्त प्रारम्भ से पहले या बाद में दिया गया हो, केवल इस आधार पर अवैध न होगा कि आरम्भ में निर्दिष्ट अथवा बाद में बढ़ायी गयी अवधि पंच निर्णय देने, प्रख्यापित करने अथवा उपस्थित करने के दिनांक पर समाप्त हो चुकी है और उस पंच-निर्णय पर या उसके अनुसार किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही या दिया गया आदेश या प्रयुक्त अधिक्षेत्र विधितः ठीक और वैध होगा मानो कि ऐसे सभी दिनांकों पर जिनका उस विषय में कोई महत्व हो धारा ६ (क) प्रचलित थी ।

(३) पंच-निर्णय के विरुद्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) में विचाराधीन प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय इस प्रकार किया जायगा मानों कि ऐसे सभी दिनांकों पर जिनका उस विषय में कोई महत्व हो धारा ६ (क) प्रचलित थी ।

निवर्तन

४--(१) उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अध्यादेश, १९५३ एतद्द्वारा निवर्तित किया जाता है और यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबंध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि यह किसी उत्तर प्रदेशीय अधिनियम द्वारा निवर्तित विधायन हो,

(२) सन्देहों को दूर करने के लिये एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश की धारा ४ के अधीन और उसके अनुसार प्रत्यालोचन के लिये दिया गया कोई प्रार्थना-पत्र अध्यादेश के निवर्तित होते हुये भी उसी प्रकार जारी रहेगा और समाप्त होगा मानों कि उक्त धारा इस अधिनियम द्वारा पुनः विहित हुई है ।

उद्देश्य और कारण

न्यायालयों के कुछ निर्णय इस अभिप्राय के हुये हैं कि संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० के अधीन राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह औद्योगिक न्यायाधिकरण (Industrial tribunal) या अभिनिर्णायकों (adjudicater) द्वारा अपने निर्णय (awards) को प्रख्यापित करने या देने के लिये प्रथमतः (originally) निश्चित अवधि को समय-समय पर बढ़ा सके। उक्त निर्णयों के कारण हुई कुछ कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अध्यादेश, १९५३ प्रचारित किया गया था । उक्त अध्यादेश से राज्य सरकार को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त हो गया तथा उसके अतिरिक्त पहले जो समय बढ़ाने की आज्ञायें दी गयी थीं उनका भी वैधीकरण हुआ। वर्तमान विधेयक उक्त अध्यादेश के स्थान पर अधिनियम बनाने के विचार से प्रस्तुत किया जा रहा है।

सम्पूर्णानन्द,

श्रम मंत्री ।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे २३ पृष्ठ पर)

उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य (संशोधन) विधेयक, १९५३

कुछ प्रयोजनों के लिये, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य अधिनियम में संशोधन करने का

उत्तर प्रदेश अधिनियम ३२, १९५०।

विधेयक

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य अधिनियम में यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त, संशोधन करना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ३२,१९५०।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य (संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सारे उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम, ३२, १९५०।

२—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य अधिनियम (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४२ के बाद निम्नलिखित नई धारा ४२-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :

मैजिस्ट्रेट के विशेष अधिकार

"४२-क—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा ३२ में किसी बात के होते हुये भी किसी भी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के लिये, जिसे राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिकार प्रदान किये हों और जो इस अधिनियम के अधीन किसी मुकद्दमे की सुनवाई करे, यह विधिसंगत (Lawful) होगा कि वह अनुसूची १ के स्तम्भ १ में निर्दिष्ट अपराध के लिये दूसरी बार अथवा तत्पश्चात् अपराधी ठहराये गये व्यक्ति को १,००० रुपये से अधिक जुर्माने का दन्ड दे सके"।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ३२,१९५० की अनुसूची १ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की अनुसूची १ के स्तम्भ १ में शब्द और संख्या "धारा ३१" और उसके सामने स्तम्भ ३ में शब्द "दो सौ रुपया" निकाल दिये जायं।

उद्देश्य और कारण

शुद्ध खाद्य अधिनियम में दूसरी बार अथवा तत्पश्चात् अपराध करने के संबंध में अधिनियम की धारा ४२(ख) के अधीन अपराधी पर २,००० रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है किन्तु कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के अधीन प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को केवल १,००० रुपये तक ही जुर्माना करने का अधिकार है। शुद्ध खाद्य अधिनियम के अधीन अपराधों की सुनवाई सामान्यतया मैजिस्ट्रेट ही करते हैं किन्तु उनके अधिकारों पर १,००० रुपये तक ही जुर्माना करने का प्रतिबन्ध रहने के कारण वे मुकद्दमे जिनमें १,००० रुपये से अधिक जुर्माना करना होता है, उनके द्वारा परिनिश्चित रूप से तथा प्रभाव पूर्ण ढंग से नहीं निबटाये जा सकते। इस कठिनाई को तथा कार्यवाहियों की दीर्घता को दूर करने के लिये यह तय किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन अपराधों के संबंध में मैजिस्ट्रेटों द्वारा जुर्माना करने का अधिकार २,००० रुपये तक कर दिया जाय।

२—इसलिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
खाद्य तथा रसद मंत्री।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे २६ पृष्ठ पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३

चीनी की फैक्टरियों में प्रयोग के लिए अपेक्षित गन्ने की पूर्ति और खरीद के विनियमन का

विधेयक

चीनी की फैक्टरियों में प्रयोग के लिये अपेक्षित गन्ने की पूर्ति और खरीद एवं अन्य सम्बद्ध विषयों का विनियमन करना आवश्यक है इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ कहलाएगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त लागू होगा।

परिभाषाएं

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के प्रतिकूल कोई बात न होने पर—

(क) 'अभ्यर्पित क्षेत्र' (assigned area) का तात्पर्य धारा १४ के अधीन फैक्टरी के निमित्त अभ्यर्पित क्षेत्र से है;

(ख) 'बोर्ड' का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित गन्ना बोर्ड से है;

(ग) 'गन्ना' का तात्पर्य फैक्टरी में प्रयोग के लिये उद्दिष्ट गन्ने से है ;

(घ) 'गन्ना कमिश्नर' (Cane Commissioner) का तात्पर्य धारा ९ के अधीन नियुक्त गन्ना कमिश्नर (Cane-Commissioner) से है और इसके अन्तर्गत धारा १० के अधीन नियुक्त अतिरिक्त गन्ना कमिश्नर, (Additional Cane Commissioner) भी है ;

(ङ) 'गन्ना उत्पादक' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो या तो अपने आप या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा , अथवा भाड़े की मजदूरी से गन्ने की खेती करता हो किन्तु गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति का सदस्य न हो ;

(च) 'गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति' का तात्पर्य ऐसी समिति से है जो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन रजिस्टर्ड हो और जिसका एक उद्देश्य यह भी हो कि वह अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित गन्ने को बेचे, और इसके अन्तर्गत उक्त समितियों का , उक्त ऐक्ट की धारा ८ के अधीन रजिस्टर्ड , संघ भी है;

(छ) 'कलेक्टर' के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति प्रकाशित कर के इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के अधिकारों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के हेतु नियुक्त करे ;

(ज) 'परिषद्' (Council) का तात्पर्य धारा ५ के अधीन स्थापित गन्ना विकास परिषद् (Cane De velopment Council) से है;

(झ) "पेराई का मौसम" का तात्पर्य किसी भी वर्ष में उस अवधि से है जो १ अक्तूबर से आरम्भ हो और उसके ठीक बाद पड़ने वाले ३० जून को समाप्त हो ;

(ञ) "फैक्टरी' का तात्पर्य ऐसे गृहादि से है जिसके अन्तर्गत अहाते भी हैं, जिसमें २० या २० से अधिक श्रमिक काम करते हों या पिछले १२ महीनों में किसी दिन काम किये हों और जिसके किसी भाग में चीनी के उत्पादन से सम्बद्ध निर्माण प्रक्रिया (Manufacturing Process) वैकुअम पैन द्वारा होती हो या यन्त्र चालित शक्ति द्वारा (Mechanical power) सामान्यतः होती हो;

(ट) 'फैक्टरी का अध्यासी (occupier of factory) का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका फैक्टरी के मामलों पर अन्तिम (अल्टिमेट) नियंत्रण हो और जहां फैक्टरी के ऐसे मामले प्रबंध करने वाले एजेन्ट के अधीनस्थ हों, ऐसे एजेन्ट से है;

(ठ) 'नियत' का तात्पर्य नियमों द्वारा नियत से है ;

(ड) 'खरीदारी एजेन्ट' (purchasing agent) का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे खरीदारी एजेन्ट के रूप में काम करने का लाइसेंस इस अधिनियम के अधीन प्राप्त हो ;

(ढ) 'सुरक्षित क्षेत्र' (reserved area) का तात्पर्य धारा १४ के अधीन प्रचारित आज्ञा में निर्दिष्ट क्षेत्र से है ;

(ण) 'नियम' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम से है ;

(त) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ; और

(थ) 'चीनी कमिश्नर' (Sugar Commissioner) का तात्पर्य उस अधिकारी से है जो धारा ६ के अधीन चीनी कमिश्नर (Sugar Commissioner) नियुक्त हो।

अध्याय २

प्रशासन के साधन

(Administrative machinery)

गन्ना बोर्ड

३—(१) राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के लिये गन्ना बोर्ड की स्थापना करेगी।

(२) बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :

(क) उद्योग मंत्री अथवा उनके द्वारा नामांकित उनका प्रतिनिधि, जो पदेन सभापति होगा,

(ख) १५ सदस्य जिनमें से ६ चीनी फैक्टरियों के प्रतिनिधि होंगे तथा ६ गन्ना उत्पादकों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होंगे और ३ ऐसे व्यक्ति होंगे जो गन्ने के विषय में विशेषज्ञ (हैविंग टेक्निकल नालेज) हों, और इनकी नियुक्ति सरकार करेगी ;

(ग) गन्ना कमिश्नर या उनका प्रतिनिधि जो पदेन सदस्य होगा ;

(घ) उद्योग विभाग में राज्य सरकार का सचिव अथवा अन्य ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार नामांकित करे ; यह बोर्ड का पदेन सचिव भी होगा।

(३) बोर्ड का कार्य-काल दो वर्ष होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार बोर्ड के कार्य-काल की समाप्ति से पूर्व ही इसे तोड़ सकती है।

(४) बोर्ड को तोड़ देने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे:—

(क) उपधारा (२) के खंड (ख) में अभिदिष्ट सभी सदस्य आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक पर अपने-अपने पद खाली कर देंगे किन्तु इससे उनकी सदस्य के रूप में नियुक्ति अथवा नामांकन के निमित्त पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ेगा,

(ख) उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार बोर्ड को पुनः संगठित करेगी।

बोर्ड के कार्य

४—बोर्ड राज्य सरकार को निम्नलिखित विषयों के संबंध में परामर्श देगा, अर्थात्:—

(क) चीनी की फैक्टरियों के निमित्त गन्ने की खरीद तथा पूर्ति के विनियमन से सम्बद्ध विषय,

(ख) गन्ने के विभेद जो चीनी की फैक्टरियों में प्रयोग के लिये उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त हों,

(ग) फैक्टरियों के अध्यासियों (occupiers of factories) अथवा प्रबंधकों, गन्ना उत्पादकों, गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति तथा खरीदारी एजेन्टों के बीच समुचित संबंध बनाये रखना;

(घ) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जांय।

विकास परिषद्

५—(१) फैक्टरी के सुरक्षित क्षेत्र के लिये एक गन्ना विकास परिषद् (जिसे यहां पर आगे चल कर परिषद् कहा गया है) स्थापित की जायगी जो उस क्षेत्र के नाम से अथवा उस नाम से जो नियत किया जाय एक सतत् अनुक्रम वाली (having perpetual Succession) निगमित संस्था (body corporate) होगी और वह किसी ऐसे निरोध या विशेषता के अधीन (subject to such restrictions or qualifications) जो इस अधिनियम या किसी दूसरे विधायन के अधीन लगाई जाय, निगमित नाम से वाद प्रस्तुत करने या उस पर वाद प्रस्तुत किये जाने, चल तथा अचल सम्पत्ति उपार्जित

करने , रखने, प्रशासित तथा हस्तांतरित करने तथा संविदा भी करने की क्षमता रखेगी ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब गन्ना कमिश्नर आदेश दे तो फैक्टरी के लिये सुरक्षित क्षेत्र से बड़े अथवा छोटे क्षेत्र के लिये भी परिषद् की स्थापना की जा सकती है ।

(२) वह क्षेत्र जिसके लिये विकास परिषद् की स्थापना की जाय, प्रभाग (zone) कहलायेगा ।

(३) परिषद् में निम्नलिखित होंगे:—

(क) गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित सभापति,

(ख) ६ सदस्य जिनमें से:

(१) चीनी की फैक्टरियों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के रूप से दो-दो सदस्य गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित किये जायेंगे,

(२) जिला नियोजन अधिकारी(District Planning Officer) जो पदेन सदस्य होंगे,

(३) एक अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करें,

(ग) जिला गन्ना अधिकारी अथवा अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करे, जो सदस्य तथा सचिव (सेक्रेटरी) होगा ;

(४) परिषद् का कार्यकाल ३ वर्ष का होगा और कार्यकाल समाप्त होने पर परिषद् उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार पुनः संगठित की जायगी,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गन्ना कमिश्नर कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही परिषद् को तोड़ सकते हैं ।

(५) परिषद् को तोड़ देने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे:—

(क) सभापति तथा सचिव (सेक्रेटरी) से भिन्न सभी सदस्य आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक पर अपने-अपने पद खाली कर देंगे, किन्तु इससे उनकी सदस्य के रूप में नियुक्ति अथवा नामांकन के निमित्त पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ेगा,

(ख) गन्ना कमिश्नर उपधारा (३) के उपबन्धों के अनुसार परिषद् को पुनः संगठित करेंगे, और

(ग) पुनः संगठित होने तक परिषद् के कर्तव्यों, अधिकारों तथा कार्यों का पालन, प्रयोग तथा सम्पादन उन प्रतिबन्धों के अधीन तथा उस अवधि में, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, सभापति अथवा सचिव (सेक्रेटरी), जैसा कि गन्ना कमिश्नर आदेश दें, करेंगे ।

६—परिषद् का कार्य निम्नलिखित होगा:— परिषद् के कार्य

(१) प्रभाग (Zone) के लिये विकास कार्यक्रम पर विचार करना तथा उसे स्वीकार करना,

(२) विकास योजना की सभी आवश्यक अंगों, जैसे गन्ने के विभेद, गन्ने के बीज, बुआई का कार्यक्रम, उर्वरक और खाद के निष्पादन (execution) के उपाय और साधन का पता लगाना,

(३) प्रभाग (Zone) में सिंचाई तथा अन्य कृषि संबंधी सुविधाओं का विकास करना,

(४) बीमारियों और कीटाणुओं की रोकथाम तथा नियन्त्रण के लिये आवश्यक कार्यवाही करना एवं भूमि विस्तार कार्य (Soil extension work) के निमित्त सभी संभव सहायता देना,

(५) गन्ना कमिश्नर के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन विकास योजनाओं के निष्पादन के लिये अपने अधीनस्थ निधियों को लगाना; और

(६) प्रभाग (Zone) के सामान्य विकास से सम्बद्ध तथा उनके लिये लाभप्रद नियत कार्यों को करना।

आकस्मिकरूप से खाली स्थान (Casual Vacancies)

७--परिषद् का कोई भी आकस्मिक रूप से खाली स्थान (Casual Vacancy) जहां तक संभव हो धारा ५ की उपधारा (३) में बताई गई रीति के अनुसार भरा जायेगा।

परिषद्-निधि

८--(१) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के पालन तथा कार्यों के सम्पादन के संबंध में परिव्ययों के निमित्त परिषद् के पास एक निधि रहेगी।

(२) परिषद् की निधि में निम्नलिखित होंगे:--

(क) इंडियन सेन्ट्रल शुगरकेन कमेटी द्वारा दिया गया अनुदान, यदि कोई हो,

(ख) राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, यदि कोई हो,

(ग) उन दरों के अनुसार जो नियत किये जायं, चीनी की फैक्टरियों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा दिया गया अंशदान, और

(घ) अन्य कोई धनराशि जो राज्य सरकार इसे दिलाये।

चीनी कमिश्नर तथा गन्ना कमिश्नर।

९--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार

(क) चीनी कमिश्नर, तथा

(ख) गन्ना कमिश्नर

की नियुक्ति कर सकती है जो इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा लगाये गये कर्त्तव्यों का पालन तथा प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में कोई भी बात राज्य सरकार को एक ही व्यक्ति को चीनी कमिश्नर तथा गन्ना कमिश्नर के पद पर नियुक्त करने से न रोकेगी।

१०—(१) राज्य सरकार ऐसे सरकारी अधिकारियों को जिन्हें वह उपयुक्त समझे, अतिरिक्त गन्ना कमिश्नर (Additional Cane Commissioner) नियुक्त या पदयुक्त (appoint or designate) कर सकती है, अतिरिक्त गन्ना कमिश्नर (Additional Cane Commissioner)

(२) अतिरिक्त गन्ना कमिश्नर, गन्ना कमिश्नर के ऐसे अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा जिनके लिये राज्य सरकार आदेश दे।

११—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त राज्य सरकार किसी व्यक्ति को निरीक्षक के रूप में नियुक्त अथवा सरकार के ऐसे अधिकारियों को पदयुक्त, जैसा कि वह उचित समझे ऐसी स्थानिक सीमाओं के निमित्त जो उन्हें अभ्यर्पित (assigned) की जायं, कर सकती है। निरीक्षक

(२) इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा लगाये गये कर्त्तव्यों तथा प्राप्त अधिकारों का निरीक्षक पालन अथवा प्रयोग करेगा।

अध्याय ३

गन्ने की पूर्ति तथा खरीद

१२—(१) गन्ना कमिश्नर, धारा १४ के प्रयोजनों के लिये आज्ञा द्वारा फैक्टरी के अध्यासी (occupier) को यह आदेश दे सकता है कि वह आज्ञा में निर्दिष्ट रीति में तथा दिनांक तक गन्ने के उस अनुमानित परिणाम को उसे बतलावे जो फैक्टरी को पेराई के ऐसे मौसम के लिये अपेक्षित होगा जो आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय। आवश्यताओं का अनुमान

१३—(१) राज्य सरकार धारा १४ के प्रयोजनों के लिये आज्ञा द्वारा निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकती है:— पैमाइश इत्यादि का अधिकार।

(क) किसी फैक्टरी के निमित्त गन्ने की पूर्ति के हेतु सुरक्षित किये जाने वाले अथवा अभ्यर्पित किये जाने वाले क्षेत्र की पैमाइश और ऐसी पैमाइश के व्यय की फैक्टरी के अध्यासी से वसूली,

(ख) उक्त पैमाइश के प्रयोजनों के निमित्त किसी अधिकारी की नियुक्ति, उसके कर्त्तव्य तथा अधिकार,

(ग) प्रक्रिया जिसके अनुसार उक्त पैमाइश की जायगी, और

(घ) खंड (ख) के अनुसार नियुक्त अधिकारी को क्षेत्र में भूमि के स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा दी जाने वाली सहायता और सुविधायें,

(२) उपखंड (१) के अनुसार फैक्टरी के अध्यासी द्वारा देय धनराशि अध्यासी से मालगुजारी बकाया के रूप में वसूल की जायगी।

१४—धारा १५ की उपधारा (२) के खंड (क) के अधीन दी हुई आज्ञा पर बिना विपरीत प्रभाव डाले किसी विशेष पेराई के मौसम के भीतर धारा १५ के उपबन्धों के अनुसार फैक्टरी को गन्ने की पूर्ति के प्रयोजन से गन्ना कमिश्नर: सुरक्षित क्षेत्रों तथा अभ्यर्पित क्षेत्रों का प्रख्यापन।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(क) किसी भी क्षेत्र को (जिसे यहां पर आगे चल कर सुरक्षित क्षेत्र कहा गया है) सुरक्षित कर सकता है, तथा

(ख) किसी क्षेत्र को (जिसे यहां पर आगे चल कर अभ्यर्पित क्षेत्र कहा गया है) अभ्यर्पित कर सकता है,

तथा किसी भी समय इसी प्रकार ऐसी आज्ञा को निरस्त कर सकता है अथवा इस प्रकार सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र की चौहद्दी में परिवर्तन कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत गन्ना कमिश्नर द्वारा पारित आज्ञा की अपील राज्य सरकार के पास होगी।

सुरक्षित तथा अभ्यर्पित क्षेत्रों में गन्ने की पूर्ति तथा खरीद का विनियमन

१५--(१) राज्य सरकार पूर्ति को बनाये रखने के लिये आज्ञा द्वारा:

(क) किसी सुरक्षित या अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ने के वितरण बिक्री अथवा खरीद का, तथा

(ख) सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र से भिन्न अन्य किसी क्षेत्र में गन्ने की खरीद का,

विनियमन कर सकती है।

(२) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुये ऐसी आज्ञा में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:--

(क) गन्ने का परिमाण जिसे प्रत्येक गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति ऐसे क्षेत्र में फैक्टरी को देंगे जो उक्त फैक्टरी के लिये सुरक्षित या अभ्यर्पित किया गया हो,

(ख) वह रीति जिसके अनुसार सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र में उत्पन्न गन्ना उस फैक्टरी द्वारा, जिसके लिये उक्त क्षेत्र सुरक्षित हो अथवा अभ्यर्पित हो, खरीदा जायगा तथा वह परिस्थिति जिसमें गन्ना उत्पादकों को सहकारी समिति से भिन्न किसी अन्य के द्वारा गन्ना उत्पादक का गन्ना नहीं खरीदा जायगा,

(ग) उस फैक्टरी के अध्यासी अथवा प्रबंधक द्वारा जिसके निमित्त बिक्री के लिये प्रस्तुत गन्ना खरीदने के वास्ते कोई क्षेत्र सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित किया गया हो, निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के आकार, नियम तथा शर्तें,

(घ) परिस्थितियां जिनमें निम्नलिखित के लिये अनुज्ञा दी जा सकती है:--

(१) खरीदारी एजेंट अथवा उस फैक्टरी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसके निमित्त क्षेत्र सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित किया गया हो, सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ने की खरीद,

(२) उस फैक्टरी से भिन्न जिसके लिये क्षेत्र सुरक्षित हो अथवा अभ्यर्पित हो, किसी अन्य व्यक्ति अथवा फैक्टरी के हाथ किसी सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने की बिक्री।

गन्ने के मूल्य की अदायगी।

१६--(१) फैक्टरी का अध्यासी कलेक्टर के संतोषानुसार गन्ने के मूल्य के भुगतान की उपयुक्त व्यवस्था करेगा।

(२) अध्यासी फैक्टरी को दिये गये गन्ने के संबंध में गन्ना पाने पर सभी धनराशियों की अदायगी का उत्तरदायी होगा और यदि किसी खरीदारी एजेंट द्वारा गन्ना दिया गया हो, तो अध्यासी के अतिरिक्त खरीदारी एजेंट भी उसी प्रकार उत्तरदायी होगा।

(३) जब उपधारा (२) के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति गन्ना पाने के दिनांक से १५ दिन से अधिक अवधि तक मूल्य की अदायगी न करे तो वह बाक़ी के दिनांक से ७ १/२ प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज भी देगा, किन्तु प्रत्येक मामले में गन्ना कमिश्नर राज्य सरकार की स्वीकृति से यह आदेश देगा कि कोई भी ब्याज न दिया जायगा अथवा उस कम की हुई दर से दिया जायगा जिसे वह निश्चित करे।

(४) गन्ना कमिश्नर कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर से एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है जिसमें अध्यासी द्वारा देय गन्ने की मूल्य की बकाया धनराशि, ब्याज के सहित यदि कोई देय हो, निर्दिष्ट होगी और ऐसे प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर कलेक्टर उक्त अध्यासी से प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि की वसूली की कार्यवाही उसी प्रकार करेगा मानों कि यह धनराशि मालगुजारी की बक़ाया हो।

फैक्टरियों में प्रयोगार्थ गन्ने के विभेदों को अनुपयुक्त प्रख्यापित करने का अधिकार

१७—(१) राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि:—

(क) विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने का कोई विभेद उक्त क्षेत्र में स्थित किसी फैक्टरी या सभी फैक्टरियों के लिये अनुपयुक्त है,

(ख) ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में उत्पन्न किसी भी विभेद का पेड़ी वाला गन्ना (रैटून केन) उक्त क्षेत्र में स्थित सभी अथवा किसी फैक्टरियों में प्रयोग के लिये अनुपयुक्त है, और

(ग) ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट क्षेत्र के किसानों में वितरण के लिये किसी विभेद के गन्ने का बीज अनुपयुक्त है,

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन किसी विभेद के गन्ने का बीज जब उस क्षेत्र के किसानों में वितरण के लिये अनुपयुक्त प्रख्यापित कर दिया जाय तो फैक्टरी का अध्यासी, उसकी ओर से काम करने वाला कोई व्यक्ति अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति इस विभेद अथवा ऐसे विभेदों के बीच को किसी भी व्यक्ति को, गन्ना उत्पादकों अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा किसी भी क्षेत्र में प्रयोग करने के लिये, वितरित न करेगी।

गन्ना उत्पादक अथवा उत्पादकों की सहकारी समितियां

(३) जब किसी भी विभेद का गन्ना अथवा पेड़ी का गन्ना फैक्टरी में प्रयोग के लिये उपधारा (१) के अधीन अनुपयुक्त प्रख्यापित कर दिया गया हो तो ऐसे फैक्टरी का अध्यासी या उसकी ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति या गन्ना उत्पादक अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति इस विभेद का गन्ना न तो बोयेगी और न ऐसे विभेद के गन्ने की पेड़ी रक्खेगी।

अध्याय ४

विधि

गन्ने की विक्री पर कर।

१८—(१) राज्यपाल, विज्ञप्ति द्वारा गन्ने की विक्री पर कर लगा सकते हैं जिसकी दर १२ पाई प्रतिमन से अधिक न होगी और विज्ञप्ति में निर्दिष्ट

किये जाने वाली बिक्री के किसी वर्ग अथवा वर्गों को, विज्ञप्ति द्वारा, किसी भी क्षेत्र में ऐसे कर से मुक्त कर सकते हैं।

(२) राज्यपाल, विज्ञप्ति द्वारा, ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर उपभोग, प्रयोग अथवा बिक्री के लिये प्रवेश पाने वाले गन्ने पर अबवाब लगा सकते हैं, जो चार आने प्रतिमन से अधिक न होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अबवाब किसी भी क्षेत्र में ऐसे गन्ने के प्रवेश पर नहीं लगाया जायगा जिसकी बिक्री के संबंध में उपधारा (१) के अधीन लगाया गया कर देय हो,

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, किसी फैक्टरी में ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिये प्रयुक्त अथवा प्रयोग किये जाने वाले गन्ने के संबंध में पूर्णतः अथवा अंशतः अबवाब में छूट दे सकती है।

(३) राज्य सरकार नियम बना सकती है जिसमें वह प्राधिकारी जिसे कर अथवा अबवाब निर्धारण करने तथा वसूल करने का अधिकार हो तथा वह व्यक्ति जिससे और वह रीति जिसमें कर अथवा अबवाब वसूल किये जायेंगे, निर्दिष्ट होंगे।

(४) यदि इस धारा के अधीन कर अथवा अबवाब लगाने से पहले ही गन्ने की बिक्री के संबंध में अनुबन्ध हो गया हो तो बेचने वाले को अधिकार होगा कि वह खरीदार से संविद मूल्य (Contracted price) के अतिरिक्त उसके अंश के रूप में ऐसे कर और अबवाब की धनराशि भी वसूल करे जिसके लिये बेचने वाला उत्तरदायी है।

(५) जब कोई व्यक्ति कर अथवा अबवाब को बाक़ी रखे तो कर अथवा अबवाब वसूल करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी आदेश दे सकता है कि बकाया धनराशि के अतिरिक्त ऐसी धनराशि जो उक्त बकाया के १० प्रतिशत से अधिक न हो, शास्ति (penalty) के रूप में उस व्यक्ति से वसूल की जाय जिस के द्वारा कर अथवा अबवाब देय हो।

(६) कर अथवा अबवाब वसूल करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी अपने द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र कलेक्टर के पास भेज सकता है जिसमें सम्बद्ध व्यक्ति से बकाया के रूप में देय धनराशि निर्दिष्ट होगी और कलेक्टर उस व्यक्ति से प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा मानों कि यह धनराशि मालगुजारी की बकाया हो।

(७) उपधारा (५) के अधीन शास्ति (penalty) के रूप में लगाई गई कोई भी धनराशि उस रीति से वसूल की जा सकेगी जिसमें उपधारा (६) में कर अथवा अबवाब की बकाया वसूल करने की व्यवस्था की गयी है।

इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अध्यासी का अवधारण।

१९—(१) जब किसी फैक्टरी का अध्यासी कोई भी फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य समवाय (एसोसियेशन) हो तो उसके साझेदारों अथवा सदस्यों में से किसी भी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन उन अपराधों में से किसी के लिये भी, जिसके लिये फैक्टरी का अध्यासी दंडनीय हो, अभियोग चलाया जा सकता है तथा उसे दंड दिया जा सकता है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि फर्म अथवा समवाय (एसोसिएशन) कलेक्टर को इस बात की नोटिस दे सकती है कि उसने अपने किसी एक सदस्य को इस

अधिनियम के प्रयोजनों के लिये फैक्टरी का अध्यासी नामांकित किया है और ऐसा व्यक्ति तब तक इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अध्यासी समझा जायगा जब तक कि उसके नामांकन के निरसन की नोटिस कलेक्टर को प्राप्त न हो जाय अथवा जब तक फर्म अथवा समवाय में उसकी साझेदारी अथवा सदस्यता समाप्त न हो जाय।

(२) जब फैक्टरी का अध्यासी कोई कम्पनी हो तो उसके किसी संचालक (डायरेक्टर) पर, अथवा निजी कम्पनी हो तो उसके किसी हिस्सेदार पर किसी भी अपराध के लिये, जिसके लिये फैक्टरी का अध्यासी दंडनीय हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अभियोग चलाया जा सकता है और उसे दंड दिया जा सकता है,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कम्पनी कलेक्टर को इस बात की नोटिस दे सकती है कि उसने अपने किसी संचालक को अथवा निजी कम्पनी की दशा में किसी हिस्सेदार को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अध्यासी नामांकित किया है और ऐसा संचालक अथवा हिस्सेदार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अध्यासी समझा जायगा जब तक उसके नामांकन के निरसन की नोटिस कलेक्टर को प्राप्त न हो जाय अथवा जब तक उसकी संचालकता अथवा हिस्सेदारी समाप्त न हो जाय।

शास्ति (penalty)

२०—(१) यदि किसी फैक्टरी का अध्यासी अथवा प्रबंधक या खरीदारी एजेंट इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बने या दिये गये नियम अथवा आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो वह कारावास का दंड जो ६ महीने तक हो सकता है अथवा अर्थ दंड का, जो ५,००० रु० से अधिक न होगा अथवा दोनों का भागी होगा, और यदि ऐसा उल्लंघन करता रहे तो प्रत्येक उस दिन के लिये जब जब उल्लंघन करे वह ऐसे अधिक अर्थदंड का भागी होगा जो १,००० रुपये से अधिक न होगा।

(२) यदि कोई भी अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बने या दिये गये नियम या आज्ञा के उपबंध का उल्लंघन करता है तो उसे वह अर्थ-दंड दिया जायगा जो ५,००० रुपये से अधिक न होगा।

कार्यवाहियों का निवेशन (institution

२१—(१) इस अधिनियम के अधीन गन्ना कमिश्नर अथवा जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उनके अधिकार के अधीन परिवाद (complaint) किये बिना कोई अभियोग निवेशित (instituted) नहीं किया जायगा।

(२) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर गन्ना कमिश्नर अथवा गन्ना कमिश्नर की पूर्व सहमति से जिला मैजिस्ट्रेट ऐसा प्रशमन शुल्क (composition fee) लेकर जो उस पर ऐसे अपराध के लिये लगाये जा सकने वाले अर्थ-दंड से अधिक न होगा, किसी भी स्तर पर उक्त अपराध का प्रशमन (compound) कर सकता है।

(३) कोई भी न्यायालय जो द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न हो, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने या दिये गये किसी नियम अथवा आज्ञा के विरुद्ध किसी अपराध का विचार न कर सकेगा।

इस अधिनियम के अधीन किए गये कार्यों का संरक्षण।

२२--(१) कोई भी वाद, अभियोग अथवा अन्य विधिक कार्यवाही (suit, prosecution or other legal proceeding) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी आज्ञा अथवा बनाए गए किसी नियम के अनुसार सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने वाले किसी कार्य के लिये न लाई जा सकेगी।

(२) ऐसे कार्य के कारण, जो इस अधिनियम के अधीन दी गई आज्ञा या बनाये गये नियम के अनुसार सद्भावना से किया गया हो या जिसका करने का विचार हो, हुई क्षति या होने वाली क्षति के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं लाई जा सकेगी।

निवर्तन तथा अपवाद।

२३--दि यू० पी० शुगर फैक्टरीज कन्ट्रोल ऐक्ट, १९३८ जिसे यहां पर आगे चलकर इस धारा में तथा धारा २६ में "उक्त ऐक्ट" के नाम से अभिदिष्ट किया गया है, एतद्द्वारा निर्वर्तित (repeal) किया जाता है।

किन्तु प्रथमतः प्रतिबन्ध यह है कि यू० पी० जनरल क्लाजेज, ऐक्ट १९०४ की धारा ६ तथा २४ की सामान्य प्रयुक्ति (general application) को बिना बाधित किये, निर्वर्तित विधायनों तथा पुनर्विहित विधायनों (enactments, repealed and re-enacted) के अधीन नियुक्तियों, विज्ञप्तियों, आज्ञाओं इत्यादि (appointments, notification order etc.) के निवर्तन और जारी रखने के संबंध में यह निवर्तन निम्नलिखित पर विपरीत प्रभाव न डालेगा और न अन्य प्रकार से उन्हें प्रभावित करेगा :--

(क) उक्त ऐक्ट द्वारा प्राप्त अधिकारों के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी तालीज को गई नोटिस, दी गई आज्ञा अथवा दिये गये परमिट (अनुज्ञापत्र), लाइसेंस अथवा सैंक्शन (स्वीकृत) के व्यापार (operation);

(ख) उक्त ऐक्ट के अधीन उसके निवर्तन के पूर्व निर्धारित या लगाये गये किसी अबवाब, कर या अन्य शास्ति (penalty) को, अथवा उसके निवर्तन से पूर्व की अवधि के संबंध में किसी अबवाब, कर, शुल्क या शास्ति को निर्धारित या लगाने के अधिकार को, या उसके अधीन की गई किसी बात या किसी ऐसी बात को जिसके करने की अनुज्ञा हो, अविकल वैधता (Continued validity) और उक्त अबवाब, कर, शुल्क या शास्ति निर्धारित या लगाई जा सकती है और उक्त कोई बात की जा सकती है मानों कि उक्त ऐक्ट निर्वर्तित नहीं किया गया है ;

(ग) उक्त ऐक्ट के अधीन संगठित बोर्ड या केन डेवलपमेंट काउंसिल को जारी रखना और जब तक कि इस अधिनियम के अधीन या इसके अनुसार इस प्रकार का बोर्ड या केन डेवलपमेंट काउंसिल (गन्ना विकास परिषद्) संगठित न हो जाय उक्त बोर्ड या केन डेवलपमेंट काउंसिल इस अधिनियम के अधीन उक्त बोर्ड या परिषद् द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले अधिकार, पालन किये जाने वाले कर्त्तव्य और किये जाने वाले कार्यों का पालन, प्रयोग तथा संपादन करेंगे ; और

(घ) उक्त ऐक्ट के अधीन अथवा द्वारा प्राप्त किसी अधिरक्षा (immunity) , मुक्ति (exemption)अथवा रक्षा (protection) का जारी रहना।

द्वितीयतः प्रतिबन्ध यह है कि उक्त ऐक्ट के अधीन सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित रूप से प्रख्यापित कोई क्षेत्र, इस अधिनियम के अधीन जब तक कोई विपरीत आदेश न दिया जाय अथवा कोई ऐसी बात न की जाय या ऐसा कार्य न किया जाय, जिससे वह अधिक्रांत (superseded) हो जाय, उसी प्रकार जारी रहेगा मानों इस अधिनियम के अधीन प्रख्यापित किया गया हो।

संक्रमण सम्बन्धी उपबन्ध (Transitional provision)

२४--उक्त ऐक्ट से इस अधिनियम में संक्रमण संबंधी उपबंधों के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके,

(क) आदेश दे सकती है कि यह अधिनियम उस अवधि के भीतर जो कि आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय उन अनुकूलनों के अधीन प्रभावशाली होगा जो परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा परित्याग (modification, additoins or omissions) के रूप में आवश्यक अथवा उपयुक्त समझे जायं, तथा

(ख) ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिये अन्य ऐसी अस्थायी व्यवस्था कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के आरम्भ के बारह मास के बाद कोई ऐसी आज्ञा नहीं दी जायगी।

नियम बनाने का अधिकार

२५--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को न बाधित करते हुये ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकती है--

(क) बोर्ड तथा परिषद् की संस्थापना तथा संगठन;

(ख) बोर्ड तथा परिषदों का विघटन, तथा पुनःसंगठन तथा अन्य आनुषंगिक विषय;

(ग) बोर्ड तथा परिषद् कार्य के परिचालन की व्यवस्था;

(घ) रीति तथा रूप जिस प्रकार धारा ८ के अधीन परिषद् के अधीनस्थ निधि रखी जायगी तथा ऐसी निधि का प्रयोग तथा उससे अदायगी;

(ङ) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये बोर्ड तथा परिषदों को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले आदेश,

(च) चीनी कमिश्नर तथा गन्ना कमिश्नर के कर्त्तव्य, अधिकार तथा कार्य;

(छ) धारा ११ के अधीन नियुक्त किये जाने वाले निरीक्षकों की नियुक्ति और उनकी सेवाओं की अन्य शर्तों से सम्बद्ध विषय तथा उनके कर्तव्य, अधिकार और कार्य ;

(ज) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन उन मामलों में प्रार्थना-पत्र तथा अपीलें प्रस्तुत की जायें, जिनके विषय में यहां पर विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गयी हो;

(झ) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना–पत्रों तथा अपीलों के संबंध में दिया जाने वाला शुल्क;

(ञ) खरीदारी तथा उनके द्वारा अथवा चीनी की फैक्टरियों द्वारा गन्ने की खरीदारी के लिये नौकर रखे जाने वाले दूसरे व्यक्तियों की नियुक्ति तथा उनको लाइसेंस देना तथा उनके कार्य और कर्त्तव्य और उनके द्वारा जमा की जाने वाली जमानतें तथा वे दशायें जिनमें ऐसी जमानतें जब्त की जा सकें;

(ट) इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा अथवा उनके अधीन किये जाने वाले अनुबन्ध का आकार–पत्र तथा अनुबन्ध की शर्तें तोड़ने पर शास्ति (Penalty);

(ठ) गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियां, गन्ना विकास परिषदों तथा यू० पी० केन यूनियन फेडरेशन के संगठन, संचालन, प्रबन्ध, पर्यवेक्षण तथा लेखा परीक्षा (आडिट), तथा ऐसी संस्थायें तथा उनके संघों की इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मान्यता की शर्तें, नियम तथा उनके कर्मचारियों एवं वित्तीय व्यवस्था (finances) का नियंत्रण;

(ड) गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा गन्ना दिये जाने पर वह दर और रीति जिस पर और जिसके अनुसार उक्त समिति को कमीशन दिया जायगा;

(ढ) गन्ने की ठीक तौलाई तथा तॉलाई के लिये सुविधाओं तथा तौलाई की जांच और तौलाई के संबंध के समय में व्यवस्था ;

(ण) फैक्टरियों को आने वाले मार्गों तथा गन्ना लाने वाली गाड़ियों के रुकने के स्थान के लिये तथा गाड़ीवानों और बैलों के लिये छाया, स्थान तथा बैलों के लिये नांदों और सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था,

(त) उन झगड़ों के संबंध में:

(क) जो गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के कार्य के विषय में , सदस्यों, अथवा सदस्यों और समिति, अथवा दो निबन्धित (रजिस्टर्ड) संस्थाओं अथवा संस्था और फैक्टरी अथवा गन्ना उत्पादकों और फैक्टरी के बीच में हों,

(ख) जो संस्था या फैक्टरी द्वारा परिषद् के प्रति अंशदान की अदायगी के संबंध में गन्ना विकास परिषद् और गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियां अथवा परिषद् और फैक्टरी अथवा परिषद् तथा गन्ना उत्पादक के बीच हों,

तथा अन्य किसी झगड़े के विषय में जो परिषद् के कार्य से संबद्ध हों, गन्ना कमिश्नर के निर्णय के लिये या यदि वह आदेश दें तो मध्यस्थ निर्णय (आर्बिट्रेशन) के लिये गन्ना कमिश्नर को

भेजा गया अभिदेश, मध्यस्थों की नियुक्ति का प्रकार, गन्ना कमिश्नर अथवा मध्यस्थ के यहां अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया एवं गन्ना कमिश्नर अथवा मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय को कार्यान्वित करना;

(थ) विवरणों, नक्शों और रजिस्टरों तथा अन्य आकार-पत्रों का आकार-प्रकार जिनका इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन रखना अपेक्षित हो तथा ऐसे नक्शों, विवरणों और आकार-पत्रों की खानापुरी करना;

(द) इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन विभिन्न प्रयोजनों के लिये प्रार्थना-पत्र का आकार तथा रीति जिसके अनुसार वे दिये जायेंगे;

(ध) इस अधिनियम के अधीन अधिकार-क्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया।

उद्देश्य तथा कारण

८ मई, १९५२ से इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट ऐंड रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५१ [Industries Development and Regulation) Act, 1951)] के प्रचारित होने से, चीनी उद्योग विनियमन एक मात्र केन्द्रीय विषय हो गया है। राज्य सरकार का कार्य अब केवल यह रह गया है कि चीनी की फैक्टरियों को गन्ने की पूर्ति (supply) का प्रबंध करे।

फैक्टरियों में गन्ने के समुचित वितरण, व्यवस्थित वैज्ञानिक रीति से गन्ने का विकास, उद्योग तथा गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से तथा इस नये अधिनियम को स्थायी रूप देने के विचार से, यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

हुकुम सिंह,
उद्योग मंत्री।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे २७ पृष्ठ पर)

१९३४ का यू० पी० ऐक्ट संख्या ३।

उत्तर प्रदेश ओपियम स्मोकिंग (संशोधन) विधेयक, १९५३

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट, १९३४ में संशोधन करने का

१९३४ का यू० पी० ऐक्ट संख्या ३।

विधेयक

यहां पर आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट, १९३४ में संशोधन करना आवश्यक है :

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ओपियम स्मोकिंग (संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त लागू होगा।

१९३४ का यू० पी० ऐक्ट संख्या ३ में नई धारा १९ (ए) का रखा जाना (Power to search)

२—यू० पी० ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट, १९३४ में (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा १९ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 19-A के रूप में रख दिया जाय :—

"19-A—Whenever the Collector or any officer of the Excise Department authorised in that behalf by the State Government, or a police officer not below the rank of an officer incharge of a police station has reasonable grounds for believing that an offence punishable under this Act has been or is being committed in any place and anything necessary for purposes of investigation into the offence may be found in any place within the limits of his territorial jurisdiction and that such a thing cannot, in his opinion, be otherwise obtained without undue delay, he may after recording in writing the grounds of his belief search or cause a search to be made of any such place."

१९३४ का यू० पी० ऐक्ट संख्या ३ की धारा २० का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"20—(1) The provisions of the Code of Criminal Procedure 1898, including provisions as to the searches contained in sections 102 and 103 there of, shall as far as may be applicable, apply to the execution of warrants for arrest and to a search made under this Act.

(2) Where a search is made under section 19-A, copies of any record made under that section shall forthwith be sent to the nearest Magistrate empowered to take cognizance of the offence and the owner or occupier of the place of search shall on application be furnished with a copy of the same by the Magistrate;

Provided that he shall pay for the same unless the Magistrate for some special reason thinks fit to furnish it free of cost."

उद्देश्य और कारण

भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि अफीम का मौखिक उपभोग मार्च, १९५९ से रोक दिया जाय। तदनुसार १९४९ से इस राज्य को दी जाने वाली अफीम की मात्रा का नवमांश प्रतिवर्ष कम किया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि ओपियम ऐक्ट और ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट के अन्तर्गत अपराधों की संख्या बढ़ गई है। यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १९१० की धारा ५३ तथा ओपियम ऐक्ट, १८७८ की धारा १४ में कुछ अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे ऐसा करने के कारण अभिलिखित करने के पश्चात् किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं, किन्तु ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट, १९३४ में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अपराधों का सफलतापूर्वक पता चलाने के लिये यू० पी० ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट में ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक प्रतीत होता है अतएव इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि कलेक्टर, एक्साइज विभाग का कोई अधिकारी तथा पुलिस का कोई अधिकारी जिसका पद थाना इंचार्ज से निम्न न हो, यू० पी० ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट के अन्तर्गत बिना वारेंट के भी किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है।

सैयद अली जहीर,
आबकारी मंत्री।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट 'च'

(देखिये पीछे २७ पृष्ठ पर)

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ़ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) विधेयक, १९५३

यूनाइटेड प्राविंसेज कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ के उपबन्धों को अधिक अवधि के लिये पुनर्विहित (re-enact) करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ के उपबन्धों को अधिक अवधि के लिये पुनर्विहित (re-enact) किया जाय:

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ का पुनर्विहित किया जाना।

२—यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट १९४७ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध जो इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित हैं एतद्द्वारा पुनर्विहित (re-enact) किये जाते हैं और वे २५ जनवरी, १९५५ तक प्रचलित रहेंगे और उक्त ऐक्ट (अधिनियम) की समाप्ति पर यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो वह उस समय किसी उत्तर प्रदेश के अधिनियम (U. P. Act) से निरस्त (repeal) किया गया था।

आज्ञाओं (आर्डर्स) इत्यादि का जारी रहना।

३—(१) मूल अधिनियम के अधीन किसी अधिकार के अभिप्रत प्रयोग (purported exercise) के अन्तर्गत दी गयी अथवा दी गयी समझी गयी कोई आज्ञा (order) जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित हो प्रचलित रहेगी और इस अधिनियम के अन्तर्गत दी गयी आज्ञा (order) समझी जायगी और ऐसी किसी आज्ञा (order) के अधीन की गई सभी नियुक्तियां दिये गये लाइसेंस और परमिट तथा प्रचारित आदेश जो उक्त आरम्भ के तत्काल पूर्व प्रचलित हों, उसी प्रकार प्रचलित रहेंगे और इस अधिनियम के अनुसार की गयी, दिये गये अथवा प्रचारित समझे जायेंगे।

(२) संदेहों को दूर करने के लिये एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि उपधारा (१) के प्रयोजनों के निमित्त, पूर्वोक्त प्रकार से दी गयी प्रत्येक आज्ञा (order) अथवा की गई प्रत्येक नियुक्ति, दिया गया लाइसेंस अथवा परमिट और प्रचालित आदेश जो यदि उक्त आरम्भ से पूर्व उक्त ऐक्ट समाप्त न हुआ होता प्रचलित होते, ऐसे आज्ञा नियुक्ति, लाइसेंस परमिट और आदेश समझे जायंगे जो उक्त आरम्भ से तत्काल पहले प्रचलित थे और सदा प्रचलित रहे हैं।

अनुसूची (धारा २)

THE UNITED PROVINCES CONTROL OF SUPPLIES (TEMPORARY POWERS) ACT, 1947

(UNITED PROVINCES ACT NO. II OF 1947)

AN
ACT

to provide the continuance during limited period to control certain essential commodities,

WHEREAS it is expedient to provide for the continuance during a limited period of powers to control certain essential commodities;

It is hereby enacted as follows:

Short title extent commencement and duration.

1. (1) This Act may be called the United Provinces Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1947.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

2. *Definitions.*—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(*a*) "essential commodity" means any of the commodities mentioned in the Schedule* and such other commodity as the State Government may, by notified order, specify;

(*b*) "notified order" means an order notified in the official Gazette;

(*c*) "State Government" means Uttar Pradesh Government.

3. *Powers to control essential commodities.*—The State Government, so far as it appears to it to be necessary or expedient to control any essential commodity, may, by notified order provide—

(*a*) for regulating by licences, permits or otherwise the storage, transport, distribution, disposal, production, acquisition, use consumption or manufacture of any essential commodity

---

*NOTE.—The following commodities have been specified to be essential commodities *vide* notified orders mentioned against each—

(1) Sugarcane crushers operated by Power and centrifugal machines (used in the manufacture of Khandsari or crystal sugar in an open factory) whether or not operated by power,	Notification no. 2578-S/XVIII (C) 112-50, dated September, 28 1950.
(2) Iron and Steel Products.	Notification no. 1070/XXIX-B—(D-5), dated March 30, 1950.

(*b*) for controlling the prices at which any essential commodity may be bought or sold;

(*c*) for prohibiting the withholding from sale of any essential commodity ordinarily kept for sale;

(*d*) for requiring any person holding stock of an essential commodity to sell the whole or a specified part of the stock at such prices and to such persons or class of persons, or in such circumstances, as may be specified in the order ;

(*e*) for regulating or prohibiting any class of commercial or financial transactions relating to any essential commodity which in the opinion of the authority making the order are, or if unregulated are likely to be, detrimental to public interest;

(*f*) for collecting any information or statistics with a view to regulating or prohibiting any of the aforesaid matter;

(*g*) for requiring persons engaged in the production, supply or distribution of, or trade or commerce in, any essential commodity to maintain and produce for inspection such books, accounts and records relating to their business, and to furnish such information relating thereto, as may be specified in the order;

(*h*) for any incidental and supplementary matter, including in particular the entering and search of premises, vehicles, vessels and aircraft, the seizure by a person authorised to make such search of any article in respect of which such person has reason to believe that a contravention of the order has been, is or is about to be committed, the grant or issue of licences, permits or other documents, and the charging of fees therefor.

4. *Delegation of powers.*—The State Government may, by notified order, direct that the power to make orders under section 3 shall, in relation to such matter and subject to such conditions, if any as may be specified in the direction, be exercisable also by such officer or authority subordinate to the State Government as may be specified in the direction.

5. *Effect of orders inconsistent with other enactments.*—Any order made or deemed to be made under section 3 shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act or any instrument having effect by virtue of any enactment other than this Act.

6. *Penalties.*—If any person contravenes any order made or deemed to be made under section 3, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both, and if the order so provides, any Court trying such contravention may direct that any property in respect of which the Court is satisfied that the Order has been contravened shall be forfeited to Government.

7. *Special provisions regarding fines.*—It shall be lawful for any Magistrate of the first class specially empowered by the State Government in this behalf, to pass sentence of fine exceeding one thousand rupees on any person convicted of any offence punishable under this Act.

8. *Attempts etc. to contravene orders.*—Any person who attempts to contravene, or abets a contravention of, any order made or deemed to be made under section 3 shall be deemed to have contravened that order.

9. *Offences by corporations.*—If the person contravening the order made or deemed to be made under section 3 is a company or other body corporate, every Director, Manager, Secretary or other officer or Agent of such company or body corporate or of the Managing Agent thereof shall, unless he proves that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention, be deemed to be guilty of such contravention.

10. *False statements.*—If any person—

(i) when required by any order made or deemed to be made under section 3 to make any statement or furnish any information, makes any statement or furnishes any information, which is false in any material particular and which he knows or has reasonable cause to believe to be false, or does not believe to be true, or

(ii) makes any such statement as aforesaid in any book, account, record, declaration, return or other document which he is required by any such order to maintain or furnish he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.

11. *Burden of proof in certain cases.*—Where any person is prosecuted for contravening any order made or deemed to be made under section 3, which prohibits him from doing an act or being in possession of a thing without lawful authority, or without permit or licence, the burden of proving that he has such authority, permit or licence be on him

12. *Cognizance of offences.*—No Court shall take cognizance of any offence punishable under this Act, except on a report in writing of the facts constituting such offence made by a person who is a public servant as defined in section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860).

13. *Power to try offences summarily.*—Any magistrate or bench of magistrates empowered for the time being, to try in a summary way the offence specified in sub-section (1) of section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), may, on application in this behalf being made by the prosecution, try in accordance with the provisions contained in sections 262 to 265 of the said Code any offence punishable under this Act.

14. *Savings as to orders.*—(1) No order made or deemed to be made in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any Court.

(2) Where an order purports to have been made and signed by an authority in exercise of any power conferred by or under this Act a Court shall, within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (Act I of 1872 presume that such order was so made by that authority.

15. *Protection of action taken under the Act.*—(1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made or deemed to be made under section 3.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made or deemed to be made under section 3.

16. *Repeal and saving.*—(1) The United Provinces Control of Supplies (Temporary Powers) Ordinance, 1946 (U. P. Ordinance II of 1946) is hereby repealed.

(2) Any order made or deemed to be made under the said Ordinance and in force immediately before the commencement of this Act shall continue in force and be deemed to be an order made under this Act; and all appointments made, licences or permits granted and directions issued under any such order and in force immediately before such commencement shall likewise continue in force and be deemed to be made, granted or issued in pursuance of this Act.

(3) For the removal of doubts, it is hereby declared—

(*a*) that for the purposes of the said Ordinance and this Act an order of the nature referred to in section 5 of the said Ordinance made before the commencement of the said Ordinance and not previously rescinded shall be deemed to be, and always to have been, an order in force immediately before such commencement, notwithstanding that such order, or parts of it, may not then have been in operation either at all or in particular areas;

(*b*) that for the purpose of this Act an order made or deemed to be made under the said Ordinance and not rescinded prior to the commencement of this Act shall be deemed to be an order in force immediately before the commencement of this Act, notwithstanding that such order, or parts of it, may not then be in operation either at all or in particular areas.

17. *Rule making power.*—The state Government may, after previous publication by notification in the official Gazette, make rules to give effect to the purposes of this Act.

SCHEDULE

[*See section* 2 (*a*)]

(1) Cement .. ..

(2)

(3) Non-ferrous metals.

(4) Brass and copper untensils.

(5) Aluminium untensils.

(6)

(7)

(8) Matches.

(9)

(10) Bricks

(11) Forest produce, including fire-wood, timber, charcoal, bamboo, baib grass and rosin,

(12)

(13) *Kolhus* and "boiling pans" used in the manufacture of *gur* and *rab*.

(14) Cattle.

(15) Non-edible oilseeds and oils.

(16)

(17)

उद्देश्य और कारण

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ जिसे यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाइज (कन्टीनुएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा जारी रखा गया था, अब ३० सितम्बर, १९५३ को समाप्त हो जायगा। ऐक्ट के अधीन विनियमित कुछ वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति तथा मूल्यों के कारण नियंत्रण बनाये रखना आवश्यक है और यह भी आवश्यक है कि ऐक्ट के उपबन्ध २५ जनवरी, १९५५ तक अर्थात् उस दिनांक तक, जब तक के लिये भारत सरकार के एसेंशियल सप्लाईज ऐक्ट, १९४६ की अवधि बढ़ा दी गयी है, प्रचलित रक्खे जायं।

इसलिये उक्त दिनांक तक के लिये ऐक्ट के उपबन्धों को पुनर्विहित करने के हेतु यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
खाद्य तथा रसद मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे २७ पृष्ठ पर)

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९५३

कुछ मामलों के निर्णयों में बोर्ड आफ रेवेन्यू के अधिकार प्रख्यापित करने का तथा कुछ निर्णयों के वैधीकरण की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि कुछ मामलों के निर्णयों में बोर्ड आफ रेवेन्यू के अधिकार प्रख्यापित किये जायं और कुछ निर्णयों की, जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, वैधीकरण की व्यवस्था की जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में शब्द "सुनवाई" और इसके व्याकरण संबंधी परिवर्तन में, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के आर्डर ४१, रूल ११ के अधीन सुनवाई (hearing) अथवा यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा २१६ की उपधारा (१), अथवा यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा २६८, अथवा किसी अपील अभिदेश (reference) या पुनरीक्षण (revision) को गृहीत (admit) करने या सरसरी तौर पर खारिज करने (summary rejection) से सम्बद्ध किसी अन्य विधि में सदृश उपबन्धों के अधीन कोई कार्यवाही (proceeding) सम्मिलित नहीं है।

अपीलों, अभिदेशों तथा पुनरीक्षणों (apeals references and revision) की सुनवाई की प्रक्रिया।

३—यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ८ तथा यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ अथवा बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा अपील, अभिदेश (reference) अथवा पुनरीक्षण (revision) की सुनवाई से संबद्ध किसी दूसरे विधि अथवा नियम की किसी बात का अर्थ इस प्रकार न लगाया जायगा जिससे यह आवश्यक हो कि बोर्ड के वे सभी सदस्य (members) जो किसी अपील, अभिदेश अथवा पुनरीक्षण के निर्णय में भाग लें या उससे सहमति (concur) या तजवीज (Judgement) दें, वास्तव में एक साथ बैठकर अथवा अलग बैठकर पक्षों को अथवा उनके वकीलों को सुने और उस दशा को छोड़कर जिसमें इसके विपरीत स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई हो यह सदा ही विधि का पर्याप्त पालन समझा जायगा, यदि कम से कम एक ही ऐसे सदस्य ने इस प्रकार उनकी सुनवाई कर ली हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पूर्वोक्त प्रत्येक सदस्य तजवीज देने के अथवा उससे सहमति देने के पूर्व, यदि अपील, अभिदेश (reference) अथवा पुनरीक्षण (revision) में अंतर्ग्रस्त (involved) किसी बात (point) के विषय में अपने को संतुष्ट करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे कि वह पक्षों या उनके वकीलों की ओर सुनवाई करे तो वह केवल उस बात के संबंध में अथवा ऐसी अपील, अभिदेश

(reference) पुनरीक्षण (revision) में अन्तर्ग्रस्त सामान्यतः सभी बातों के संबंध में सुनवाई कर सकता है ।

वैधीकरण

४—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ८ यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ अथवा अन्य किसी विधि में वर्णित किसी अधिकार प्रयोग के अभिप्राय से पूर्वोक्त प्रकार से दी गई प्रत्येक तजवीज जो यदि अपील, अभिदेश (reference) अथवा पुनरीक्षण (revision) की सुनवाई के, अथवा तजवीज देने अथवा उससे सहमत होने के दिनांक पर धारा ३ प्रचलित हो गई होती, तो वैध होती और ऐसी तजवीज के अनुसार किया गया कोई कार्य, यदि उक्त आरम्भ से पूर्व तजवीज अथवा कार्य खारिज न कर दिया गया हो तो विधितः सुनी हुई, दी हुई, सहमत हुई अथवा किया हुआ, जैसी भी दशा हो, समझी जायगी तथा समझा जायगा। प्रत्येक ऐसी तजवीज के संबंध में यह भी समझा जायगा कि उस सदस्य से, जिसने पक्षों या उनके वकीलों की सुनवाई की हो, भिन्न प्रत्येक सदस्य ने जिसने तजवीज दी हो या उसने सहमति दी हो, धारा ३ के प्रतिबन्धात्मक खंड में की गई व्यवस्था के अनुसार पक्षों अथवा उनके वकीलों की सुनवाई करना आवश्यक नहीं समझा ।

उद्देश्य और कारण

सूरजमल बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू के मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच ने यह निर्णय किया है कि यदि बोर्ड आफ रेवेन्यू का कोई एक सदस्य ऐसी तजवीज दे जिससे विचाराधीन आज्ञा या डिक्री परिष्कृत हो जाय या बदल जाय और उक्त सदस्य उक्त तजवीज को उक्त बोर्ड के किसी अन्य सदस्य के पास भेजे तो उक्त अन्य सदस्य कोड आफ सिविल प्रोसीजर के आर्डर ४१, रूल ३० के अनुसार पक्षों या उनके वकीलों को सुनवाई का बिना अवसर दिये कोई तजवीज नहीं दे सकता। उपर्युक्त नजीर से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से तथा उन सब आज्ञाओं के वैधीकरण के लिये जिन्हें बोर्ड आफ रेवेन्यू ने अभी तक दिया है, यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है ।

चरण सिंह,
माल मंत्री ।

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे २७ पृष्ठ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण (अनुपूरक) विधेयक- १९५३

कुछ ऐसे पदों के संबंध में यह घोषित करने के लिये कि उन पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे

विधेयक

यह आवश्यक है कि कुछ लाभप्रद पदों के संबंध में यह घोषित किया जाय कि उन पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे,

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण (अनुपूरक) अधिनियम, १९५३ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिये अनर्हता का निवारण

२—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये कोई भी व्यक्ति इस कारण से अनर्ह न होगा (shall not be disqualified) कि वह टेरीटोरियल आर्मी ऐक्ट, १९४८ के अधीन टेरीटोरियल आर्मी में अथवा नेशनल केडेट कोर ऐक्ट, १९४८ के अधीन नेशनल केडेट कोर में भरती (enrolled) है।

उद्देश्य और कारण

सरकार को यह राय दी गई है कि टेरीटोरियल आर्मी और नेशनल केडेट कोर में भरती होना संविधान के अनुच्छेद १९१ के प्रयोजनों के लिये, सरकार के अधीन लाभप्रद पदों पर रहना है, जिससे सम्बद्ध व्यक्ति राज्य विधान मंडल की सदस्यता के अनर्ह हो जाता है। यह उचित है कि टेरीटोरियल आर्मी और नेशनल केडेट कोर में भरती से कोई भी व्यक्ति राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने के लिये अथवा बने रहने के लिये अनर्ह न हो। इसलिये इस अनर्हता को हटाने का प्रस्ताव किया गया है और यह विधेयक इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अली जहीर,
न्याय मंत्री।

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे २७ पृष्ठ पर)

उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) विधेयक, १९५३

उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम (ऐक्ट), १९५० ई० को अनुपूरित करने का

उत्तर प्रदेश अधिनियम १६, १९५१

विधेयक

यह आवश्यक है कि कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम (ऐक्ट), १९५० ई० को अनुपूरित किया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १६, १९५१

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १६, १९५१ का लागू किया जाना।

२—उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम (ऐक्ट), १९५० ई० की धारा १ की उपधारा (३) में किसी बात के होते हुये भी —

(१) उक्त अधिनियम १ सितम्बर, १९५१ ई० से प्रचलित होगा और प्रचलित हुआ समझा जायगा।

(२) १ सितम्बर, १९५१ से इस अधिनियम के प्रारम्भ तक की अवधि में उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी प्राधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञाएं या बनाये गये नियम किये गये कार्य या की गयी कार्यवाहियां, दिये गये आदेश या प्रयुक्त अधिक्षेत्र को विधि में उसी प्रकार ठीक तथा वैध समझा जायगा मानो उक्त अधिनियम (ऐक्ट), १ सितम्बर १९५१ से प्रचलित था।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम (ऐक्ट), १९५० ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १६, १९५१ ई०) को कार्यान्वित करने के लिए सितम्बर, १९५१ के आरम्भ से ही काम प्रारम्भ कर दिया गया था किन्तु इस बात का ध्यान न रखा जा सका कि अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) के अधीन उस दिनांक को विज्ञापित कर दिया जाता जब से इसे प्रचलित होना चाहिये था। इस विधेयक द्वारा उक्त अधिनियम को १ सितम्बर, १९५१ से अनुपूरित करके इस भूल को सुधारने की तथा उक्त दिनांक से उसके अधीन की गई विभिन्न कार्यवाहियों के वैधीकरण की व्यवस्था की गयी है।

सम्पूर्णानन्द,
श्रम मंत्री।

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे २७ पृष्ठ पर)

प्राविडेन्ट फंड्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३

ऐक्ट १९, १९२५।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त प्राविडेंट फंड्स ऐक्ट, १९२५ को, जहांतक वह राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू है, संशोधित करने का

विधेयक

ऐक्ट १९, १९२५।

यह आवश्यक है कि कुछ प्रयोजनों के निमित्त प्राविडेंट फंड्स ऐक्ट, १९२५ का, जहां तक वह राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू है, संशोधन किया जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम प्राविडेंट फंड्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) इसके विषय में यह समझा जायगा कि यह ११ अगस्त, १९४९ ई० से लागू हो गया है,

ऐक्ट १९, १९२५ की धारा २ का संशोधन।

२—प्राविडेंट फंड्स ऐक्ट, १९२५ की धारा २ के खंड (a) में शब्द "Fund" और "And" के बीच शब्द "Or for Acquisition of bhumidhari rights under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, or privileges under the U. P. Agricultural Tenants (Acquisition of privileges) Act, 1949" रख दिये जायं।

उद्देश्य और कारण

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट) के प्रचारित होने के बाद ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जो कृषि भूमि (Agricultural lands) के काश्तकार थे, उनके प्राविडेंट फंड से अग्रिम ऋण (advance) के रूप में भूमिधारी अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से लगान के दसगुना देने के निमित्त द्रव्य दिया गया था। उक्त कर्मचारियों को विशेष स्थिति में स्वतंत्रता दी गयी थी कि उक्त अग्रिम ऋण को नियमों के अनुसार वे वापस करें या बिल्कुल वापस न करें। प्राविडेंट फंड ऐक्ट, १९२५ में ऐसे ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं है जो वापस न किया जाय। इस प्रकार के अग्रिम ऋण देने का परिणाम यह होता है कि प्राविडेंट फंड्स ऐक्ट, १९२५ की धारा ३ द्वारा प्राप्त कुरकी के विरुद्ध अभिरक्षा (protection) जाती रहती है।

अतएव यह प्रस्ताव है कि प्राविडेंट फंड ऐक्ट, १९२५ की धारा २ (ए) जहां तक यह राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है संशोधित की जाय जिससे ऐसे अग्रिम ऋण देने के कारण जो वापस न किये जायं कुरकी के विरुद्ध अभिमुक्ति (immunity) समाप्त न हो जाय।

उक्त उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे २७ पृष्ठ पर)

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३

कुछ प्रयोजनों के निमित्त मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में संशोधन करने का

विधेयक

यहां पर आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त होने के लिये संशोधन करना आवश्यक है,

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम मोटर वेहिकिल्स, (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा। संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त लागू होगा।

२—मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ३३ की उपधारा (१) में: १९३९ के ऐक्ट संख्या ४ की धारा ३३ का संशोधन।

(क) शब्द "rules made thereunder" के बाद शब्द "or that any motor vehicle is being used as a public service vehicele without a valid permit for being used as such," बढ़ा दिये जांय, और

(ख) उक्त उपधारा के अन्त में शब्द "or, in the case of a motor vehicle being used without a valid permit as a public service vehicle for a period not exceeding fourteen days" बढ़ा दिये जायं।

उद्देश्य और कारण

यह देखा गया है कि निजी कारों के मालिक प्रायः अपनी कारों को उन्हें टैक्सी कैबों के रूप में रजिस्टर्ड कराये बिना ही भाड़े पर चलाते हैं। टैक्सी कैबों का कर निजी कारों से अधिक है, इसलिये इस अनुचित कार्य से राज्य सरकार को राजस्व की बहुत हानि होती है। इसके अतिरिक्त भाड़े पर चलाई जाने वाली इन निजी गाड़ियों के कारण निजी चालकों और रोडवेज की आय कम हो जाती है। यदि निजी कार का मालिक भाड़े पर सवारियां ले जाता हुआ पाया जाये तो उस पर मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १२३ (१) के अधीन अभियोग चलाया जाता है। न्यायालय में ऐसे मामलों को प्रमाणित करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो व्यक्ति भाड़े पर गाड़ी लेते हैं उनमें से बिरला ही कोई मालिक के विरुद्ध साक्षी देने के लिये आता है। प्रस्तावित विधेयक में मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ३३ में संशोधन करके भाड़े पर दी जाने वाली निजी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को निलंबित (सस्पेंड) किये जाने की व्यवस्था की गई है, जिससे इस अनुचित कार्य को रोकने के लिये अधिक कठोर उपाय काम में लाये जा सकें।

विचित्रनारायण शर्मा,
परिवहन मंत्री

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ५२ एल० ए० १९५३—८५०